

वित्त विधेयक, 2022

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2022

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 10 का संशोधन ।
5. धारा 11 का संशोधन ।
6. धारा 12क का संशोधन ।
7. धारा 12कख का संशोधन ।
8. धारा 13 का संशोधन ।
9. धारा 14क का संशोधन ।
10. धारा 17 का संशोधन ।
11. धारा 35 का संशोधन ।
12. धारा 37 का संशोधन ।
13. धारा 40 का संशोधन ।
14. धारा 43ख का संशोधन ।
15. धारा 50 का संशोधन ।

खंड

16. धारा 56 का संशोधन ।
17. धारा 68 का संशोधन ।
18. धारा 79 का संशोधन ।
19. नई धारा 79क का अंतःस्थापन ।
20. धारा 80गघ का संशोधन ।
21. धारा 80घघ का संशोधन ।
22. धारा 80झकग का संशोधन ।
23. धारा 80ठक का संशोधन ।
24. धारा 92गक का संशोधन ।
25. धारा 94 का संशोधन ।
26. धारा 115खकख का संशोधन ।
27. धारा 115खखघ का संशोधन ।
28. नई धारा 115खखज और धारा 115खखझ का अंतःस्थापन ।
29. धारा 115जग का संशोधन ।
30. धारा 115जच का संशोधन ।
31. धारा 115नघ का संशोधन ।
32. धारा 115नड का संशोधन ।
33. धारा 115नच का संशोधन ।
34. धारा 119 का संशोधन ।
35. धारा 132 का संशोधन ।
36. धारा 132ख का संशोधन ।
37. धारा 133क का संशोधन ।
38. धारा 139 का संशोधन ।
39. नई धारा 140ख का अंतःस्थापन ।
40. धारा 143 का संशोधन ।
41. धारा 144 का संशोधन ।
42. धारा 144ख का संशोधन ।

खंड

43. धारा 144ग का संशोधन ।
44. धारा 148 का संशोधन ।
45. धारा 148क का संशोधन ।
46. नई धारा 148ख का अंतःस्थापन।
47. धारा 149 का संशोधन ।
48. धारा 153 का संशोधन ।
49. धारा 153ख का संशोधन ।
50. नई धारा 156क का अंतःस्थापन ।
51. धारा 158कक का संशोधन ।
52. नई धारा 158कख का अंतःस्थापन ।
53. धारा 170 का संशोधन ।
54. नई धारा 170क का अंतःस्थापन ।
55. धारा 179 का संशोधन ।
56. धारा 194झक का संशोधन ।
57. धारा 194झख का संशोधन ।
58. नई धारा 194द का अंतःस्थापन ।
59. नई धारा 194ध का अंतःस्थापन ।
60. धारा 201 का संशोधन ।
61. धारा 206कख का संशोधन ।
62. धारा 206ग का संशोधन ।
63. धारा 206गगक का संशोधन ।
64. धारा 234क का संशोधन ।
65. धारा 234ख का संशोधन ।
66. नई धारा 239क का अंतःस्थापन ।
67. धारा 245डक का संशोधन ।
68. धारा 246क का संशोधन ।
69. धारा 248 का संशोधन ।

खंड

70. धारा 253 का संशोधन ।
71. धारा 255 का संशोधन ।
72. धारा 263 का संशोधन ।
73. धारा 271ककख का संशोधन ।
74. धारा 271ककग का संशोधन ।
75. धारा 271ककघ का संशोधन ।
76. नई धारा 271ककड का अंतःस्थापन ।
77. धारा 271ग का संशोधन ।
78. धारा 272क का संशोधन ।
79. धारा 276कख का संशोधन ।
80. धारा 276ख का संशोधन ।
81. धारा 276गग का संशोधन ।
82. धारा 278क का संशोधन ।
83. धारा 278कक का संशोधन ।
84. धारा 285ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

अध्याय 4**अप्रत्यक्ष कर****सीमा-शुल्क**

85. धारा 2 का संशोधन ।
86. धारा 3 का संशोधन ।
87. धारा 5 का संशोधन ।
88. धारा 14 का संशोधन ।
89. धारा 28ड का संशोधन ।
90. धारा 28ज का संशोधन ।
91. धारा 28झ का संशोधन ।
92. धारा 28ञ का संशोधन ।
93. नई धारा 110कक का अंतःस्थापन ।

खंड

94. नई धारा 135कक का अंतःस्थापन ।
95. धारा 137 का संशोधन ।
96. सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों की विधिमान्यता ।

सीमाशुल्क टैरिफ

97. पहली अनुसूची का संशोधन ।

उत्पाद-शुल्क

98. चौथी अनुसूची का संशोधन ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

99. धारा 16 का संशोधन ।
100. धारा 29 का संशोधन ।
101. धारा 34 का संशोधन ।
102. धारा 37 का संशोधन ।
103. धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
104. धारा 39 का संशोधन ।
105. धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
106. धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप ।
107. धारा 47 का संशोधन ।
108. धारा 48 का संशोधन ।
109. धारा 49 का संशोधन ।
110. धारा 50 का संशोधन ।
111. धारा 52 का संशोधन ।
112. धारा 54 का संशोधन ।
113. धारा 168 का संशोधन ।
114. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

खंड

115. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।
116. कतिपय मामलों में केंद्रीय कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट ।
117. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव ।
118. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।
119. कतिपय मामलों में एकीकृत कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट ।
120. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के खंड (i) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव ।
121. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।
122. कतिपय मामलों में संघ राज्यक्षेत्र कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट ।
123. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के खंड (i) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव ।

अध्याय 5**प्रकीर्ण****भाग 1****भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन**

124. 1934 के अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन ।

खंड

भाग 2

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

125. सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवी अनुसूची ।

छठी अनुसूची ।

सातवीं अनुसूची ।

आठवीं अनुसूची ।

नवीं अनुसूची ।

लोक सभा में 01 फरवरी, 2022 को पुरःस्थापित रूप में

2022 का विधेयक संख्यांक 18

[दि फाइनेंस बिल, 2022 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2022

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2022 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 84, 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होगी ;

(ख) धारा 99 से धारा 113, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार,
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल,
2022 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में

आय-कर ।

विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115अख या धारा 115अग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का

अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ड में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ड, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) ऐसे व्यष्टि या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1)

के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, सिवाय ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक

नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर

अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में यथा उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गड की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ड, धारा 194डड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ज, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनी से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, इस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय

का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(कख) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने

के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते

हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

(ग) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के

अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर”, पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ड में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या किसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, धारा 115ड, धारा 115जख और धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पचीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के

सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) व्यष्टि या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति-संगम, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के पचीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे “अग्रिम कर” के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(कख) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा

में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे “अग्रिम कर” के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में

संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (कख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,--

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

परन्तु उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,--

(क) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ;

परन्तु उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम

की धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115अख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर “अग्रिम कर” के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परन्तुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में यथा उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा ‘क’ लागू होता है, जहां निर्धारित की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल

आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “तीन लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “दो लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए” शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (42ग) में, “प्रतिफल के लिए विक्रय के” शब्दों के स्थान पर, “प्रतिफल के लिए अंतरण के” शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2021 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (47) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(47क) ‘आभासी डिजिटल आस्ति’ से,--

(क) कोई सूचना या कूट या संख्या या टोकन (जो भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा नहीं है) जिसका सृजन क्रिप्टोग्राफिक साधनों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या अन्यथा से किया जाता है, जो प्रतिफल के साथ या उसके बिना विनिमय किए जाने के लिए जो अंतर्निहित मूल्य के आश्वासन या प्रतिनिधित्व के साथ डिजिटल उपदर्शन का उपबंध करती है या मूल्य के भंडारण या लेखा यूनिट के रूप में कृत्य करती है, जिसके अंतर्गत उसका किसी वित्तीय संव्यवहार या विनिधान में उपयोग सम्मिलित है किन्तु किसी विनिधान स्कीम तक सीमित नहीं है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरण, भंडारण या व्यापार किया जा सकता है, अभिप्रेत है ;

(ख) अविनिमेय टोकन या समान प्रकृति का कोई अन्य टोकन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(ग) कोई अन्य डिजिटल आस्ति, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करे, अभिप्रेत है :

परंतु केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आभासी डिजिटल आस्ति की परिभाषा से किसी डिजिटल आस्ति को अपवर्जित कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,--

(क) ‘अविनिमेय टोकन’ से ऐसी डिजिटल आस्ति अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) ‘करेंसी’, ‘विदेशी करेंसी’ और ‘भारतीय करेंसी’ पदों के वही अर्थ होंगे, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज), खंड (ड) और खंड (थ) में उनके हैं ।’

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) 1 अप्रैल, 2023 से,--

(i) खंड (4ड) में, “अपरिदेय अग्रिम संविदा” शब्दों के पश्चात्, “या अपतटीय परिदेय लिखत या काउंटर-पर-परिदेय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (4च) में,--

धारा 10 का संशोधन ।

(I) “वायुयान” शब्द के पश्चात्, “या पोत” शब्द अंतःस्थापित किए ;

(II) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “वायुयान” से कोई वायुयान या कोई हेलिकॉप्टर या वायुयान या हेलीकॉप्टर का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;

(ii) “पोत” से कोई पोत या समुद्री जलयान, किसी पोत या समुद्री जलयान का कोई इंजन या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ;

(iii) खंड (4च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4छ) किसी अनिवासी द्वारा धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी इकाई के साथ अनुरक्षित खाते में, ऐसे अनिवासी की निमित्त किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रबंधित या प्रशासित, प्रतिभूति पोर्टफोलियो या वित्तीय उत्पादों या निधियों से प्राप्त किसी आय को, उस सीमा तक, जिस तक ऐसी आय भारत से बाहर उदभूत या उत्पन्न होती है, भारत से उदभूत या हुई नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए “पोर्टफोलियो प्रबंधक” का वही अर्थ होगा, जो उसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम (2) के उपविनियम (1) के खंड (य) में है ।”;

2019 का 50

(iv) खंड (8) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के ऐसे पारिश्रमिक और आय को लागू नहीं होगी ;”;

(v) खंड (8क) में, उपखंड (ख) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के ऐसे

पारिश्रमिक और आय को लागू नहीं होगी।”;

(vi) खंड (8ख) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के ऐसे पारिश्रमिक, फीस और आय को लागू नहीं होगी ;”;

(vii) खंड (9) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के किसी ऐसी आय को लागू नहीं होगी ;”;

(ख) खंड (23ग) में,--

(i) उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (vिक) में, “विहित प्राधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “प्रधान आयुक्त या आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक में,--

(I) स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण 1क-इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, जहां उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था के अधीन धारित संपत्ति के अंतर्गत, धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई अन्य स्थान है, तो ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या किसी अन्य स्थान के नवीकरण या मरम्मत के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, ऐसे न्यास या संस्था द्वारा स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई राशि, निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए ऐसे न्यास या संस्था द्वारा न्यास या संस्था की काय का भाग मानी जा सकेगी, कि निधि या न्यास या संस्था,--

(क) ऐसे काय का केवल उस प्रयोजन के लिए उपयोजन करता है, जिसके लिए स्वैच्छिक अंशदान किया गया था ;

(ख) ऐसे काय का किसी व्यक्ति को अंशदान

या संदान करने के लिए उपयोग नहीं करता है ;

(ग) ऐसे काय को पृथकतः पहचाने जा सकने के रूप में रखता है ; और

(घ) ऐसे काय का ऐसे रूप और ढंग में विनिधान या जमा करता है, जो धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट है ।

स्पष्टीकरण 1ख—स्पष्टीकरण 1क के प्रयोजनों के लिए, जहां उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था ने उसके द्वारा प्राप्त किसी राशि को काय का भाग बनने वाली माना है, और तत्पश्चात् उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का अतिक्रमण किया है, ऐसी राशि, ऐसे न्यास या संस्था की पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसके दौरान ऐसा अतिक्रमण होता है ।”;

(II) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2023 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण 3—इस परंतुक के अधीन उपयोजन की रकम अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, जहां इस परंतुक के खंड (क) में निर्दिष्ट आय का पचासी प्रतिशत, पूर्णतः और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित नहीं किया जाता है, जिनके लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की जाती है, किंतु ऐसे उद्देश्यों के उपयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः संचयित या पृथक् रखी जाती है, इस प्रकार संचयित या पृथक् रखी गई ऐसी आय, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, परंतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो, अर्थात् :-

(क) ऐसा व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी को उस प्रयोजन का कथन करते हुए, विहित प्ररूप और विहित रीति में, विवरणी प्रस्तुत करता है, जिसके लिए आय संचयित की या पृथक रखी जा रही है और वह अवधि, जिसके लिए आय संचयित या पृथक रखी

जा रही है, किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

(ख) इस प्रकार संचयित या पृथक रखे गये धन का, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्ररूपों या ढंगों में विनिधान या निक्षेप किया जाता है ; और

(ग) पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाता है :

परंतु उपखंड (क) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान आय का उस प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के कारण उपयोजन नहीं किया जा सका, जिसके लिए इसे इस प्रकार संचयित या पृथक रखा गया है, अपवर्जित कर दी जाएगी ।

स्पष्टीकरण 4—स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट कोई आय, जो,—

(क) पूर्णतः और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों से भिन्न, प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती है, जिनके लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की जाती है, या उस संबंध में उपयोजन के लिए वह संचयित या पृथक नहीं रह जाती है ; या

(ख) धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्ररूपों या ढंगों में विनिधानित या निक्षिप्त नहीं रह जाती है ; या

(ग) स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह इस प्रकार संचयित या पृथक रखी गई है, उपयोग नहीं की जाती है ; या

(घ) धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को अथवा उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या

अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की जाती है,

ऐसे व्यक्ति की पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी,--

(i) जिसमें खंड (क) के अधीन इसे इस प्रकार उपयोजित किया जाता है या उसे इस प्रकार संचयित या पृथक् रखना बंद कर दिया जाता है ;

(ii) जिसमें खंड (ख) के अधीन यह इस प्रकार विनिधानित या निक्षिप्त नहीं रह जाती है ;

(iii) जो उस अवधि का अंतिम पूर्व वर्ष है, जिसके लिए स्पष्टीकरण 3 के उपखंड (क) के अधीन आय संचयित या पृथक् रखी जाती है, किंतु उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाती है, जिसके लिए खंड (ग) के अधीन इसे इस प्रकार संचयित या पृथक् रखा गया है ; या

(iv) जिसमें खंड (घ) के अधीन इसे किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त किया जाता है, जैसा खंड (घ) में निर्दिष्ट है ।

स्पष्टीकरण 5—स्पष्टीकरण 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण स्पष्टीकरण 3 के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप की गई कोई आय उस प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं की जा सकती है, जिसके लिए यह संचयित या पृथक् रखी गई थी, वहां निर्धारण अधिकारी, इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को, भारत में ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी आय उपयोजित करना अनुज्ञात कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किया जाए और जो उन उद्देश्यों के अनुरूप है, जिनके लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था को स्थापित किया गया है ; और तदुपरि, स्पष्टीकरण 4 के उपबंध लागू होंगे, मानो इस स्पष्टीकरण के अधीन आवेदन में ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) के अधीन निर्धारण अधिकारी को दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हो :

परंतु निर्धारण अधिकारी, स्पष्टीकरण 4 के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए संदाय या जमा के माध्यम से ऐसी आय का उपयोजन अनुज्ञात नहीं करेगा :”;

(iii) दसवें परंतुक के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2023 से, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय, उक्त उपखंडों के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो पूर्व वर्ष में कर से प्रभार्य नहीं है, तो ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था,-

(क) लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे स्थान पर, जो विहित किया जाए, रखेगी और बनाए रखेगी ; और

(ख) धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल से उस वर्ष के संबंध में अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाएगी और उस तारीख तक, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित विहित प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए, ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :”;

(iv) पन्द्रहवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या किसी अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को उक्त खंड के अधीन अनुमोदित किया जाता है और उसके पश्चात्,-

(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने किसी पूर्व वर्ष के दौरान एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमणों को देखा है ;
या

(ख) प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने धारा 143 की उपधारा (3) के तीसरे परंतुक के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी से कोई निर्देश प्राप्त किया है ; या

(ग) समय-समय पर, बोर्ड द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए विरचित ऐसे मामले का जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार चयन किया है,

वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त,—

(i) निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग कर सकेगा या ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने या अन्यथा के संबंध में, स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझता है ;

(ii) निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था को सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष और पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए उसके अनुमोदन को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण हुए हैं ;

(iii) यदि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने के संबंध में उसका समाधान नहीं होता है तो ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था के अनुमोदन को रद्द करने से इंकार करते हुए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लिखित आदेश पारित करेगा ;

(iv) यथास्थिति, खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किए गए आदेश की प्रति, निर्धारण अधिकारी और ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था को अग्रेषित करेगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट तारीख” से वह दिन अभिप्रेत है, जिसको उस तिमाही के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात्, किसी दस्तावेज या जानकारी मंगाने या कोई जांच करने के लिए पहली सूचना जारी की जाती है, संगणित छह

मास की अवधि खंड (i) के अधीन समाप्त हो जाती है ।

स्पष्टीकरण 2—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट अतिक्रमण” से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,—

(क) जहां ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना करने के उद्देश्यों से भिन्न के लिए उपयोजित की गई कोई आय ; या

(ख) निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था की, कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक नहीं है या कारबार के संबंध में, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक है, उसने पृथक् लेखा बहियां नहीं रखी हैं ; या

(ग) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा किया जा रहा कोई क्रियाकलाप,—

(अ) वास्तविक नहीं है ; या

(आ) सभी या किन्हीं शर्तों, जिनके अनुसार उसे अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था, नहीं चलाए जा रहे हैं ; या

(घ) निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री में, चाहे किसी भी नाम से जात, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, जो या तो विवादित नहीं किया गया है या उसे अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है ।

स्पष्टीकरण 3—इस परंतुक के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां निर्धारण अधिकारी ने केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को धारा 143 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन किसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में इस खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vii) के उपबंधों के अतिक्रमण के संबंध में संसूचित किया है और 31 मार्च,

2022 को या उससे पूर्व ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को मंजूर किए गए अनुमोदन को वापस नहीं लिया गया है या उसकी दशा में जारी अधिसूचना को विखंडित नहीं किया गया है, वहां ऐसी संसूचना को 1 अप्रैल, 2022 को प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिनिर्देश के रूप में समझा जाएगा और धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के उपबंध तदनुसार ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए लागू होंगे ;;

(v) उन्नीसवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदित की गई है, तथा अनुमोदन किसी पूर्व वर्ष के लिए प्रवर्तन में है, वहां इस धारा के खंड (1) से भिन्न, उसके किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट कोई बात, उस पूर्ववर्ष के लिए आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से, यथास्थिति, ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के निमित्त प्राप्त किसी आय को अपवर्जित करने के लिए प्रचालित नहीं होगी :”;

(vi) उन्नीसवें परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2023 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

‘परंतु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या कोई आयुर्विज्ञान संस्था धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपबंधों के अनुसार उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करेगी :

परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या कोई आयुर्विज्ञान संस्था की आय या आय का भाग

या संपत्ति, या ऐसी आय का कोई भाग, धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोजित किया गया है, वहां उक्त धारा की उपधारा (2), उपधारा (4) और उपधारा (6) के उपबंधों के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति की पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें वह इस प्रकार उपयोजित की जाती है :

परंतु यह भी कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था, दसवें या बारहवें परंतुक के अधीन विहित शर्तों का अतिक्रमण करती है या जहां अठारहवें परंतुक के उपबंध लागू हैं, वहां उसकी कर से प्रभार्य आय निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अधीन रहते हुए, निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था के उद्देश्यों के लिए भारत में उपगत (पूंजी व्यय से भिन्न) व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् संगणित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ऐसा व्यय, उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए आय संगणित की जा रही है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत को निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था के पास जमा काय से नहीं है ;

(ख) ऐसा व्यय, किसी ऋण या उधार से नहीं है ;

(ग) अवक्षयण का दावा उस आस्ति के संबंध में नहीं है, जिसका अर्जन उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष में धारा 11 के अधीन आय के उपयोजन के रूप में दावा किया गया है ; और

(घ) ऐसा व्यय, किसी व्यक्ति से अभिदाय या संदान के रूप में नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के अधीन व्यय की रकम अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) और धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (3) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं :

परंतु यह भी कि बाईसवें परंतुक के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने में, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को कोई व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरे के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;”;

(vii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण 3—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा संदेय किसी राशि को, उस पूर्व वर्ष के दौरान आय के उपयोजन के रूप में समझा जाएगा, जिसमें उसके द्वारा वस्तुतः ऐसी राशि का संदाय किया गया है (उस पूर्ववर्ष पर ध्यान न देते हुए, जिसमें निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा, उसके द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाई जा रही लेखांकन पद्धति के अनुसार ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था) :

परंतु जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी राशि के संबंध में यह दावा किया गया है कि उसे निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा उपयोजित किया गया है, वहां ऐसी राशि को पश्चातवर्ती पूर्ववर्ष में उपयोजित राशि के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;”।

धारा 11 का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) में स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण 3क—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी न्यास या संस्था के अधीन धारित संपत्ति के अंतर्गत कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित कोई अन्य स्थान है, ऐसे न्यास या संस्था द्वारा ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के नवीकरण या मरम्मत के किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक अंशदान के रूप में प्राप्त किसी राशि को ऐसे न्यास या

संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए न्यास या संस्था के काय का एक भाग समझा जा सकेगा कि न्यास या संस्था,--

(क) ऐसे काय का केवल उस प्रयोजन के लिए अनुप्रयोग करती है, जिसके लिए स्वैच्छिक अंशदान किया गया था ;

(ख) ऐसा काय का किसी व्यक्ति को अंशदान या संदान करने के लिए अनुप्रयोग नहीं करती है ;

(ग) ऐसे काय का पृथक् रूप से पहचान योग्य के रूप में अनुरक्षण करती है ; और

(घ) ऐसे काय का धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप और ढंग से विनिधान या निक्षेप करती है ।

स्पष्टीकरण 3ख—स्पष्टीकरण 3क के प्रयोजनों के लिए जहां किसी न्यास या संस्था ने, उसके द्वारा प्राप्त किसी राशि को, काय का भाग माना गया है और तत्पश्चात् उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों का उल्लंघन किया है, तो ऐसी राशि को पूर्ववर्ष, जिसके दौरान उल्लंघन होता है, ऐसे न्यास या संस्था की आय समझा जाएगा ।”;

(ख) उपधारा (3) में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

(क) खंड (ग) में, “या उसके अवसान के ठीक पश्चात् के वर्ष में” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :-

“पूर्व वर्ष में ऐसे व्यक्ति की आय समझी जाएगी—

(i) जिसमें खंड (क) के अधीन इसका अनुप्रयोग किया जाता है या उसका इस प्रकार संचित करना या पृथक् करना समाप्त हो जाता है ; या

(ii) जिसमें खंड (ख) के अधीन उसका इस प्रकार किया गया विनिधान या जमा समाप्त हो जाता है ; या

(iii) जो उस कालावधि का अंतिम पूर्ववर्ष है, जिसके लिए खंड (ग) के अधीन आय संचित की जाती है या पृथक् रखी जाती है, किन्तु उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए खंड (ग) में यथा विनिर्दिष्ट उसको इस प्रकार संचित किया गया था या पृथक् रखा गया था, उसका उपयोग नहीं किया जाता है ; या

(iv) जिसमें उसको खंड (घ) के अधीन किसी निधि या

संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था, में प्रत्यय या संदत्त किया जाता है।”;

(ग) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यास या संस्था द्वारा संदेय किसी राशि को उस पूर्व वर्ष के दौरान आय के उपयोजन के रूप में समझा जाएगा, जिसमें उसके द्वारा वस्तुतः ऐसी राशि का संदाय किया गया है (उस पूर्ववर्ष पर ध्यान न देते हुए, जिसमें न्यास या संस्था द्वारा, उसके द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाई जा रही लेखांकन पद्धति के अनुसार ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था) :

परंतु जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी राशि के संबंध में यह दावा किया गया है कि उसे न्यास या संस्था द्वारा उपयोजित किया गया है, वहां ऐसी राशि को पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष में उपयोजित राशि के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।”।

धारा 12क का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2023 से रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी न्यास या संस्था की धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना यथा संगणित सकल आय अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है--

(i) लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर रखे गए हैं, जो विहित किया जाए ; और

(ii) उस वर्ष के लिए न्यास या संस्था के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए गए हैं और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट, जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, उस तारीख तक प्रस्तुत की है ;”।

धारा 12कख का संशोधन ।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख की उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(4) जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या धारा 12कक

की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त,--

(क) ने किसी पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमणों को देखा है ; या

(ख) ने धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी से कोई प्रतिनिर्देश प्राप्त किया है ; या

(ग) ने समय-समय पर, बोर्ड द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए विरचित ऐसे मामले का जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार चयन किया है,

वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त--

(i) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जो वह किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने या अन्यथा के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझता है ;

(ii) सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे पूर्ववर्ष और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण हुए हैं ;

(iii) यदि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने के संबंध में उसका समाधान नहीं होता है तो ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने से इंकार करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

(iv) निर्धारण अधिकारी और ऐसे न्यास या संस्था को, यथास्थिति, खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आदेश की एक प्रति अग्रेषित करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट अतिक्रमण” से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, अर्थात् :-

(क) जहां न्यास के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या भागतः धृत संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को, न्यास या संस्था के उद्देश्यों से भिन्न किसी कार्य के लिए उपयोजित किया गया है ; या

(ख) न्यास या संस्था की कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक नहीं है या कारबार के संबंध में, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक हैं, ऐसे न्यास या संस्था ने पृथक् लेखा बहियां नहीं रखी हैं ; या

(ग) न्यास या संस्था ने किसी न्यास के अधीन धृत संपत्ति से अपनी आय के किसी भाग को प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया है, जिससे पब्लिक को फायदा सुनिश्चित नहीं होता है ; या

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् पूर्त प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित न्यास या संस्था ने अपनी आय के किसी भाग का किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए उपयोजन किया है ; या

(ड) न्यास या संस्था द्वारा किया जा रहा कोई क्रियाकलाप,--

(i) वास्तविक नहीं है ; या

(ii) ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था, नहीं चलाया जा रहा है ; या

(च) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट, किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, जिसे या तो विवादित नहीं किया गया है या उसे अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है;

(5) यथास्थिति, उपधारा (4) के खंड (ii) के अधीन आदेश उस तिमाही के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पहली सूचना उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन, किसी दस्तावेज या सूचना की मांग करने या कोई जांच करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् जारी की जाती है, से संगणित छह मास की अवधि के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा ।”।

धारा 13 का संशोधन ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 13 में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ग) की वृहत रेखा में, “उसकी कोई आय” शब्दों के पश्चात्, “, उपखंड (i) उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आय का भाग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) की वृहत रेखा में, “पूर्व वर्ष के दौरान किसी कालावधि” शब्दों से पहले, “, उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसे निक्षेप या विनिधान की सीमा तक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (9) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

‘(10) जहां उपधारा (8) के उपबंध, किसी न्यास या संस्था को लागू होते हैं या वह धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (खक) के अधीन विहित शर्तों का अतिक्रमण करता है, तो उसकी कर से प्रभार्य आय की संगणना, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, किसी न्यास या संस्था के उद्देश्यों के लिए, भारत में उपगत व्यय (पूँजी व्यय से भिन्न) के लिए कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ऐसा व्यय, निर्धारण वर्ष जिसके लिए आय की संगणना की

जा रही है, के लिए सुसंगत पूर्व वर्ष के अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत तक न्यास या संस्था के खाते में जमा काय से नहीं किया गया हों ;

(ख) ऐसा व्यय किसी ऋण या उधार से नहीं किया गया हों ;

(ग) अवक्षयण का दावा किसी आस्ति के संबंध में नहीं किया गया हों, जिसके अर्जन का प्रयोज्य आय के रूप में उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में दावा नहीं किया गया हों ; और

(घ) ऐसा व्यय, किसी व्यक्ति को अभिदाय या संदान के रूप में नहीं हो ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के अधीन व्यय की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (िक) और धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे, जिस प्रकार वह “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में लागू होते हैं ।

(11) उपधारा (10) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने में अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन निर्धारिती को किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरे के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।”।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 14क में,--

धारा 14क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “इस अध्याय के अधीन कुल आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए” शब्दों के स्थान पर, “इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन कुल आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबंध लागू होंगे और ऐसे मामले में सदैव लागू हुए समझे जाएंगे, जहां आय, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, किसी निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उदभूत नहीं हुई है या प्राप्त नहीं की गई है और ऐसी आय, जो कुल आय का भाग नहीं है, के संबंध में उक्त पूर्व वर्ष के दौरान व्यय उपगत किया गया है ।”।

धारा 17 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) के पहले परंतुक के खंड (ii) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल,

2020 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) कोविड-19 से संबंधित रूग्णता के संबंध में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :”।

धारा 35 का संशोधन ।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) में, “अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य संस्था या उपधारा (1) के खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी उक्त उपधारा के संबंधित खंडों के अधीन कटौती की तब तक हकदार नहीं होगी” शब्दों, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर, “किसी अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य संस्था या उपधारा (1) के खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी को संदत्त किसी राशि के संबंध में कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2021 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 37 का संशोधन ।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण 3—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्टीकरण 1 के अधीन “किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है” पद के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित होगा और सदैव सम्मिलित हुआ समझा जाएगा,—

(i) किसी प्रयोजन के लिए, जो भारत में, या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध है या प्रतिषिद्ध है ; या

(ii) किसी व्यक्ति को, किसी रूप में कोई फायदा या परिलब्धि प्रदान करना, चाहे वह कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है या चला रहा है और ऐसे फायदे या परिलब्धि का ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, किसी विधि या नियम या विनियम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन में स्वीकार करना ; या

(iii) भारत में, या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध का शमन ।’।

धारा 40 का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (ii) में, स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण 3—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए ‘कर’ पद के अंतर्गत ऐसे कर पर कोई अधिभार या उपकर सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से जात हो, और सदैव इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया समझा जाएगा ।’।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

धारा 43ख का संशोधन ।

(i) स्पष्टीकरण 3ग में, “उधार या ऋण” शब्दों के पश्चात्, “या डिबेंचर या कोई अन्य लिखत, जिसके द्वारा संदाय करने का दायित्व किसी भावी तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 3गक में, “उधार या ऋण” शब्दों के पश्चात्, “या डिबेंचर या कोई अन्य लिखत, जिसके द्वारा संदाय करने का दायित्व किसी भावी तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण 3घ में, “उधार या ऋण” शब्दों के पश्चात्, “या डिबेंचर या कोई अन्य लिखत, जिसके द्वारा संदाय करने का दायित्व किसी भावी तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 50 में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 50 का संशोधन ।

“स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) की उपमद (आ) के अनुसार आस्ति समूह से किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल की रकम की कटौती का अंतरण होना समझा जाएगा ।”।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,--

धारा 56 का संशोधन ।

(क) खंड (viiख) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में, “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992” शब्दों और अंकों के पश्चात्, “या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन विनियमित” शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2023 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (x) में,--

(i) उपखंड (ग) में मद (आ) के पश्चात् आने वाले परंतुक में, खंड (XI) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

‘(XII) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कोविड-19 से संबंधित किसी रुग्णता के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा अपने चिकित्सा उपचार पर या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तव में उपगत कोई व्यय ;

(XIII) किसी मृतक व्यक्ति के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा,--

(अ) मृतक व्यक्ति के नियोक्ता से ; या

(आ) किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से, उस सीमा तक, जहां ऐसी राशि या ऐसी राशियों का समग्र दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो,

जहां ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से संबंधित रुग्णता के कारण हुई है और संदाय,—

(i) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से बारह मास के भीतर प्राप्त हो ; और

(ii) ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के खंड (XII) और खंड (XIII) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यष्टि के संबंध में “कुटुंब” का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 10 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 में है ;;

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2023 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “निर्धारणीय”, “उचित बाजार मूल्य”, “आभूषण”, “नातेदार” और “स्टॉप शुल्क मूल्य” पदों के वही अर्थ होंगे, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं ; और

(ख) “संपत्ति” पद का वही अर्थ होगा, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड में उसका है और इसमें डिजिटल आस्ति (घ) भी सम्मिलित होगी ।’।

धारा 68 का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 68 में, 1 अप्रैल, 2023 से,—

(i) पहले परंतुक में, “परंतु” शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह कि जहां इस प्रकार प्रत्यय की गई राशि, ऋण या उधार या किसी ऐसी रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, से मिलकर बनी है, ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित किसी स्पष्टीकरण को तब तक असमाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक—

(क) व्यक्ति, जिसके नाम में ऐसे प्रत्यय को ऐसे निर्धारिती की बहियों में अभिलिखित किया गया है, इस प्रकार प्रत्यय की गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के संबंध में किसी स्पष्टीकरण का प्रस्ताव भी करता है ; और

(ख) पूर्वोक्त निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसा स्पष्टीकरण समाधानप्रद पाया गया है :

परंतु यह भी कि”;

(ii) दूसरे परंतुक में,—

(क) “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “पहले परंतुक” शब्द के स्थान पर, “पहले परंतुक या दूसरे परंतुक” शब्द रखे जाएंगे ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 79 में,—

धारा 79 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(च) पब्लिक सेक्टर कंपनी को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सामरिक अपविनिधान के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् ऐसी कंपनी की अंतिम धृति कंपनी, प्रत्यक्षतः या इसके समनुषंगी या समनुषंगियों के माध्यम से, ऐसी कंपनी की कुल मतदान शक्ति का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करना जारी रखती है ।”;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपधारा के खंड (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन सामरिक अपविनिधान के पूर्ण होने के पश्चात् किसी पूर्व वर्ष में नहीं किया जाता है, तो उपधारा (1) के उपबंध ऐसे पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए लागू होंगे ।”;

(iii) स्पष्टीकरण में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) “तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी” का वही अर्थ होगा, जो धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में उसका है ;

(ख) “सामरिक अपविनिधान” का वही अर्थ होगा, जो धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है ;”।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 79 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 79क का अंतःस्थापन ।

‘79क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन किसी अध्यपेक्षा या उस धारा की उपधारा (2क) से भिन्न धारा 133क के अधीन किसी सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय के अंतर्गत कोई

तलाशी, अध्यपेक्षा और सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप हानियों का कोई मुजरा न होना ।

अप्रकटित आय भी है, धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अप्रकटित आय, किसी हानि के विरुद्ध कोई मुजरा, चाहे अशेषित किया गया हो या अन्यथा या अनामेलित अवक्षयण को, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए उसकी कुल आय की संगणना में इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अप्रकटित आय” पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) उस धारा की उपधारा (2क) के अधीन से भिन्न, धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के दौरान पूर्ववर्ष की प्रस्तुत कोई आय, चाहे पूर्णतः हो या भागतः, किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में कोई प्रविष्टि या संव्यवहार पाए गए हैं, जो--

(अ) ऐसे पूर्ववर्ष से संबंधित साधारण अनुक्रम में रखे गए लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में, यथास्थिति, तलाशी या अध्यपेक्षा या सर्वेक्षण की तारीख को या उसके पूर्व अभिलिखित नहीं की गई है ; या

(आ) यथास्थिति, तलाशी या अध्यपेक्षा या सर्वेक्षण की तारीख से पूर्व प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्रकट नहीं की गई है ; या

(ii) पूर्ववर्ष के संबंध में, साधारण अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय के संबंध में किसी प्रविष्टि द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः प्रस्तुत पूर्ववर्ष की कोई आय, जो मिथ्या पाई जाती है और यदि तलाशी आरंभ नहीं की गई होती या सर्वेक्षण नहीं किया गया होता या अध्यपेक्षा नहीं की गई होती, तो इस प्रकार नहीं पाई जाती।”।

धारा 80गघ
का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (2) में, “केन्द्रीय सरकार”, शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार” शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2020 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 80घघ का
संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

(i) उपधारा (2) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(क) (i) किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में, जिसके नाम पर स्कीम में अभिदाय किया गया है ; या

(ii) ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु होने पर तथा ऐसी स्कीम में संदाय या निक्षेप बंद कर

दिया गया है,--

तो उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट स्कीम आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए वार्षिकी या एकमुश्त रकम के संदाय का उपबंध करती हैं ;

(II) उपधारा (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“(3क) उपधारा (3) के उपबंध आश्रित द्वारा, जो निःशक्त व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के पूर्व, उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट शर्तों को लागू करके वार्षिकी या एकमुश्त के माध्यम से प्राप्त रकम को लागू नहीं होंगे।”।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग की उपधारा (4) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, “2022” अंकों के स्थान पर, “2023” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक की उपधारा (2) के खंड (घ) में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

धारा 80ठक का संशोधन ।

(i) “जो कोई वायुयान या वायुयान का इंजन है” शब्दों के स्थान पर, “जो कोई वायुयान या पोत का इंजन है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में, ‘प्रयोजनों के लिए, “वायुयान” शब्दों के स्थान पर, ‘प्रयोजनों के लिए, “वायुयान” और “पोत” शब्द रखे जाएंगे ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 92गक की उपधारा (9) के परंतुक में, “2022” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 92गक का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 94 में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

धारा 94 का संशोधन ।

“(i) उपधारा (8) में, “यूनिटें” और “यूनिटों”, शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “प्रतिभूतियां या यूनिट” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण में,--

(क) खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘(कक) “रिकार्ड तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो,--

(i) किसी कंपनी द्वारा ;

(ii) धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में यथानिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि या विनिर्दिष्ट उपक्रम या विनिर्दिष्ट कंपनी के प्रशासक द्वारा ; या

(iii) धारा 2 के खंड (13ख) में परिभाषित कारबार न्यास

द्वारा ; या

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ख) में परिभाषित वैकल्पिक विनिधान निधि द्वारा,

1992 का 15

यथास्थिति, प्रतिभूतियों या यूनिटों के धारक के हक के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, लाभांश, आय या किसी प्रतिफल के बिना अतिरिक्त प्रतिभूतियां या यूनिट प्राप्त करने के लिए नियत की जाए,;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘(घ) “यूनिट” से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,--

(i) धारा 2 के खंड (13क) में परिभाषित कारबार न्यास की यूनिट ;

(ii) धारा 115कख के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में यथापरिभाषित यूनिट ; या

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ख) में परिभाषित वैकल्पिक विनिधान निधि में विनिधानकर्ता का फायदाग्राही हित और इसके अंतर्गत शेयर या भागीदारी हित भी होंगे ।’।

1992 का 15

धारा 115खकख का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख की उपधारा (2) के खंड (क) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 115खखघ का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2023 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“(4) इस धारा के उपबंध, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष को लागू नहीं होंगे ।”।

नई धारा 115खखज और 115खखझ का अंतःस्थापन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखछ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2023 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

‘115खखज. (1) जहां निर्धारिती की कुल आय में, आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से कोई आय सम्मिलित है, संदेय आय-कर--

आभासी डिजिटल आस्तियों से आय पर कर ।

(क) ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय पर आय-कर

की तीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम ; और

(ख) आय-कर की रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि निर्धारिती की कुल आय में से खंड (क) में निर्दिष्ट आय से घटा दिया जाता,

का योग होगा ।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) (अर्जन की लागत से भिन्न) किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरा के संबंध कोई कटौती निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से संगणित किसी हानि का कोई मुजरा, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन संगणित आय के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, और ऐसी हानि को पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अग्रनीत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

115खखझ. (1) जहां किसी निर्धारिती, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था किसी या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था के निमित्त कोई आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, की आय में किसी विनिर्दिष्ट आय के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर--

कतिपय संस्थाओं की विनिर्दिष्ट आय ।

(i) विनिर्दिष्ट आय के योग पर तीस प्रतिशत की दर से संगणित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि निर्धारिती की कुल आय को खंड (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट आय के योग से घटा दिया जाता,

का योग होगा ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरा के संबंध में कोई कटौती निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट आय की संगणना करने में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट आय” से निम्नलिखित अभिप्रेत है,--

(क) आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक संचयित या अलग रखी गई आय, जहां ऐसा संचयन अधिनियम के किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाता है ; या

(ख) धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 या धारा 11 की उपधारा (1ख) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट समझी गई आय ; या

(ग) कोई आय, जो धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उपबंधों के अतिक्रमण के कारण धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन छूट प्राप्त नहीं है या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाने वाली कोई आय है ; या

(घ) कोई आय, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक के अधीन आय समझा जाता है या जिसे धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाता है ; या

(ङ) कोई आय, जो धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं है ।'।

धारा 115अग
का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115अग की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2023 से रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति,-

(i) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित कोई यूनिट है और अपनी आय एकमात्र रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है, वहां उपधारा (1) के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “साढ़े अठारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “नौ प्रतिशत” शब्द रख दिए गए थे ;

(ii) एक सहकारी सोसाइटी है, वहां उपधारा (1) के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “साढ़े अठारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “पंद्रह प्रतिशत” शब्द रख दिए गए थे ।”।

धारा 115अघ
का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 115अघ के खंड (ख) में, उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2023 से रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(i) किसी निर्धारिती की दशा में जो धारा 15अग की उपधारा (4) के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई यूनिट है, नौ प्रतिशत की दर से ;

(ii) किसी निर्धारिती की दशा में जो धारा 15अग की उपधारा (4) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कोई सहकारी सोसाइटी है, पंद्रह प्रतिशत की दर से ;”।

धारा 115नघ
का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

(क) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित

उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में—

(क) किसी ऐसे रूप में संपरिवर्तित हो गया है, जो धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क के अधीन अनुमोदन का पात्र नहीं है ;

(ख) किसी ऐसे अस्तित्व, जो इसके लिए समान उद्देश्य रखने वाला कोई न्यास या संस्था है, से भिन्न किसी अन्य अस्तित्व में विलय हो गया है जिसके उद्देश्य उसके समान हैं और वह धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क के अधीन अनुमोदित है ; या

(ग) जो विघटन पर अपनी सभी आस्तियां किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उस मास के, जिसमें विघटन होता है, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर अंतरित करने में असफल रहता है,

तब ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय के संबंध में प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट तारीख को विनिर्दिष्ट व्यक्ति की अनुवर्धित आय कर से प्रभार्य होगी और ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति अनुवर्धित आय पर अधिकतम सीमांत दर पर अतिरिक्त आय-कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुवर्धित आय पर कर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनुवर्धित आय से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का सकल उचित बाजार मूल्य मूल्यांकन की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, के अनुसार संगणित ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कुल दायित्व से अधिक हो जाता है :

परंतु ऐसी आस्ति से संबंधित इतनी अनुवर्धित आय को जो निम्नलिखित आस्ति और दायित्व के कारण है, यदि कोई हो, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए छोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :-

(i) कोई ऐसी आस्ति, जिसके संबंध में यह साबित किया गया है कि जिसका विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारा 10 के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की उसकी आय में से प्रत्यक्षतः अर्जित किया गया है ;

(ii) विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसके सृजन या स्थापना की तारीख से आरंभ होकर उस तारीख को, जिससे धारा 12कक या धारा 12कख

के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रभावी होता है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अर्जित ऐसी आस्ति, यदि विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त अवधि के दौरान धारा 11 और धारा 12 या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) का कोई फायदा मंजूर नहीं किया गया है :

परंतु यह और कि जहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उस तारीख से पूर्व, जिससे धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन प्रभावी होता है, प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष या वर्षों की बाबत धारा 11 और धारा 12 का या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) का फायदा, धारा 12क की उपधारा (2) के पहले परंतुक या दूसरे परंतुक या धारा 10 के खंड (23ग) के आठवें परंतुक के उपबंधों के कारण मंजूर किया गया है, वहां पहले परंतुक के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन को पूर्वतम पूर्ववर्ष के प्रथम दिन से प्रभावी हुआ समझा जाएगा :

परंतु यह और भी कि उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में अनुवर्धित आय की संगणना करते समय ऐसी आस्तियों और दायित्वों, यदि कोई हों, जो ऐसी आस्ति से संबंधित हैं, जिसे उक्त खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अंतरित कर दिया गया है, की अनदेखी कर दी जाएगी।”;

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में ऐसे रूप में संपरिवर्तित समझे जाएंगे, जो धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन के लिए पात्र न हों, यदि,—

(i) धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन इसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन रद्द कर दिया गया है; या

(ii) इसने अपने उद्देश्यों के उपांतरण को अंगीकार किया है या हाथ में लिया है, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं और,—

(क) इसने उक्त पूर्ववर्ष में धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन नए रजिस्ट्रीकरण या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं किया है; या

(ख) धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन नए

रजिस्ट्रीकरण या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viंक) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र फाइल किया है किंतु उक्त आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।”;

(ख) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में, “न्यास या संस्था” शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण में,--

(I) खंड (i) के उपखंड (क) में, “धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण” शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, “धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viंक) के अधीन अनुमोदन” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘(iiक) “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से,--

(क) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viंक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था, अभिप्रेत है ; या

(ख) धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था ;’।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 115नड में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

धारा 115नड का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष में “न्यास या संस्था” शब्दों के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “न्यास या संस्था” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 115नघ के खंड (iiक) में है।”।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 115नच में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

धारा 115नच का संशोधन ।

(क) पार्श्व शीर्ष में “न्यास या संस्था” शब्दों के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, “न्यास या संस्था” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” का वही अर्थ होगा, जो धारा 115नघ के खंड (iiक) में उसका है ।’।

धारा 119 का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “234ड” अंकों और अक्षर के पश्चात्, “, धारा 234च” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 132 का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (8) में, “धारा 153क या धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन निर्धारण” शब्दों के स्थान पर “धारा 153क या धारा 158खग के खंड (ग) या धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 132ख का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख में,--

(i) उपधारा (1) के खंड (i) में, “और धारा 153क और उस पूर्ववर्ष से, जिसमें, यथास्थिति, तलाशी आरंभ की जाती है या उसके लिए अध्यपेक्षा की जाती है या ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने पर” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “और उस पूर्ववर्ष से, जिसमें, यथास्थिति, तलाशी आरंभ की जाती है या उसके लिए अध्यपेक्षा की जाती है या ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के पूरा होने पर” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के खंड (ख) में, “धारा 153क के अधीन या अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के पूरा होने” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 133क का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 133क में उपधारा (6) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (क) में, दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :-

“जो प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त से अधीनस्थ है, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,”।

धारा 139 का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,--

(i) उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(8क) कोई व्यक्ति, चाहे उसने किसी निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) के लिए उपधारा (1) या उपधारा

(4) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की है अथवा नहीं की है, अपनी आय या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, की विहित प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी विशिष्टियों को अधिकथित करते हुए, जो विहित की जाए, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास की अवधि के भीतर किसी भी समय ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा :

परंतु यह कि इस धारा के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे यदि अधिनियम के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे व्यक्ति की अद्यतन विवरणी,--

(क) हानि से संबंधित कोई विवरणी है ; या

(ख) का प्रभाव ऐसा है, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर अवधारित कुल कर दायित्व में कमी हो रही है ; या

(ग) के परिणामस्वरूप उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर शोधय प्रतिदाय में वृद्धि होती है :

परंतु यह और ऐसे पूर्व वर्ष, जिसमें ऐसी तलाशी आरंभ की गई थी या सर्वेक्षण किया गया था या अध्यपेक्षा की गई थी, से सुसंगत निर्धारण वर्ष और ऐसे निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती दो निर्धारण वर्षों के लिए उस दशा में कि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा, जहां,--

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन उससे लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, धारा 133क की उपधारा (2क) से भिन्न किसी अन्य उपधारा के अधीन कोई सर्वेक्षण किया गया है ; या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, धारा 132 या धारा 132क के अधीन इस प्रभाव की कोई सूचना जारी की गई है कि कोई धन, बुलियन, आभूषण या कोई मूल्यवान वस्तु या चीज का ऐसे व्यक्ति से अभिग्रहण किया गया है या अध्यपेक्षा की गई है और वह ऐसे व्यक्ति की है ; या

(घ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, धारा 132 या धारा 132क के अधीन अभिगृहीत या अध्यपेक्षित किन्हीं लेखाबहियों या दस्तावेजों के संबंध में इस प्रभाव की कोई सूचना जारी की गई है कि वह ऐसे

अन्य व्यक्ति की है या उससे संबंधित है या उसमें अंतर्विष्ट कोई अन्य जानकारी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है :

परंतु यह भी कि किसी व्यक्ति द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उस दशा में कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाएगी, जहां,--

(क) उसके द्वारा इस उपधारा के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत कर दी गई है ; या

(ख) उसकी दशा में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन आय के निर्धारण या पुनः निर्धारण या उसकी पुनः संगणना या पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही लंबित है या ऐसी कार्यवाही को पूरा किया गया है ; या

(ग) ऐसे व्यक्ति के संबंध में निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध है कि सुसंगत निर्धारण वर्ष में उस व्यक्ति के कब्जे में तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 या बेनामी संपत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1988 या धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कोई काला धन है और उस संबंध में इस उपधारा के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख से पूर्व उसे संसूचना दे दी गई है ; या

1976 का 13
1988 का 45
2003 का 15
2015 का 22

(घ) ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन निर्दिष्ट किसी करार के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई सूचना प्राप्त हुई है और उस संबंध में इस उपधारा के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख से पूर्व उसे संसूचना दे दी गई है ; या

(ङ) ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस उपधारा के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अध्याय 22 के अधीन कोई अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं ; या

(च) वह ऐसा व्यक्ति है या वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है, जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए ।”;

(ii) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(गक) ऐसी विवरणी के साथ धारा 140ख के अधीन यथापेक्षित कर के संदाय का सबूत संलग्न किया जाएगा, यदि आय की विवरणी को उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत किया गया है ।”।

अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

‘140ख. (1) जहां धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है और निम्नलिखित को गणना में लेने के पश्चात्, धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर, कर संदेय है,--

अद्यतन विवरणी पर कर।

(i) कर की रकम, यदि कोई हो, जो अग्रिम कर के रूप में पहले से ही संदत है ;

(ii) स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर ;

(iii) धारा 89 के अधीन दावा की गई कोई कर राहत ;

(iv) भारत से बाहर किसी देश में संदत कर के मद्दे धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कोई कर राहत या कर कटौती ;

(v) भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उस धारा में विनिर्दिष्ट संदत कर के मद्दे धारा 90क के अधीन दावा की गई कोई कर राहत ; और

(vi) धारा 115अकक या धारा 115अघ के उपबंधों के अनुसार, मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय,

ऐसा निर्धारिती, विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व विवरणी प्रस्तुत करने में किसी विलंब के लिए इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज और फीस या अग्रिम कर के संदाय में किसी व्यतिक्रम या विलंब के लिए ऐसे कर के साथ, उपधारा (3) के अनुसार संगणित अतिरिक्त आय-कर के संदाय का दायी होगा और विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा ।

(2) जहां निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट आय-कर की विवरणी (जिसे पहले की विवरणी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) प्रस्तुत की गई है और ऐसे निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर कर संदेय है,--

(क) निम्नलिखित को गणना में लेने के पश्चात्--

(i) धारा 140क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राहत या कर की रकम, जिसके लिए पूर्ववर्ती विवरणी में प्रत्यय लिया गया है ;

(ii) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार, किसी आय पर स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है तथा जिसको कुल आय की संगणना करने में गणना में लिया गया है तथा जिसको पूर्ववर्ती विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया

है ;

(iii) भारत से बाहर किसी देश में ऐसी आय पर संदत्त कर के लेखे धारा 90 या धारा 91 में दावा की गई कर राहत या कर कटौती, जिसको पूर्ववर्ती विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(iv) ऐसी आय पर उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के लेखे धारा 90क के अधीन दावा की गई कोई कर राहत, जिसको पूर्ववर्ती विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(v) धारा 115जकक या धारा 115जघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती विवरणी में कोई दावा नहीं किया गया है, और

(ख) जिसमें ऐसी पूर्ववर्ती विवरणी के संबंध में जारी प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम को जोड़ दिया गया हो,

ऐसा निर्धारिती, विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व पूर्वतन विवरणी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय ब्याज की रकम द्वारा घटाई गई, उपधारा (3) के अनुसार यथा संगणित अतिरिक्त आय-कर के संदाय, अग्रिम कर के संदाय में किसी व्यतिक्रम या विलंब के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदत्त ब्याज की रकम के साथ संदाय का दायी होगा और ऐसी विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करते समय संदेय अतिरिक्त आय-कर निम्नलिखित के बराबर होगा,--

(i) यदि ऐसी विवरणी धारा 139 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन उपलब्ध समय के अवसान के पश्चात् और सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से बारह मास की अवधि के पूरा हो जाने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के कुल योग के पच्चीस प्रतिशत ; या

(ii) यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से बारह मास की अवधि के अवसान के पश्चात्, किन्तु सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास की अवधि के पूरा हो जाने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में यथा अवधारित संदेय कर और ब्याज के कुल योग के पचास प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—“अतिरिक्त आय-कर” की संगणना के प्रयोजनों के लिए उसमें ऐसे कर पर अधिभार और उपकर, चाहे किसी भी नाम से जात हो, सम्मिलित होंगे ।’;

(4) धारा 234ख के स्पष्टीकरण 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, यथास्थिति, ऐसी रकम पर की जाएगी, जो निर्धारित कर के बराबर है या ऐसी रकम पर की जाएगी, जो निर्धारित कर और संदत्त अग्रिम कर के अंतर के बराबर है, जहां "निर्धारित कर" से धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में यथा घोषित कुल आय पर कर अभिप्रेत है,--

(क) निम्नलिखित को गणना में लेने के पश्चात्,--

(i) धारा 140क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राहत की रकम या कर की रकम, जिसके लिए पूर्ववर्ती विवरणी में प्रत्यय के लिए दावा किया गया है ;

(ii) किसी ऐसी आय पर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है और जिसे ऐसी कुल आय की संगणना करने हेतु गणना में लिया गया है, अध्याय 27ख के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कर, जिसको पूर्ववर्ती विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(iii) ऐसी आय पर भारत के बाहर किसी देश में संदत्त कर के मद्दे धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कोई कर राहत या कर की कटौती, जिसको पूर्ववर्ती विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(iv) ऐसी आय पर, उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के लेखे धारा 90क के अधीन दावा की गई कोई कर राहत, जिसको पूर्ववर्ती विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(v) धारा 115अक या धारा 115अघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती विवरणी में कोई दावा नहीं किया गया है, और

(ख) जिसमें ऐसी पूर्ववर्ती विवरणी के संबंध में जारी प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम को जोड़ दिया गया हो ।

(5) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगी ।

(6) उपधारा (5) के अधीन जारी प्रत्येक दिशानिर्देश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में यथा घोषित कुल आय पर धारा 140क की उपधारा (1क) के उपबंधों के अनुसार कर की संगणित रकम पर की जाएगी ;

(ii) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234ग के अधीन संदेय ब्याज की संगणना धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत की गई कुल आय को विवरणी आय के रूप में हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी ;

(iii) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, संदेय ब्याज, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार आय पर प्रभार्य ब्याज की ऐसी रकम होगी, जिसमें से पूर्ववर्ती विवरणी के अनुसार संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, को घटा दिया जाए :

परंतु इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्ववर्ती विवरणी में संदत्त ब्याज उस दशा में शून्य होगा, यदि ऐसी विवरणी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अद्यतन विवरणी है ।'

धारा 143 का संशोधन ।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) में,--

(क) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु,--

- (क) धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम ;
- (ख) धारा 10 के खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार एजेंसी ;
- (ग) धारा 10 के खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था ;
- (घ) धारा 10 के खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था,

की दशा में, जिससे धारा 139 की उपधारा (4ग) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, ऐसे अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था की कुल आय या हानि का निर्धारण करने वाला कोई आदेश, धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, यदि,--

(i) निर्धारण अधिकारी ने ऐसे अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था द्वारा, यथास्थिति, खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) के उपबंधों के उल्लंघन में केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है, जहां उसके विचार में ऐसा उल्लंघन हुआ है ; और

(ii) ऐसे अनुसंधान संगम या अन्य संगम या संस्था को अनुदत्त

अनुमोदन वापस ले लिया गया है या ऐसी समाचार एजेंसी या संगम या संस्था के संबंध में जारी अधिसूचना विखंडित कर दी गई है :”;

(ख) दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था ने, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 या धारा 12कख की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई विनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है, तो वह,--

(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, यथास्थिति, अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण वापस लेने के लिए निर्देश भेजेगा ; और

(ख) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय या हानि का निर्धारण करने वाला कोई आदेश, उसके द्वारा धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 12कख की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश को प्रभावी किए बिना नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि”;

(ग) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (1) के खंड (क) में, “या उपधारा (5) के अधीन विवरण या संशोधित विवरण” शब्दों, अंक और कोष्ठक के पश्चात्, “या उपधारा (8क) के अधीन अद्यतन विवरणी” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 144 का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 144ख में,--

धारा 144ख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) से उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

‘(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना, निम्नलिखित प्रक्रिया के

अनुसार, पहचानविहीन रीति में किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, इस धारा के अधीन पहचानविहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए चयनित मामलों को, स्वचालित आबंटन प्रक्रिया के माध्यम से, किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपेगा ;

(ii) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारिती को यह सूचित करेगा कि उसके मामले में निर्धारण इस धारा के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ;

(iii) धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से निर्धारिती पर तामील की जाएगी और निर्धारिती, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर, ऐसी सूचना का अपना प्रत्युत्तर राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल कर सकेगा, जो उसे निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा ;

(iv) जहां खंड (i) के अधीन कोई मामला निर्धारण इकाई को सौंपा जाता है, वहां वह राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से,-

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिप्राप्त करने का ;

(ख) सत्यापन इकाई द्वारा जांच या सत्यापन करने का ;

(ग) तकनीकी इकाई से, सन्निकट मूल्य के अवधारण, संपत्ति के मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण वापस लेने, अनुमोदन, तकनीकी इकाई को निर्दिष्ट करके छूट या अन्य तकनीकी सामग्री के संबंध में, तकनीकी सहायता प्राप्त करने का,

अनुरोध कर सकेगी ।

(v) जहां खंड (v) के उपखंड (क) के अधीन अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को, निर्धारण इकाई द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए समुचित सूचना या अध्यपेक्षा तामील करेगा और यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो उत्तर निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा ;

(vi) जहां,-

(क) निर्धारण इकाई द्वारा खंड (iv) के उपखंड (ख) के अधीन सत्यापन इकाई के माध्यम से जांच या सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी सत्यापन इकाई को सौंपा जाएगा ;

(ख) निर्धारण इकाई द्वारा खंड (iv) के उपखंड (ग) के अधीन तकनीकी इकाई को प्रतिनिर्देश के लिए अनुरोध किया गया है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा उसे स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से सौंपा जाएगा ;

(vii) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, यथास्थिति, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई से खंड (vi) में निर्दिष्ट अनुरोध के आधार पर प्राप्त रिपोर्ट को संबद्ध निर्धारण इकाई को भेजेगा ;

(viii) जहां निर्धारिती, खंड (v) के अधीन तामील की गई सूचना या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना के निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता को निर्धारण इकाई को सूचित करेगा ;

(ix) निर्धारण इकाई, खंड (viii) में यथा निर्दिष्ट ऐसे निर्धारिती को, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से धारा 144 के अधीन, उस सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक दर्शित करने का अवसर देते हुए, सूचना की तामील करेगा कि उसके मामले में उसके सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्धारण पूरा क्यों नहीं किया जाना चाहिए ;

(x) निर्धारिती, खंड (ix) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय या ऐसे समय के भीतर, जिसका इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर विस्तार किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल करेगा, जो उसे निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा ;

(xi) जहां निर्धारिती, खंड (ix) के अधीन तामील की गई सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, यदि कोई हो, फाइल करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता निर्धारण इकाई को सूचित करेगा ;

(xii) निर्धारण इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में,--

(क) एक आय या हानि अवधारण प्रस्ताव तैयार करेगी, जहां निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई परिवर्तन

प्रस्तावित नहीं किया जाता और ऐसे आय या हानि अवधारण प्रस्ताव की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगा ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, निर्धारिती की आय के लिए प्रस्तावित निर्धारिती के हित के प्रतिकूल परिवर्तनों का कथन करने वाली कारण बताओ सूचना तैयार करेगी और उसे यह प्रस्तुत करने के लिए कहेगी कि उसे प्रस्तावित परिवर्तन क्यों नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से निर्धारिती को ऐसी कारण बताओ सूचना की तामील करेगी ;

(xiii) निर्धारिती, खंड (xii) के उपखंड (ख) के अधीन तामील की गई कारण बताओ सूचना का उत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो उत्तर निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा ;

(xiv) जहां निर्धारिती, खंड (xii) के उपखंड (ख) के अधीन उसे तामील की गई सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर, यदि कोई हो, फाइल करने में असफल रहता है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता निर्धारण इकाई को सूचित करेगा ;

(xv) निर्धारण इकाई, यथास्थिति, खंड (xiii) के अधीन प्राप्त प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् या खंड (xiv) के अधीन संसूचना की प्राप्ति के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करके, एक आय या हानि अवधारण प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xvi) यथास्थिति, खंड (xii) के उपखंड (क) या खंड (xv) में यथानिर्दिष्ट आय या हानि अवधारण प्रस्ताव की प्राप्ति पर, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर,--

(क) निर्धारण इकाई को आय या हानि अवधारण प्रस्ताव के अनुसार प्रारूप आदेश तैयार करने के लिए सूचित करेगा, जो तत्पश्चात् प्रारूप आदेश तैयार करेगी ; या

(ख) आय या हानि अवधारण प्रस्ताव को ऐसे प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करने के लिए स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से पुनर्विलोकन इकाई को सौंपेगा ;

(xvii) पुनर्विलोकन इकाई, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र

द्वारा, खंड (xvi) के उपखंड (ख) के अधीन उसे सौंपे गए आय या हानि अवधारण प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करेगी, तदुपरि वह पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xviii) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, खंड (xvii) के अधीन पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसे उस निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा, जिसने आय या हानि अवधारण प्रस्ताव प्रस्तावित किया था ;

(xix) निर्धारण इकाई, ऐसी पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, उसमें प्रस्तावित कुछ या सभी उपांतरणों को स्वीकृत या अस्वीकृत करेगी तथा ऐसे उपांतरणों को अस्वीकृत करने की दशा में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् प्रारूप आदेश तैयार करेगी ;

(xx) यथास्थिति, खंड (xvi) के उपखंड (क) या खंड (xix) के अधीन तैयार प्रारूप आदेश को राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxi) किसी पात्र निर्धारिती की दशा में, जहां कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, जो ऐसे निर्धारिती के धारा 144ग की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट हित के प्रतिकूल है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारिती को खंड (xx) में निर्दिष्ट सुसंगत प्रारूप आदेश की तामील करेगा ;

(xxii) खंड (xxi) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य दशा में, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार अंतिम निर्धारण आदेश पारित करने के लिए निर्धारण इकाई को सूचित करेगा, जो इसके पश्चात्, अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगी और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगी तथा उसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxiii) उपखंड (xxii) के अनुसार अंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, मांग सूचना के साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती को उसके द्वारा संदेय या उसे शोधय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग सूचना के साथ, निर्धारिती को शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करेगा ;

(xxiv) जहां खंड (xxi) में यथा निर्दिष्ट प्रारूप आदेश की, निर्धारिती को तामील की जाती है, तो ऐसा निर्धारिती,--

(क) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को ऐसे प्रारूप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की उसकी स्वीकृति फाइल करेगा ;

या

(ख) ऐसे परिवर्तनों पर अपने आक्षेप, यदि कोई हों, धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर--

(I) विवाद समाधान पैनल, और

(II) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र,

को फाइल करेगा ;

(xxv) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र,--

(क) पात्र निर्धारिती से स्वीकृति की प्राप्ति पर ; या

(ख) यदि पात्र निर्धारिती से धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं,

तो निर्धारण इकाई को प्रारूप आदेश के आधार पर, निर्धारण पूर्ण करने के लिए सूचित करेगा ;

(xxvi) निर्धारण इकाई, खंड (xxv) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर, धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, सुसंगत प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगी और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगी और आदेश को राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxvii) जहां खंड (xxiv) के उपखंड (ख) के अधीन पात्र निर्धारिती, विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल करता है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, फाइल किए गए आक्षेपों की एक प्रति के साथ ऐसी सूचना निर्धारण इकाई को भेजेगा ;

(xxviii) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, खंड (xxvii) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की प्राप्ति पर, ऐसे निदेश निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा ;

(xxix) निर्धारण इकाई, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप धारा 144ग की उपधारा (13) में अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण पूर्ण करेगी और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxx) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, यथास्थिति, खंड (xxvi) या खंड (xxix) में निर्दिष्ट निर्धारण आदेश की प्राप्ति पर, और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए निर्धारिती को उसके द्वारा संदेय या उसे शोध्दय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग सूचना के साथ, निर्धारिती को शास्ति

कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करेगा ;

(xxxix) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारण पूर्ण होने के पश्चात्, ऐसी कार्रवाई के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, उक्त मामले में अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को, उस मामले का संपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतरित करेगा ;

(xxxixii) यदि निर्धारण इकाई, उसके समक्ष कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, लेखाओं की प्रकृति और जटिलता, लेखाओं की मात्रा, लेखों के सही होने के संबंध में संदेह, लेखों में संव्यवहारों की बहुलता या निर्धारिती के कारबार क्रियाकलाप की विशेषीकृत प्रकृति और राजस्व के हित पर ध्यान रखते हुए, की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह, लिखित में, कारण अभिलेखबद्ध करके, यह कथन करते हुए कि धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंध और ऐसा मामला उपधारा (7) के उपबंधों के अनुसार व्योहार किया जाएगा, उस मामले को राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को निर्दिष्ट करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पहचानविहीन निर्धारण, ऐसे राज्य क्षेत्रीय क्षेत्रों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामलों या मामलों के वर्ग, जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में किया जाएगा ।

(3) बोर्ड, इस धारा के अधीन पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित केन्द्र और इकाइयां स्थापित कर सकेगा और उनके कृत्य उनकी अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थात्,—

(i) केंद्रीयकृत रीति में पहचानविहीन निर्धारण कार्यवाहियां करने को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र ;

(ii) उतनी निर्धारण इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को, निर्धारण करने संबंधी, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन (प्रतिदाय सहित) किसी दायित्व के अवधारण के लिए तात्विक बिन्दुओं या सामग्री की पहचान भी है, कृत्य का पालन करने, इस प्रकार पहचाने गए बिन्दुओं या विवाचकों पर जानकारी या स्पष्टीकरण की ईप्सा करने, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सामग्री का विश्लेषण करने को सुकर बनाने तथा ऐसे अन्य कृत्य, उसे पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और “निर्धारण इकाई” पद से, इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त किया गया है, बोर्ड द्वारा इस प्रकार समनुदेशित शक्तियां रखने वाला निर्धारण अधिकारी निर्दिष्ट होगा ;

(iii) उतनी सत्यापन इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण

करने, सत्यापन के कृत्यों का पालन करने, जिसके अन्तर्गत जांच, प्रतिसत्यापन, लेखा बहियों की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा और कथनों का अभिलेखन भी है, को सुकर बनाने तथा ऐसे अन्य कृत्यों को, जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, करने हेतु आवश्यक समझे और "सत्यापन इकाई" पद से, इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त किया गया है, बोर्ड द्वारा इस प्रकार समनुदेशित शक्तियां रखने वाला निर्धारण अधिकारी निर्दिष्ट होगा :

परंतु इस धारा के अधीन सत्यापन इकाई के कृत्य का पालन इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन स्थापित किसी अन्य पहचानविहीन निर्धारण केंद्र में अवस्थित सत्यापन इकाई द्वारा भी किया जा सकेगा और सत्यापन के लिए अनुरोध ऐसी सत्यापन इकाई को पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से भी समनुदेशित किया जा सकेगा ;

(iv) उतनी तकनीकी इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को सुकर बनाने के लिए, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत विधिक, लेखांकन, न्याय संबंधी, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, अंतरण मूल्यांकन, डाटा विश्लेषण विज्ञान, प्रबंधन या कोई अन्य ऐसा तकनीकी विषय या धारा 90 या धारा 90क के अधीन किया गया करार, जो इस धारा के अधीन किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए अपेक्षित हो, भी है और "तकनीकी इकाई" पद से, इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त किया गया है, बोर्ड द्वारा इस प्रकार समनुदेशित शक्तियां रखने वाला निर्धारण अधिकारी निर्दिष्ट होगा ;

(v) उतनी पुनर्विलोकन इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने, उपधारा (1) के खंड (xvi) के उपखंड (ख) के अधीन सौंपे गए आय अवधारण प्रस्ताव के पुनर्विलोकन के कृत्य का पालन करने, जिसके अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या अभिलेख पर सुसंगत और तात्विक साक्ष्य लाया गया है, सुसंगत तथ्य बिन्दु और विधि के प्रश्न को सम्यक् रूप से सम्मिलित किया गया है, परिवर्धन या नामंजूरी अपेक्षित करने वाले मुद्दे सम्मिलित किए गए हैं, और ऐसे अन्य कृत्य, जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों, को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझे जाएं और "पुनर्विलोकन इकाई" पद से, इस धारा में जहां कहीं प्रयुक्त किया गया है, बोर्ड द्वारा इस प्रकार समनुदेशित शक्तियां रखने वाला निर्धारण अधिकारी निर्दिष्ट होगा ।

(4) निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और पुनर्विलोकन

इकाई के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(i) यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक ;

(ii) यथास्थिति, उपायुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी ;

(iii) ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या सलाहकार, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं ।

(5) निम्नलिखित के बीच सभी संसूचनाएं,--

(i) निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य ऐसे ब्यौरों के संबंध में, जो पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से होंगी ;

(ii) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के बीच अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होंगी ; और

(iii) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र तथा विभिन्न इकाइयों के बीच सभी अन्यय रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होंगी :

परंतु इस उपधारा के उपबंध, सत्यापन इकाई द्वारा इस संबंध में बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में की गई जांच या सत्यापन को लागू नहीं होंगे ।

(6) इस धारा के अधीन पहचानविहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए,--

(i) किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन--

(क) राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से किया जाएगा ;

(ख) यथास्थिति, निर्धारण इकाई या सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या पुनर्विलोकन इकाई द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके किया जाएगा ;

(ग) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसके डिजिटल हस्ताक्षर चस्पा करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन या अभिहित पोर्टल में उसके रजिस्ट्रीकृत खाते में लॉग-इन करके किया जाएगा ;

(ii) ऐसे प्रेषिती को, जो निर्धारिती है, प्रत्येक सूचना या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना,--

(क) निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत पते पर उसकी अधिप्रमाणित प्रति को रखकर ; या

(ख) उसकी अधिप्रमाणित प्रति को निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेज कर ; या

(ग) निर्धारिती की मोबाइल ऐप पर अधिप्रमाणित प्रति को अपलोड करके,

परिदत्त की जाएगी और उसके पश्चात् समयोचित चेतावनी दी जाएगी ;

(iii) प्रत्येक सूचना या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिकी संसूचना का परिदान, ऐसे प्रेषिती को, जो कोई अन्य व्यक्ति है, उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति, ऐसे व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर भेजकर किया जाएगा, जिसके पश्चात् परिदान के समयोचित चेतावनी दी जाएगी ;

(iv) निर्धारिती, किसी सूचना या आदेश या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रत्युत्तर, अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से देगा और एक बार राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा उसकी प्रत्युत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर सृजित द्रुतान्वेषण परिणाम को अन्तर्विष्ट करते हुए, अभिस्वीकृति भेजे जाने पर, प्रत्युत्तर को अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा ;

(v) इलैक्ट्रॉनिकी अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति के समय और स्थान का अवधारण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

2000 का 21

(vi) किसी व्यक्ति से, व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में इस उपधारा के अधीन स्थापित किसी इकाई के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

(vii) उस दशा में, जहां आय या हानि अवधारण प्रस्ताव या प्रारूप आदेश में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है और निर्धारिती को, ऐसा हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना की तामील करके अवसर प्रदान किया गया है कि ऐसे आय या हानि अवधारण प्रस्ताव के अनुसार निर्धारण क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, वहां, यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकेगा, जिससे वह सुसंगत इकाई में के आय-कर प्राधिकारी के समक्ष अपना मौखिक निवेदन या अपना मामला प्रस्तुत कर सके ;

(viii) जहां व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध प्राप्त हुआ है, वहां सुसंगत इकाई का आय-कर प्राधिकारी, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण

केंद्र के माध्यम से ऐसी सुनवाई अनुज्ञात करेगा, जो अनन्य रूप से वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसी ऐसे दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है ;

(ix) उपधारा (5) के परंतुक के अधीन रहते हुए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की कोई परीक्षा या कथन का अभिलेखन (धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के अनुक्रम में अभिलिखित कथन से भिन्न) अनन्य रूप से, सुसंगत इकाई में के आय-कर प्राधिकारी द्वारा वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है ;

(x) बोर्ड, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है, वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी में सहायता करता है, के लिए उपयुक्त सुविधाएं ऐसे स्थानों पर, जो आवश्यक हों, स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति को, केवल इस विचारण के आधार पर कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी तक पहुंच नहीं है, पहचानविहीन निर्धारण की प्रसुविधा से इंकार न किया जा सके ;

(xi) राष्ट्रीय पहचानविहीन केंद्र में का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, स्वचालित और यांत्रिक वातावरण में, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और स्थापित इकाई के प्रभावी कार्यकरण के लिए विनिर्दिष्ट रीति में मानक, प्रक्रियाएं और पद्धतियां अधिकथित करेगा ।

(7)(क) राष्ट्रीय पहचानविहीन केंद्र में का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, यदि वह समुचित समझता है कि धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का उस मामले में अवलंब लिया जा सकेगा,--

(i) उपधारा (1) के खंड (xxxii) के अधीन निर्धारण इकाई से प्राप्त निर्देश उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्नेषित

करेगा और तदनुसार निर्धारण इकाई को सूचित करेगा ;

(ii) उपधारा (8) के अनुसार ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामला अंतरित करेगा ;

(ख) जहां खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा कोई निर्देश प्राप्त किया जाता है, वहां वह उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का अवलंब लेने का निदेश देगा ;

(ग) जहां खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट निर्देश उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित नहीं किया गया है, तो निर्धारण इकाई इस धारा में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण पूर्ण करने की कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगी ।

(8) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय पहचानविहीन केन्द्र का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, निर्धारण के किसी प्रक्रम पर, यदि वह आवश्यक समझे, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे मामले में अधिकारिता रखने वाले किसी निर्धारण अधिकारी को, मामला अंतरित कर सकेगा ।”;

(ख) उपधारा (9) का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ग) उपधारा (10) का लोप किया जाएगा ;

(घ) स्पष्टीकरण में,--

(i) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(ठक) “इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड” से सूचना प्रौद्योगिकी के भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित कोड अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (थ) का लोप किया जाएगा ।

धारा 144ग का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (14ग) के परंतुक में, “2022” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 148 का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 148 में,--

(i) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि ऐसा कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा, जहां निर्धारण अधिकारी ने विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से धारा 148क के खंड (घ) के अधीन इस प्रभाव का कोई आदेश पारित किया है कि वह इस धारा के अधीन कोई सूचना जारी करने के लिए उचित मामला है।”;

(ii) स्पष्टीकरण 1 में,--

(क) खंड (i) में “पताकाकृत” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(ii) इस प्रभाव का कोई लेखापरीक्षा आक्षेप कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है ; या

(iii) अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त कोई सूचना ; या

(iv) धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई सूचना ; या

(v) कोई सूचना, जो किसी अधिकरण या किसी न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप किसी कार्रवाई की अपेक्षा करती है।”;

(iii) स्पष्टीकरण 2 में,--

(क) खंड (ii) में, “या उपधारा (5)” शब्दों, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ख) दीर्घ पंक्ति में, “से सुसंगत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व तीन निर्धारण वर्षों के लिए,” शब्दों के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2021 से रखा गया समझा जाएगा ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 148क में,--

धारा 148क का संशोधन ।

(i) खंड (ख) में, “विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक में खंड (क) में, “जिनका संबंध निर्धारिती से है” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“जिनका संबंध निर्धारिती से है ; या

(घ) निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की दशा में किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई कर से प्रभार्य आय से संबंधित धारा 135क के

अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन कोई सूचना प्राप्त की है।”।

नई धारा 148ख
का अंतःस्थापन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 148क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

कतिपय मामलों
में निर्धारण,
पुनःनिर्धारण या
पुनःसंगणना के
लिए
पूर्वानुमोदन।

“148ख. संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति के किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना का कोई आदेश सिवाय अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्वानुमोदन से उस निर्धारण वर्ष के संबंध में पारित नहीं किया जाएगा, जिसके अधीन धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट परिस्थितियां आती हैं।”।

धारा 149 का
संशोधन।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष, किंतु दस वर्ष से अनधिक व्यपगत हो चुके हैं तो जब तक निर्धारण अधिकारी ने उसके कब्जे में की लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या साक्ष्य को, जिनसे यह प्रकटित होता है कि,--

(i) किसी आस्ति ;

(ii) किसी कार्यक्रम या अवसर के संबंध में संव्यवहार की बाबत व्यय ; या

(iii) लेखाबहियों में कोई प्रविष्टि या प्रविष्टियों,

के रूप दर्शित कर से प्रभार्य आय, जो निर्धारण से छूट गई है, पचास लाख रुपए या संभवतः पचास लाख रुपए या उससे अधिक है।”;

(ii) उपधारा (1) के पहले परंतुक में, “इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्दिष्ट समय-सीमा के परे होने के नाते ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया होता” शब्दों, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर, “यथास्थिति, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 153क या धारा 153ग के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा से परे होने के नाते उस समय धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन नोटिस जारी नहीं किया गया होता” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर से प्रभार्य आय, जो किसी आस्ति या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मूल्य के किसी कार्यक्रम या अवसर के संबंध में व्यय के रूप में है, निर्धारण से छूट गई है और ऐसे कार्यक्रम या अवसर के संबंध में ऐसी आस्ति में

विनिधान या व्यय निर्धारण वर्षों से सुसंगत एक या अधिक पूर्ववर्षों में उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किया गया है या उपगत किया गया है, तो धारा 148 के अधीन नोटिस, यथास्थिति, निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए ऐसे प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए जारी किया जाएगा।”।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,--

धारा 153 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की जाती है, वहां उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी विवरणी प्रस्तुत की गई थी, के अंत से नौ मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश किया जा सकेगा।”;

(ख) उपधारा (3) में,--

(i) “नए निर्धारण” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, नए निर्धारण या धारा 92गक के अधीन नए आदेश” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) “किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाला” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाला या धारा 92गक के अधीन कोई आदेश” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) में,--

(i) “निर्धारण अधिकारी” शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, “यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण मूल्यांकन अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “नया निर्धारण” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, नया निर्धारण या धारा 92गक के अधीन नया आदेश” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(5क) जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, धारा 263 के अधीन किसी आदेश या निदेश को धारा 92गक के अधीन किसी आदेश के माध्यम से प्रभावी करता है और ऐसे आदेश को निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करता है, तो निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण या

पुनःसंगणना के आदेश को उस मास के अंत से दो मास के भीतर, जिसमें अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को उसने प्राप्त किया था, अनुरूप उपांतरित करने के लिए कार्यवाही करेगा।”;

(ड) उपधारा (6) में, “उपधारा (3) और उपधारा (5)” शब्दों, कोष्ठकों और अंको के स्थान पर, “उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (5क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(च) स्पष्टीकरण 1 में,--

(I) खंड (iii) में, “धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के उपबंधों के उल्लंघन” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, “के उपबंधों के उल्लंघन” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) खंड (xi) में, “समाप्त होने वाली कालावधि :” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“समाप्त होने वाली कालावधि ; या

(xii) उस तारीख से आरंभ होने वाली कालावधि (जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी), जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, यथास्थिति, जिसको धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को ऐसे निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाता है,--

(क) जिसकी दशा में धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है ; या

(ख) जिससे कोई ऐसा धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, जिसे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित किया गया है, संबंधित है ; या

(ग) जिससे ऐसी लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज, जिनका अभिग्रहण या अध्यपेक्षा की गई है, संबंधित हैं या उनमें अंतर्विष्ट कोई सूचना संबंधित है, ;

(III) खंड (xii) के पश्चात्, दीर्घ पंक्ति से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xiii) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली कालावधि, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्रतिनिर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, जिसको, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 12कख की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है,।”

49. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख में,—

धारा 153ख का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात्, धारा 132 के अधीन आरंभ की गई किसी तलाशी या धारा 132क के अधीन की गई अध्यपेक्षा को लागू नहीं होगी ।”;

(ख) स्पष्टीकरण में—

(i) खंड (x) में “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, “निर्धारण अधिकारी ; या” शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2021 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

(xi) उस तारीख से आरंभ होने वाली कालावधि (जो एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी), जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की जाती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, जिसमें लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि या बुलियन या आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती है, जिसके मामले में, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है ।”;

50. आय-कर अधिनियम की धारा 156 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 156क का अंतःस्थापन ।

“156क. (1) जहां धारा 156 के अधीन कोई कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि, जिसके संबंध में मांग की सूचना जारी की गई है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथा परिभाषित किसी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप घटा दिया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश के अनुरूप संदेय मांग को उपांतरित करेगा और

कतिपय मामलों में सूचना का उपांतरण और पुनरीक्षण ।

तत्पश्चात्, संदेय राशि, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग की सूचना निर्धारिती को तामील करेगा, और ऐसी मांग की सूचना, धारा 156 के अधीन सूचना समझी जाएगी तथा इस अधिनियम के उपबंध ऐसी सूचना के संबंध में तदनुसार लागू होंगे।

(2) जहां उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय का आदेश, किसी अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उपांतरित कर दिया जाता है या उसका स्थगन कर दिया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट जारी की गई उपांतरित मांग की सूचना तदनुसार पुनरीक्षित की जाएगी।”।

धारा 158कक का संशोधन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 158कक की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह कि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् ऐसा कोई निदेश नहीं दिया जाएगा।”।

नई धारा 158कख का अंतःस्थापन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 158कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“158कख. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोलेजियम की यह राय है कि,—

(क) किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में कोई प्रश्न उदभूत हो रहा है (ऐसे मामले को इसमें सुसंगत मामला कहा गया है), जो निम्नलिखित से उदभूत किसी विधि के प्रश्न के समरूप है,—

(i) उसके मामले में किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए, या

(ii) किसी अन्य निर्धारिती के मामले में किसी निर्धारण वर्ष के लिए, और

(ख) ऐसा प्रश्न, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध धारा 260क के अधीन अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश, जो ऐसे निर्धारिती के पक्ष में है, में या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय में या संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका में ऐसा प्रश्न लंबित है (ऐसे मामले को इसमें इसके पश्चात् अन्य मामला कहा गया है),

कोलिजियम विनिश्चय कर सकेगा और आयुक्त या प्रधान आयुक्त को धारा 253 की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण या धारा 260क की उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालयों के समक्ष, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सुसंगत मामले में कोई अपील फाइल न करने के

प्रक्रिया, जहां विधि का कोई समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो।

विनिश्चय की सूचना दे सकेगा ।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन कोलिजियम से संसूचना की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय को आयुक्त (अपील) के आदेश की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर या अपील अधिकरण के आदेश की प्राप्ति से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर यह कथन करते हुए कि सुसंगत मामले में विधि के प्रश्न से उद्भूत अपील तब फाइल की जा सकेगी जब अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम हो जाए, विहित प्ररूप में आवेदन करने का निदेश देगा ।

(3) प्रधान आयुक्त या आयुक्त निर्धारण अधिकारी को उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का निदेश केवल तब देगा यदि निर्धारिती से इस निमित्त स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि अन्य मामले में विधि का प्रश्न सुसंगत मामले में उद्भूत होने वाले प्रश्न के समरूप है और यदि ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 253 की उपधारा (2) या धारा 260क की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

(4) जहां, यथास्थिति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयुक्त अपील का आदेश या अपील अधिकरण का आदेश, अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय के अनुरूप नहीं है और जब ऐसा आदेश प्राप्त होता है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय में इस धारा में यथाउपबंधित के सिवाय ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का निदेश देगा और अध्याय 20 के भाग ख के अन्य सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी, जिसको अन्य मामले में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश, इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित किया जाता है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कोलिजियम" दो या अधिक मुख्य आयुक्तों या प्रधान आयुक्तों या आयुक्तों, जैसा बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, से मिलकर बनेगा ।"।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 170 में,--

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

‘(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कारबार का पुनर्गठन किया जाता है, ऐसे पुनर्गठन के लंबित रहने के दौरान, पूर्वाधिकारी को किए गए निर्धारण या पुनःनिर्धारण या

धारा 170 का संशोधन ।

अन्य कार्यवाहियों को उत्तराधिकारी को किया गया समझा जाएगा, और इस अधिनियम के सभी उपबंध, यथाशक्य, तदनुसार लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) “कारबार पुनर्गठन” पद से एक या अधिक व्यक्तियों के कारबार का समामेलन या निर्विलयन या विलयन अंतर्वलित करने वाला कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है ;

(ii) “लंबित रहने” पद से उच्च न्यायालय या अधिकरण के समक्ष कारबार के ऐसे पुनर्गठन के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथा परिभाषित किसी न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा कारपोरेट दिवाला संकल्प के लिए आवेदन ग्रहण करने की तारीख से आरंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसको, यथास्थिति, ऐसे उच्च न्यायालय या अधिकरण या ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है ।’।

2016 का 31

नई धारा 170क का अंतःस्थापन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 170 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

किसी कारबार पुनर्गठन के संबंध में अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश का प्रभाव ।

‘170क. धारा 139 में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां उच्च न्यायालय या अधिकरण या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथापरिभाषित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश की तारीख से पूर्व, उस पूर्व वर्ष, जिसको ऐसा आदेश लागू होता है, से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के उपबंधों के अधीन उत्तराधिकारी द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा उत्तराधिकारी, उस मास, जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया था, के अंतिम दिन से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त आदेश के अनुसार और उस तक सीमित, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

2016 का 31

स्पष्टीकरण—इस धारा में, “कारबार पुनर्गठन” का वही अर्थ होगा, जो धारा 170 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण के खंड (i) उसका है ।’।

धारा 179 का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 179 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, “समापनाधीन” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) स्पष्टीकरण में, “ब्याज” शब्द के पश्चात्, “, फीस” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 194इक का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 194इक में,—

(i) उपधारा (1) में, “ऐसी राशि के एक प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी

राशि के एक प्रतिशत या ऐसी संपत्ति के स्टाम्प शुल्क, इनमें से जो भी उच्चतर हो" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "स्थावर संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, "स्थावर संपत्ति और ऐसी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य या दोनों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(ग) "स्टाम्प शुल्क मूल्य" का वही अर्थ होगा, जो धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड (च) में उसका है ।'

57. आय-कर अधिनियम की धारा 194झख की उपधारा (4) में, "या धारा 206कख" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 194झख का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम में धारा 194थ के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 194द का अंतःस्थापन ।

'194द. किसी निवासी को कोई फायदा या परिलब्धि, चाहे धनराशि में संपरिवर्तनीय हो या नहीं, उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जो ऐसे निवासी द्वारा कोई कारबार या कोई वृत्ति करने से उदभूत होता है, यथास्थिति, ऐसा फायदा या परिलब्धि ऐसे निवासी को उपलब्ध कराने से पूर्व सुनिश्चित करेगा कि ऐसे फायदे या परिलब्धि के संबंध में ऐसे फायदे या परिलब्धि के मूल्य या समग्र मूल्य के दस प्रतिशत की दर से कर की कटौती कर ली गई है :

किसी कारबार या वृत्ति की बाबत फायदे या परिलब्धि पर कर की कटौती ।

परंतु ऐसी दशा में, जहां, यथास्थिति, फायदा या परिलब्धि वस्तु के रूप में है या भागतः नकद और भागतः वस्तु के रूप में है, किंतु नकद में कोई भाग नहीं है या नकद में भाग ऐसे संपूर्ण फायदे या परिलब्धि के संबंध में कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऐसे फायदे या परिलब्धि को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, फायदे या परिलब्धि को निर्मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि फायदे या परिलब्धि के संबंध में कर संदत कर दिया गया है :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध किसी निवासी की दशा में वहां लागू नहीं होंगे, जहां ऐसे निवासी को वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जाने के लिए संभाव्य, लाभ या परिलब्धि का मूल्य या समग्र मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होता है :

परंतु यह भी कि इस धारा के उपबंध किसी व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुंब को लागू नहीं होंगे, कुल विक्रय, समग्र प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें, यथास्थिति, ऐसे फायदे या परिलब्धि को ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” से ऐसा फायदा या परिलब्धि उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति या किसी कंपनी की दशा में कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित स्वयं कंपनी अभिप्रेत है ।’।

नई धारा 194ध
का
अंतःस्थापन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 194द के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जुलाई, 2022 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

आभासी
आस्तियों के
अंतरण पर
संदाय ।

‘194ध. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के माध्यम से कोई राशि संदत्त करने के लिए उत्तरदायी है, वह निवासी के खाते में ऐसी राशि के जमा होने के समय या किसी भी ढंग से ऐसी राशि के संदाय के समय, जो भी पहले हो, उस पर आय-कर के रूप में ऐसी रकम के एक प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती करेगा :

परंतु उस दशा में, जहां आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल,--

(क) पूर्णतः वस्तु में या अन्य आभासी डिजिटल आस्ति के विनिमय में हो, जहां उसका कोई भाग नकद नहीं है ; या

(ख) भागतः नकद और भागतः वस्तु में हो, किन्तु नकद भाग ऐसे अंतरण की बाबत पूर्ण कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है,

ऐसा प्रतिफल संदत्त करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, प्रतिफल निर्मुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए ऐसे प्रतिफल के संबंध में कर संदत्त कर दिया गया है ।

(2) धारा 203क और धारा 206कख के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी,---

(क) जहां प्रतिफल विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदेय है और ऐसे प्रतिफल का मूल्य या सकल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ; या

(ख) जहां प्रतिफल विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा संदेय है और ऐसे प्रतिफल का मूल्य या सकल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

(4) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई संव्यवहार, जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की गई है, इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी

नहीं होगा ।

(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि, ऐसी राशि के संदाय के लिए दायी व्यक्ति की लेखाबही में किसी खाते में जमा की जाती है, जो “उचंत खाता” या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी राशि का जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(6) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी किए जाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकेगा ।

(7) उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक दिशा निर्देश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और आय-कर प्राधिकारियों तथा ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण पर प्रतिफल के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा ।

(8) धारा 194ण में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी संव्यवहार की दशा में, जिसको इस धारा के साथ उक्त धारा के उपबंध भी लागू होते हैं, कर की कटौती उपधारा (1) के अधीन की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,--

(क) व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब है, जिसकी उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, कारबार की दशा में किसी वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति अंतरित की जाती है, से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(ख) व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब है, जिसकी “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कोई आय नहीं है ।’।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1क) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

धारा 201 का संशोधन ।

“परंतु यह और कि जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन व्यतिक्रम के लिए कोई आदेश किया जाता है, वहां व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के अनुसार ब्याज का संदाय किया जाएगा ।”।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 206कख में,--

धारा 206कख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(i) “धारा 194ठखग या धारा 194ढ” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194ठखग, धारा 194ड या धारा

194ढ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "(जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा कटौतीकर्ता कहा गया है)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कर की कटौती अपेक्षित है, से ठीक पूर्ववर्ती पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और उसकी दशा में उक्त पूर्व वर्ष में स्रोत पर कटौती किए गए कर और स्रोत पर संग्रहित कर का कुल योग पचास हजार रुपए या अधिक है :";

(ग) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (6क) के अधीन व्यतिक्रम के लिए कोई आदेश किया जाता है, वहां व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के अनुसार ब्याज का संदाय किया जाएगा ।"

धारा 206ग का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (7) में, "प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से और ऐसे ब्याज का संदाय उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाएगा ।" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "या उस तारीख तक, जिस तक ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से और ऐसे ब्याज का संदाय केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संगृहीत कर संदत्त करने पर या उसके पूर्व ; या इस धारा के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसार किया जाएगा ।" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 206गक का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 206गक में,--

(क) उपधारा (1) में, "(जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा संग्रहकर्ता कहा गया है)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कर का संग्रहण अपेक्षित है, से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और उसकी

दशा में उक्त पूर्व वर्ष में स्रोत पर कटौती किए गए कर और स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर का कुल योग पचास हजार रुपए या उससे अधिक है ।”।

धारा 234क का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 234क की उपधारा (1) में,--

(i) “या उपधारा (4)” शब्दों, कोष्ठक और अंक के पश्चात् “या उपधारा (8क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा में,--

(i) “धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर” में धारा 140ख या धारा 143 के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं होगा ; और

(ii) “नियमित निर्धारण के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर” में धारा 140ख के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर सम्मिलित नहीं होगा ।’।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :-

धारा 234ख का संशोधन ।

‘स्पष्टीकरण 3—स्पष्टीकरण 1 और उपधारा (3) में,--

(i) “धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर” में धारा 140ख या धारा 143 के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं होगा ; और

(ii) “नियमित निर्धारण के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर” में धारा 140ख के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर सम्मिलित नहीं होगा ।’।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 239 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 239क का अंतःस्थापन ।

“239क. (1) जहां, लिखित में, किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन, ब्याज से भिन्न, किसी आय पर कटौती योग्य कर उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय-कर संदेय है, और ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसा कर संदत्त करने पर यह दावा करता है कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था, तो वह ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कटौती किए गए ऐसे कर के प्रतिदाय के लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा ।

कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने के लिए प्रतिदाय ।

(2) निर्धारण अधिकारी, लिखित में, आदेश द्वारा आवेदन को अनुज्ञात या अस्वीकार करेगा :

परंतु उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, निर्धारण अधिकारी, ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे ।

(4) उपधारा (2) के अधीन आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किया जाता है, छह मास के भीतर पारित किया जाएगा ।”।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 245डक में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

धारा 245डक का संशोधन ।

“(2क) धारा 144ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन विवाद समाधान समिति के आदेश की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश प्राप्त होता है, एक मास की अवधि के भीतर विवाद समाधान समिति के ऐसे आदेश में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुरूप,--

(क) उस दशा में जहां विनिर्दिष्ट आदेश, धारा 144ग की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित आदेश का प्रारूप आदेश है, वहां निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संशोधन का आदेश पारित करेगा ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संशोधन का आदेश को उपांतरित करेगा ।”।

धारा 246क का संशोधन ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में, खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(झक) धारा 239क के अधीन किया गया आदेश ;”।

धारा 248 का संशोधन ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 248 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जहां कर का केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय कर दिया गया है ।”।

धारा 253 का संशोधन ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (9) के परंतुक में, “2022” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 255 का संशोधन ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 255 की उपधारा (8) के परंतुक में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2024” अंक रखे जाएंगे ।

धारा 263 का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 263 की उपधारा (1) में,--

(क) “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, “,

यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण मूल्यांकन अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “उस पर ऐसा आदेश, जिसके निर्धारण में वृद्धि या उपांतरण करने या निर्धारण रद्द करने और नए सिरे से निर्धारण का निदेश भी है” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(i) निर्धारण में वृद्धि या उपांतरण करने या निर्धारण रद्द करने और नए सिरे से निर्धारण का निदेश भी है, का आदेश ; या

(ii) धारा 92गक के अधीन आदेश को उपांतरित करने वाला आदेश ; या

(iii) धारा 92गक के अधीन आदेश को रद्द करने और उक्त धारा के अधीन नए सिरे से आदेश करने का निदेश जारी करने वाला कोई आदेश ।”;

(ग) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) धारा 92गक के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कोई आदेश ;”;

(घ) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण 3—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अंतरण मूल्यांकन अधिकारी” का वही अर्थ होगा, जो धारा 92गक के स्पष्टीकरण में उसका है ।”।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख में,--

धारा 271ककख
का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के प्रारंभिक भाग में, “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1क) के प्रारंभिक भाग में, “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (क) में, “धारा 153क के अधीन” शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “, यथास्थिति, धारा 148 या धारा 153क के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककग की उपधारा (1) में, “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271ककग
का संशोधन ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ में,--

धारा 271ककघ
का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) की वृहत् रेखा में, “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, “निर्धारण अधिकारी” शब्दों के पश्चात्, “या आयुक्त (अपील)” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2023 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“271ककड. इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के दौरान यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्था है या उपखंड (v) में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था है या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्ववद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था है या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था है या धारा 11 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था है, जिसने, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों का अतिक्रमण किया है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को शास्ति के माध्यम से-

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनुयोज्य रकम के योग के समतुल्य राशि संदाय करने का निदेश देगा, जहां अतिक्रमण पूर्ववर्ष के दौरान पहली बार ध्यान में आया है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनुयोज्य रकम के योग के दो सौ प्रतिशत के समतुल्य राशि संदाय करने का निदेश देगा, जहां अतिक्रमण पूर्ववर्ष के पश्चातवर्ती किसी पूर्ववर्ष के दौरान पुनः जानकारी में आया है ।”।

नई धारा
271ककड का
अंतःस्थापन ।

नातेदार व्यक्तियों
को फायदा ।

धारा 271ग का
संशोधन ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 271ग की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, “दूसरे” शब्द का लोप किया जाएगा ।

धारा 272क का
संशोधन ।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) की दीर्घ पंक्ति में, “एक सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर, “पांच सौ रुपए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 276कख
का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 276कख में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी ।”।

धारा 276ख का
संशोधन ।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 276ख के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, “के परंतुक” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 276गग
का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग के परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) में, “समाप्ति के पूर्व विवरणी दे देता है, या” शब्दों के स्थान पर, “समाप्ति के पूर्व विवरणी दे देता है या धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन, उस उपधारा में उपबंधित समय के भीतर उसके द्वारा कोई विवरणी प्रस्तुत की जाती है, या” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 278क का
संशोधन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 278क में, “धारा 276ख” शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् “या धारा 276खख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 278कक
का संशोधन ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 278कक में, “धारा 276ख” शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् “या धारा 276खख” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 285ख के
स्थान पर, नई
धारा का
प्रतिस्थापन ।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 285ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2022 से रखी जाएगी, अर्थात् :-

“285ख. किसी संपूर्ण वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के दौरान, चलचित्र फिल्म के निर्माण या किसी विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या दोनों में लगा हुआ कोई व्यक्ति, उस अवधि के संबंध में, जिसके दौरान ऐसे वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा ऐसा निर्माण या विनिर्दिष्ट कार्यकलाप किया जाता है, विहित अवधि के भीतर विहित रीति में विहित आय-कर प्राधिकारी को उसके द्वारा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो उसके द्वारा ऐसे निर्माण या विनिर्दिष्ट कार्यकलाप में नियोजित किया जाता है, किए गए या उससे शोध्य पचास हजार रुपए से अधिक के सभी संदायों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विहित प्ररूप में विवरण प्रस्तुत करेगा ।

चलचित्र फिल्म के निर्माताओं या विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट कार्यकलाप” से ईवेंट प्रबंधन, वृत्तचित्र निर्माण, दूरदर्शन या ओवर दि टाप प्लेटफार्म या ऐसे अन्य समान प्लेटफार्म के लिए प्रसारण हेतु कार्यक्रमों का निर्माण, खेलकूद ईवेंट प्रबंधन या अन्य परफोर्मिंग आर्ट या कोई अन्य कार्यकलाप अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।”।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

85. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (34) में, “अभिप्रेत है जिसको” शब्दों से पश्चात् “धारा 5 के अधीन” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 3 का संशोधन ।

“3. सीमाशुल्क अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात् :-

सीमाशुल्क
अधिकारियों के
वर्ग ।

(क) सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त (निवारक) या राजस्व आसूचना प्रधान महानिदेशक ;

(ख) सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त (निवारक) या राजस्व आसूचना महानिदेशक ;

(ग) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त (निवारक) या राजस्व आसूचना प्रधान अपर महानिदेशक या ; सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त (संपरीक्षा) ;

(घ) सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक) या राजस्व आसूचना अपर महानिदेशक या सीमाशुल्क आयुक्त (संपरीक्षा) ;

(ङ) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त (अपील) ;

(च) सीमाशुल्क आयुक्त (अपील) ;

(छ) सीमाशुल्क अपर आयुक्त या राजस्व आसूचना अपर निदेशक (निवारण) या राजस्व आसूचना अपर निदेशक या सीमाशुल्क अपर आयुक्त (संपरीक्षा) ;

(ज) सीमाशुल्क संयुक्त आयुक्त या राजस्व आसूचना संयुक्त निदेशक (निवारण) या राजस्व आसूचना संयुक्त निदेशक या सीमाशुल्क संयुक्त आयुक्त (संपरीक्षा) ;

(झ) सीमाशुल्क उपायुक्त या राजस्व आसूचना उप निदेशक (निवारण) या राजस्व आसूचना उप निदेशक या सीमाशुल्क उपायुक्त (संपरीक्षा) ;

(ञ) सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या राजस्व आसूचना सहायक निदेशक (निवारण) या राजस्व आसूचना सहायक निदेशक या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त (संपरीक्षा) ;

(ट) सीमाशुल्क अधिकारियों के ऐसे अन्य वर्ग जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत किए जाएं ।”।

धारा 5 का
संशोधन ।

87. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 5 में,--

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(1क) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी को, जो उन कृत्यों के संबंध में उचित अधिकारी होगा, ऐसे कृत्य, जो वह उचित समझे, समनुदेशित कर सकेगा ।

(1ख) यथास्थिति, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त बोर्ड द्वारा समनुदेशित अपनी अधिकारिता के भीतर, आदेश द्वारा, ऐसे

सीमाशुल्क अधिकारी को, जो उन कृत्यों के संबंध में उचित अधिकारी होगा, ऐसे कृत्य, जो वह उचित समझे, समनुदेशित कर सकेगा।”;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

“(4) बोर्ड, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए और उपधारा (1क) के अधीन कृत्यों को समनुदेशित करते हुए, निम्नलिखित किसी एक या अधिक मानदंडों पर विचार कर सकेगा, किंतु इन तक सीमित नहीं हैं--

(क) राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता ;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग ;

(ग) माल और माल का वर्ग ;

(घ) मामले या मामलों का वर्ग ;

(ङ) कंप्यूटर समनुदेशित यादृच्छिक समनुदेशन ;

(च) कोई अन्य मानदंड, जो बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें ।

(5) बोर्ड, जहां कहीं आवश्यक या समुचित हो, दो या अधिक सीमाशुल्क अधिकारियों (चाहे वे समान वर्ग के हों या नहीं) से इस अधिनियम के अधीन समवर्ती शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगा।”।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

धारा 14 का संशोधन ।

“(iv) आयातित माल के किसी वर्ग के संबंध में, आयातक की अतिरिक्त बाध्यताएं और की जाने वाली जांच-पड़ताल, जिसके अंतर्गत वे परिस्थितियां और उन्हें करने की रीति भी है, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, जहां बोर्ड का यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे माल के घोषित मूल्य का चलन या कोई अन्य सुसंगत मापदंड का ध्यान रखते हुए ऐसे माल का मूल्य सत्यता से या सही रूप में घोषित नहीं किया गया हो :”।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ड में,--

धारा 28ड का संशोधन ।

(क) खंड (ग) के अधीन स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ज) का लोप किया जाएगा ।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज में,--

धारा 28ज का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से” शब्दों के पश्चात्, “और ऐसी फीस के साथ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) में, “आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर” शब्दों के स्थान पर, “विनिर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय” शब्द रखे जाएंगे ।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ में, उपधारा (7) में, “सदस्यों द्वारा” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 28झ का संशोधन ।

92. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 28ज का संशोधन ।

“(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय, तीन वर्ष के लिए या जब तक उस विधि में या उन तथ्यों में, जिनके आधार पर अग्रिम विनिर्णय सुनाया गया है, कोई परिवर्तन न हुआ हो, जो भी पहले हो, विधिमान्य रहेगा :

परंतु उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, प्रवृत्त किसी अग्रिम विनिर्णय के संबंध में, तीन वर्ष की उक्त अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है ।”।

93. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 110क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा 110कक का अंतःस्थापन ।

जांच, अन्वेषण या संपरीक्षा अथवा किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन के पश्चात् वर्ती कार्रवाई ।

“110कक. जहां अध्याय 12क या इस अध्याय के अनुसार किसी कार्यवाही के अनुसरण में, किसी सीमाशुल्क अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) उस दशा में जहां निर्धारण पहले ही किया जा चुका है, कोई शुल्क कम उद्गृहीत किया गया है या उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या नहीं किया गया है ;

(ख) किसी शुल्क का गलती से पुनः प्रतिदाय किया गया है ;

(ग) गलती से कोई वापसी अनुज्ञात की गई है ;

(घ) कोई ब्याज कम उद्गृहीत किया गया है या उद्गृहीत नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या नहीं किया गया है या उसका गलती से प्रतिदाय किया गया है,

तब ऐसा सीमाशुल्क अधिकारी, यथास्थिति, जांच, अन्वेषण या संपरीक्षा करने के पश्चात् एक लिखित में रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित को सुसंगत दस्तावेजों का अंतरण करेगा--

(क) किसी समुचित अधिकारी को जिसे ऐसे शुल्क के निर्धारण पर धारा 5 के अधीन अधिकारिता समनुदेशित की गई है, जिसने ऐसा प्रतिदाय या वापसी अनुज्ञात की है ; या

(ख) बहु अधिकारिताओं की दशा में ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी को जिसे

धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा ऐसा मामला समनुदेशित किया जाए,

और, तदुपरांत धारा 28, धारा 28ककक या अध्याय 10 के अधीन प्रयोक्तव्य शक्ति का ऐसे समुचित अधिकारी या धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसे अधिकारी, जिसका समुचित अधिकारी अधीनस्थ है, द्वारा प्रयोग किया जाएगा ।”।

नई धारा
135कक का
अंतःस्थापन ।

94. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

आंकड़ों का
संरक्षण ।

‘135कक. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन भारत से निर्यात या भारत में आयात के लिए प्रविष्ट किसी माल के मूल्य या वर्गीकरण अथवा मात्रा या ऐसे माल के निर्यातक या आयातक के ब्यौरों से संबंधित सूचना प्रकाशित करता है, जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा किया जाना अपेक्षित न हो, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह धारा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग अथवा कार्यालय को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए “प्रकाशित करता है” पद से मुद्रण या इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में पुनः प्रकाशन और उसे जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाना अभिप्रेत है ।’।

95. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (1) में, “या धारा 135क” शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् “या धारा 135कक” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 137 का
संशोधन ।

1962 का 52

96. किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

सीमाशुल्क
अधिनियम के
अधीन की गई
कतिपय
कार्रवाइयों की
विधिमान्यता ।

(i) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 5, अध्याय 5कक, अध्याय 6, अध्याय 9, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 12क, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 16 और अध्याय 17 के अधीन की गई बात निर्वहन किया गया कोई कर्तव्य या की गई कोई कार्रवाई विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी या किया गया समझा जाएगा ;

(ii) किसी अधिकारी को नियुक्त करने वाली या उसे कृत्यों का समनुदेशन करने वाली सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन जारी कोई अधिसूचना, जिसके अंतर्गत धारा 6 के प्रयोजन भी हैं, विधिमान्य रूप से जारी की गई समझी जाएगी ;

(iii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2, धारा 3 और धारा 5, सभी प्रयोजनों के लिए प्रभावी होंगी और सदैव प्रभावी समझी जाएंगी, मानो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई से उद्भूत और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को लंबित किसी कार्यवाही का निपटारा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51

97. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची का,—

पहली अनुसूची का संशोधन ।

(क) दूसरी अनुसूची में विहित रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) तीसरी अनुसूची में विहित रीति में भी, 1 मई, 2022 से, संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

चौथी अनुसूची का संशोधन ।

98. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की चौथी अनुसूची का चौथी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1944 का 1

केंद्रीय माल और सेवा कर

धारा 16 का संशोधन ।

99. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 में,—

2017 का 12

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों ;”;

(ii) खंड (ग) में, “या धारा 43क” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, “सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 29 का संशोधन ।

100. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ख) में, “तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी” शब्दों के स्थान पर, “उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) में, “लगातार छह मास की अवधि के लिए” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाएं, के लिए” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

101. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में, “सितंबर मास” शब्द के स्थान पर, “30 नवंबर” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37 का संशोधन ।

102. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(i) “इलैक्ट्रॉनिक रूप में” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रॉनिक रूप में और” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएं” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iv) दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु” शब्द रखा जाएगा ;

(v) तीसरे परंतुक में, “परंतु यह और भी कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु यह और कि” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (3) में,--

(i) “जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं,” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) पहले परंतुक में, “सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्,” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्,” शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

“(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया

जाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं ।”।

103. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

“38. (1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से उपलब्ध करवाएं जाएंगे ।

आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सके, और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में ऐसे प्रत्यय का लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उक्त पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के कारण, चाहे पूर्ण रूप से या भाग रूप से, निम्नलिखित द्वारा नहीं उठाया जा सकता,--

(i) रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है ; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उक्त उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार, ऐसी सीमा द्वारा, जो विहित की जाए, उक्त अवधि के दौरान उसके

द्वारा संदत्त आउटपुट कर से अधिक है ; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है, जो उस प्रत्यय से खंड (क) के अनुसार ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है ; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किए जाएं ।”।

धारा 39 का संशोधन ।

104. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में,--

(क) उपधारा (5) में, “बीस” शब्द के स्थान पर, “तेरह” शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (7) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए,--

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अवधारित रकम,

का संदाय करेगा ।”;

(ग) उपधारा (9) में,--

(i) “धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “जहां” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) परंतुक में, “सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) में, “विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है ।” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा

37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हों।”।

105. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

“41. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, अपनी विवरणी में स्व:निर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग।

(2) माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू ब्याज के साथ आरक्षित रहेगा :

परंतु जहां ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त आरक्षित जमा की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।”।

धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप।

106. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप किया जाएगा।

धारा 47 का संशोधन।

107. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,--

(क) “या आवक” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) “या धारा 38” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ग) “धारा 39 या धारा 45” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 52” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन।

108. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, “, धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

धारा 49 का

109. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में,--

संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, “या धारा 43क” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में, “ऐसी शर्तों” शब्दों के पश्चात्, “और निर्बंधनों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को--

(क) एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर ; या

(ख) धारा 25 की, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथाविनिर्दिष्ट किसी सुभिन्न व्यक्ति के एकीकृत कर या केन्द्रीय कर, संबंधी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा :

परंतु खंड (ख) के अधीन ऐसा कोई अंतरण वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का, उसके इलेक्ट्रानिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत दायित्व है ।”;

(घ) उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, इलेक्ट्रानिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा ।”।

110. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

“(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा और ब्याज की गणना

धारा 50 का संशोधन ।

ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।”।

111. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, “आने वाले सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 52 का संशोधन।

112. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में,—

धारा 54 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के परंतुक में, “धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में, “उपधारा (3) के अधीन” शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;”।

113. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में, “धारा 38 की उपधारा (2)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

धारा 168 का संशोधन।

114. (1) केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 58(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, पांचवी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

2017 का 13

2017 का 12

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि केंद्रीय सरकार को, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

2017 का 13

2017 का 12

115. (1) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के

2017 का 12

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की

धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

अधीन परिषद् की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661(अ), तारीख 28 जून, 2017 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, अनुसूची छठी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्त्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी ।

2017 का 12

कतिपय मामलों में केंद्रीय कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट ।

116. केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई केंद्रीय कर उद्ग्रहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

2017 की 12

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।

117. उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 746(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019, केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई थी, 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2017 की 12

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव ।

(2) ऐसे सभी केंद्रीय कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।

एकीकृत माल और सेवा कर

2017 का 12

118. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के अधीन, परिषद् की सिफारिश पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 698(अ), तारीख 28 जून, 2017 सातवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से

2017 की 13

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा

संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(12) तथा धारा 56 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

2017 का 13

2017 की 12

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार के पास उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और शक्ति होनी समझी जाएगी, मानो केंद्रीय सरकार के पास केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के अधीन उक्त अधिसूचना का, भूतलक्षी रूप से, संशोधन करने की शक्ति, सभी तात्त्विक समय पर थी ।

2017 की 13

119. केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 666(अ), तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई एकीकृत कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।

कतिपय मामलों में एकीकृत कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट ।

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के खंड (i) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव ।

120. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 745(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019, केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई थी, 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2017 का 12

2017 का 13

(2) ऐसे सभी केंद्रीय कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की

121. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के अधीन, परिषद् की सिफारिश पर, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 747(अ), तारीख 30 जून, 2017 आठवीं अनुसूची के

2017 का 12

2017 की 14

उपधारा (12) तथा धारा 56 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन ।

कतिपय मामलों में संघ राज्यक्षेत्र कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट ।

स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही संशोधित होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार के पास उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधन करने की शक्ति होगी और शक्ति होना समझी जाएगी, मानो केंद्रीय सरकार के पास केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के अधीन उक्त अधिसूचना का, भूतलक्षी रूप से, संशोधन करने की शक्ति, सभी तात्त्विक समय पर थी ।

2017 का 12

2017 की 14

122. केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 710(अ), तारीख 28 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई एकीकृत कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा ।

2017 की 14

(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।

123. उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 747(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019, केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 21 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी की गई थी, 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2017 का 12

2017 का 14

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के खंड (i) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव ।

(2) ऐसे सभी संघ राज्यक्षेत्र कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का संशोधन

124. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में,—

(क) धारा 2 में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया

1934 के अधिनियम सं० 2 का संशोधन ।

जाएगा, अर्थात् :-

‘(कiv) “बैंक नोट” से बैंक द्वारा धारा 22 के अधीन जारी बैंक नोट, चाहे भौतिक या डिजिटल रूप में हो, अभिप्रेत है ;’;

(ख) धारा 22 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“22क. धारा 24, धारा 25, धारा 27, धारा 28 और धारा 39 में अंतर्विष्ट कोई बात, बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी बैंक नोटों को लागू नहीं होगी।”।

बैंक नोटों के डिजिटल रूप को कतिपय उपबंधों का लागू न होना ।

भाग 2

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

2001 का 14

125. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का, नौवीं अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, संशोधन किया जाएगा ।

सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि यह लोकहित में समीचीन है कि इस विधेयक के खंड , खंड और खंड के उपबंध, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे ।

1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

- | | |
|---|---|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है-

आय-कर की दरें

- | | |
|---|--|
| (1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक कुछ नहीं ;
नहीं है

(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है

(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।
अधिक है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों या धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक

है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, -

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है कुल आय का 10 प्रतिशत ;
- (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है 1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
- (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में, -

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

- | | |
|---|------------------------|
| (i) जहां पूर्ववर्ष 2019-2020 में इसका कुल आवर्त या कुल आय का 25 प्रतिशत प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक न हो | कुल आय का 25 प्रतिशत |
| (ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय | कुल आय का 30 प्रतिशत । |

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में, —

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है, —

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से, —

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :-

आय-कर की दर	
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,-	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,-	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर-	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति

(vi) किसी अन्य आय पर

10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—

(अ) विनिधान से किसी आय पर

20 प्रतिशत ;

(आ) धारा 115ड या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड

10 प्रतिशत ;

(ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर

(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों

10 प्रतिशत ;

के रूप में आय पर

(ई) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों

20 प्रतिशत ;

[जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर अन्य आय पर

(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों

15 प्रतिशत ;

के रूप में आय पर

(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी

20 प्रतिशत ;

करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)

(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ

10 प्रतिशत ;

किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है

- (ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,— 10 प्रतिशत ;
- (ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (अं) लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;
- (अः) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—
- (अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 10 प्रतिशत ;

- (इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;
- (ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ओ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] 20 प्रतिशत ;
- (औ) लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;
- (अं) अन्य सम्पूर्ण आय पर 30 प्रतिशत ।
2. किसी कंपनी की दशा में,—
- (क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—
- (i) “प्रतिभूतियों पर ब्याज” से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ।
- (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;

- (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iv) किसी अन्य आय पर 10 प्रतिशत ;
- (ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—
- (i) लाटरी, वर्ग पहली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रतिशत ;
- (iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) 20 प्रतिशत ;
- (iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है 10 प्रतिशत ;
- (v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—
- (अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ;
- (आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है 10 प्रतिशत ;

(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है 10 प्रतिशत ;

(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 15 प्रतिशत ;

(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर 10 प्रतिशत ;

(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर 10 प्रतिशत ;

(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] 20 प्रतिशत ;

(x) लाभांश के रूप में आय पर 20 प्रतिशत ;

(xi) किसी अन्य आय पर 40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, “विनिधान से आय” और “अनिवासी भारतीय” के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

1. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकघ या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखड या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115खखज या धारा 115खखझ या धारा 115खखञ या धारा 115ड या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :-

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

- | | |
|--|--|
| (1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; |
| (2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए |

है

से अधिक हो जाती है ;

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है--

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है कुछ नहीं ;

(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है--

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है कुछ नहीं ;

(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार या आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,--

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है)

पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से

अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

- | | |
|--|---|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत ; |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है | 1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है | 3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

क. जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से

ख. जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ड

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2020-2021 में उसका कुल आवर्त या सकल कुल आय का 25 प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है प्रतिशत ;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन “गृह-संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साथ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंटीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माकड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न

होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5-जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6-जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7-राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8-(1) जहां निर्धारिती की, 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,-

(i) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत

होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 97(क) देखें]

सीमाशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 15 में, टैरिफ मद 1516 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 66 में, शीर्ष 6601 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 71 में, शीर्ष 7117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 400 रु0 प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 85 में,--

(i) टैरिफ मद 8518 21 00, 8518 22 00, 8518 29 00 और 8518 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8524 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"8524 11 00 -- तरल क्रिस्टलों के इ. 15% -";

(iii) टैरिफ मद 8541 42 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8541 43 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8541 49 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 90 में,--

(i) टैरिफ मद 9028 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9028 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 97(ख) देखें]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) अध्याय 1 में, टैरिफ मद 0101 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;				
(2) अध्याय 03 में,—				
(i) शीर्ष 0306 में, टैरिफ मद 0306 36 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"0306 36	--	अन्य झींगी और झींगा :		
0306 36 10	---	स्कैपी (मैक्रोबेक्टियम सभी जातियां) :	कि०ग्रा०	30%
0306 36 20	---	विनामेई झींगी (लितोपिनाइस विनामेई)	कि०ग्रा०	10%
0306 36 30	---	भारतीय सफेद झींगी/ (फेनरोपेनाइस इंडिकस)	कि०ग्रा०	30%
0306 36 40	---	श्याम टाइगर झींगी (पेनेइस मोनोडोन)	कि०ग्रा०	10%
0306 36 50	---	पुष्प झींगी (पेनेइस सेमी सलकेटस)	कि०ग्रा०	30%
0306 36 60	---	अर्टैनिया	कि०ग्रा०	5%
0306 36 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	30%

(ii) टैरिफ मद 0307 32 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 0307 43 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 5 में,—

(i) टैरिफ मद 0508 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 0511 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 0511, टैरिफ मद 0511 91 10 से टैरिफ मद 0511 91 90, उपशीर्ष 0511 99, टैरिफ मद 0511 99 11 और टैरिफ मद 0511 99 19 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“0511 91 10	---	मत्स्य नख	कि.ग्रा.	30%	-
0511 91 20	---	मत्स्य पूंछ	कि.ग्रा.	30%	-
0511 91 30	---	अन्य मत्स्य अपशिष्ट	कि.ग्रा.	30%	-
0511 91 40	---	अर्टिमिया साइटस	कि.ग्रा.	5%	-
0511 91 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0511 99	--	अन्य :	कि.ग्रा.	30%	-
0511 99 10	---	रेशम कीट प्यूपा	कि.ग्रा.	30%	-”;

(4) अध्याय 7 में,--

(i) टिप्पण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“अनुपूरक टिप्पण

1. (क) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, “गुलाबी प्याज” से माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अधीन जीआई सं. 212 के सामने भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) द्वारा परिभाषित और मान्यताप्राप्त प्याज की किस्म निर्दिष्ट होता है ।

(ख) उक्त जीआई सं. 212 के सामने भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में उपयोक्ता के रूप में प्रमाणित/मान्यताप्राप्त और वर्णित व्यक्ति द्वारा उत्पादित /की गई कृषि” ;

(ii) शीर्ष 0703 में, टैरिफ मद 0703 10 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“---	प्याज			
0703 10 11	----	गुलाबी प्याज	कि॰ग्रा॰	30% 20%
0703 10 19	----	अन्य	कि॰ग्रा॰	30% 20%”;

(5) अध्याय 8 में,--

(i) टैरिफ मद 0801 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 0802 51 00 और 0802 52 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 0804 10 20 और 0804 10 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 0805 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 0805 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%”

प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 0806 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 0808 30 00 और 0808 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 9 में,--

(i) टैरिफ मद 0904 11 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 0907 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 10 में,--

(i) टैरिफ मद 1001 19 00, के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 1001 99 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 1005 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 1007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 1008 21 और 1008 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "50%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 11 में,--

(i) टैरिफ मद 1104 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 1107 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 1108 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 12 में,--

(i) टैरिफ मद 1207 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 1209 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 1209 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 13 में, टैरिफ मद 1301 90 13 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 14 में, टैरिफ मद 1401 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 16 में, अध्याय शीर्ष में, "क्यूस्टेशियन्स" शब्द के स्थान पर, "क्यूस्टेशियन्स" शब्द रखे जाएंगे ;

(13) अध्याय 17 में, उपशीर्ष 1702 11 और 1702 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 18 में, टैरिफ मद 1801 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 19 में,--

(i) टैरिफ मद 1905 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 1905 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 21 में, टिप्पण 1 के खंड (ड) में, "रक्त, मत्स्य" शब्दों के स्थान पर, "रक्त, कीट, मत्स्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(17) अध्याय 22 में, टैरिफ मद 2207 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 23 में,--

(i) शीर्ष 2301, 2302, 2303, 2304, 2305 और 2306 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2307 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2308 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2309 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2309 90 10, 2309 90 20 और 2309 90 31 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की

प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 2309 में, टैरिफ मद 2309 90 32 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"चूर्ण रूप में मत्स्य आहार";

(vii) टैरिफ मद 2309 90 32, 2309 90 39 और 2309 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 25 में,--

(i) शीर्ष 2501 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2502 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2503 00 10 और 2503 00 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 2504, 2505, 2506, 2507 और 2508 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2509 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 2510 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 2511, 2512 और 2513 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 2514 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 2517 और 2519 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 2520 10 10, 2520 10 20 और 2520 10 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 2520 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) शीर्ष 2521 और 2522 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 2523 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान

पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) शीर्ष 2525 और 2526 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) शीर्ष 2528 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) शीर्ष 2529 और 2530 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 26 में,--

(i) टिप्पण (1) के खंड (च) में, "(शीर्ष 7112)" शब्दों के स्थान पर, "(शीर्ष 7112 या शीर्ष 8549)" रखा जाएगा ।

(ii) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुपूरक टिप्पण :

शीर्ष 2601 के उत्पादों के लिए, लौह अयस्क अंतर्वस्तु की प्रतिशतता, जहां भी विनिर्दिष्ट की जाती है, की संगणना शुष्क भार या शुष्क मीट्रिक टन (डीएमटी) के आधार पर की जाएगी ।";

(iii) शीर्ष 2601 और 2602 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2603 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2604 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 2605 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 2606 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 2607 00 00, 2608 00 00 और 2609 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 2610 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 2611 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 2612 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क"

प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 2612 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) शीर्ष 2613, 2614, 2615, 2616 और 2617 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) शीर्ष 2620 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 27 में,--

(i) शीर्ष 2701, 2702 और 2703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2704 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2705 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 2706 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 2707 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 2708 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 2709 00 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 2710 12 21, 2710 12 22 और 2710 12 29 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 2710 12 31 और 2710 12 32 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) शीर्ष 2710 में टैरिफ मद 2710 12 39 से टैरिफ मद 2710 12 49 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"2710 12 39	----	घोलक 145/205	कि०ग्रा०	5%	-
	---	मोटर गैसोलीन, जो मानक आईएस 2796, आईएस 17021, आईएस 17586 या आईएस 17076 के अनुरूप है :			

2710 12 41	----	आईएस 2796 के अनुरूप मोटर गैसोलीन	कि०ग्रा०	2.5%	-
2710 12 42	----	आईएस 17021 मानक के अनुरूप ई 20 ईंधन	कि०ग्रा०	2.5%	-
2710 12 43	----	आईएस 17586 मानक के अनुरूप ई 12 ईंधन	कि०ग्रा०	2.5%	-
2710 12 44	----	आईएस 17586 मानक के अनुरूप ई 15 ईंधन	कि०ग्रा०	2.5%	-
2710 12 49	----	आईएस 17076 मानक के अनुरूप एम 15 ईंधन	कि०ग्रा०	2.5%	-";

(xi) टैरिफ मद 2710 12 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 2710 19 20, 2710 19 31, 2710 19 32, 2710 19 39, 2710 19 41, 2710 19 42 और 2710 19 43 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 2710 19 44 और 2710 19 49 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 2710 19 51, 2710 19 52, 2710 19 53, 2710 19 59, 2710 19 61, 2710 19 69, 2710 19 71, 2710 19 72, 2710 19 73, 2710 19 74, 2710 19 75, 2710 19 76, 2710 19 77, 2710 19 78, 2710 19 79, 2710 19 81, 2710 19 82, 2710 19 83, 2710 19 84, 2710 19 85, 2710 19 86, 2710 19 87, 2710 19 88, 2710 19 89 और 2710 19 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 2710 20 10 और 2710 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 2710 20 90, 2710 91 00 और 2710 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 2711 11 00, 2711 12 00 और 2711 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 2711 14 00, 2711 19 10, 2711 19 20, 2711 19 90, 2711 21 00 और 2711 29 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) शीर्ष 2712 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 2713 12 10 और 2713 12 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के

स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 2713 20 00 और 2713 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) शीर्ष 2714 और 2715 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 28 में,--

(i) अनुपूरक टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2. इस अध्याय में, भारतीय मानक ब्यूरो के किसी मानक के प्रतिनिर्देश उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण को निर्दिष्ट करता है।";

(ii) टैरिफ मद 2801 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 2806, 2807 और 2808 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2809 10 00, 2809 20 20 और 2810 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 2811, 2812, 2813, 2815, 2816 और 2817 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 2818 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 2818 में, टैरिफ मद 2818 20 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

	---	एलुमिना कैल्सिकृत				
2818 20 11	----	धात्विक श्रेणी, जो आईएस 17441 के अनुरूप है	कि०ग्रा०	5%	-	
2818 20 19	----	गैर धात्विक श्रेणी, जो आईएस 17441 के अनुरूप है	कि०ग्रा०	5%	-";	

(viii) टैरिफ मद 2818 20 90 और 2818 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 2819, 2820, 2821 और 2822 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 2823 00 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%"

प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) शीर्ष 2824 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 2825 10 10, 2825 10 20, 2825 10 30, 2825 10 40, 2825 10 90, 2825 20 00, 2825 30 10 और 2825 30 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 2825 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 2825 50 00, 2825 60 10, 2825 60 20, 2825 70 10, 2825 70 20, 2825 70 90, 2825 80 00, 2825 90 10, 2825 90 20, 2825 90 40, 2825 90 50 और 2825 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) शीर्ष 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835 और 2836 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 2837 19 और 2837 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) शीर्ष 2839, 2840, 2841 और 2842 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 2844 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 2844 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 2844 30 10, 2844 30 21, 2844 30 22, 2844 30 23, 2844 30 29, 2844 30 30, 2844 30 90, 2844 41 00, 2844 42 00, 2844 43 00, 2844 44 00 और 2844 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) शीर्ष 2845 और 2846 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 2847 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 2849, 2850, 2852 और 2853 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 29 में,--

(i) शीर्ष 2901 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर,

“2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2902 11 00, 2902 19 10, 2902 19 90, 2902 20 00 और 2902 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2902 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “निःशुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2902 42 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2902 43 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “निःशुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 2902 44 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 2902 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 2902 60 00, 2902 70 00, 2902 90 10, 2902 90 20, 2902 90 30, 2902 90 40, 2902 90 50, 2902 90 60 और 2902 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 2903 11 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 2903 11 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 2903 12 00 और 2903 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 2903 14 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 2903 15 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “निःशुल्क” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 2903 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 2903 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 2903 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) टैरिफ मद 2905 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 2905 32 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 2905 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी

(xxxv) टैरिफ मद 2905 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 2905 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी

(xxxvii) टैरिफ मद 2905 43 00 और 2905 44 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 2905 45 00, 2905 49 00, 2905 51 00 और 2905 59 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) शीर्ष 2906, 2907 और 2908 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उप अध्याय 4 में, शीर्षक शीर्ष में, "इथर पेरोक्साइड" शब्दों के स्थान पर, "इथर पेरोक्साइड, ऐसेटल और हेमीऐसेटल पेरोक्साइड" शब्द रखे जाएंगे ;

(xli) शीर्ष 2909 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) टैरिफ मद 2909 60 00 के सामने स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "इथर पेरोक्साइड" शब्दों के स्थान पर, "इथर पेरोक्साइड, ऐसेटल और हेमीऐसेटल पेरोक्साइड" शब्द रखे जाएंगे ;

(xliii) टैरिफ मद 2910 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) टैरिफ मद 2910 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) टैरिफ मद 2910 30 00, 2910 40 00, 2910 50 00 और 2910 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) शीर्ष 2911, 2912, 2913 और 2914 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) टैरिफ मद 2915 11 00, 2915 12 10, 2915 12 90 और 2915 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxx) टैरिफ मद 2933 72 00, 2933 79 10, 2933 79 20, 2933 79 90, 2933 91 00, 2933 92 00, 2933 99 10 और 2933 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxi) शीर्ष 2934, 2935, 2936, 2937, 2938 और 2939 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxii) टैरिफ मद 2940 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxiii) शीर्ष 2941 और 2942 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 31 में,--

(i) शीर्ष 3101 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 3102 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 3102 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 3102 60 00, 3102 80 00, 3102 90 10 और 3102 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 3103 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 3104 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 3104 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 3105 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 32 में,--

(i) टैरिफ मद 3201 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 3201 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 3201 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर,

“7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 3202, 3203 और 3204 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 3205 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 3206 20 00, 3206 41 00, 3206 42 00, 3206 49 10, 3206 49 20, 3206 49 30, 3206 49 40, 3206 49 90 और 3206 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 3207 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 33 में, शीर्ष 3301 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 34 में,--

(i) शीर्ष 3402 के पश्चात् स्तंभ 2 की प्रविष्टि में और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, “कार्बनिक-पृष्ठ-सक्रिय कर्मक चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं या नहीं”, शब्दों के स्थान पर, “कार्बनिक-पृष्ठ-सक्रिय कर्मक चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं या नहीं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 3402 39 00 के पश्चात् स्तंभ 2 की प्रविष्टि में और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, “अन्य कार्बनिक-पृष्ठ-सक्रिय कर्मक चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं या नहीं”, शब्दों के स्थान पर, “अन्य कार्बनिक-पृष्ठ-सक्रिय कर्मक चाहे फुटकर विक्रय के लिए रखे गए हैं या नहीं” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 3403 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(28) अध्याय 35 में, शीर्ष 3501, 3502, 3503, 3504 और 3505 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(29) अध्याय 38 में,--

(i) शीर्ष 3801 और 3802 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 3803 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 3804, 3805, 3806 और 3807 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 3809 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 3809 91 10, 3809 91 20, 3809 91 30, 3809 91 40, 3809 91 50, 3809 91 60, 3809 91 70, 3809 91 80, 3809 91 90, 3809 92 00, 3809 93 10 और 3809 93 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 3810, 3812 और 3815 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 3816 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 3817 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 3821 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) शीर्ष 3823 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) मद 3824 10 00, 3824 30 00, 3824 40 10, 3824 40 90, 3824 50 10, 3824 50 90, 3824 81 00, 3824 82 00, 3824 83 00, 3824 84 00, 3824 85 00, 3824 86 00, 3824 87 00, 3824 88 00, 3824 89 00, 3824 91 00 और 3824 92 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) शीर्ष 3827 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(30) अध्याय 39 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अनुपूरक टिप्पण :

1. इस अध्याय में भारतीय मानक ब्यूरो के किसी मानक के प्रतिनिर्देश उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण के प्रतिनिर्देश हैं ।";

(ii) शीर्ष 3901, 3902 और 3903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 3905 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 3906 10 10, 3906 10 90, 3906 90 40, 3906 90 50, 3906 90 60 और 3906 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 3906 90 70 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 3907, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914 और 3915 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 3920 में, टैरिफ मद 3920 10 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"3920 10 13 ---- आईएस 16352 के अनुरूप जियोमेम्बरेन कि०ग्रा० 10% -;"

(31) अध्याय 40 में,--

(i) टैरिफ मद 4001 21 00 और 4001 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25% या 30 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी निम्नतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 4001 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25% या 30 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी निम्नतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(32) अध्याय 44 के उपशीर्ष टिप्पण 2 में, "सह उत्पाद" तथा "काष्ठ चूर्ण" शब्दों के स्थान पर, "सह उत्पाद" तथा "काष्ठ चूर्ण" शब्द रखे जाएंगे ।

(33) अध्याय 47, टैरिफ मद 4702 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4702 रासायनिक काष्ठ गूदा, घुलनशील श्रेणियां

4702 00 - रासायनिक काष्ठ गूदा, घुलनशील श्रेणियां :

4702 00 10 --- रेयान श्रेणी, काष्ठ गूदा कि०ग्रा० 2.5% -

4702 00 90 --- अन्य कि०ग्रा० 5% -;"

(34) अध्याय 48 के शीर्ष 4823 में, टैरिफ मद 4823 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"4823 90 40 --- पतंगें कि०ग्रा० 20% -

"4823 90 90 --- अन्य कि०ग्रा० 10% -;"

(35) अनुभाग 11 में,--

(i) टिप्पण 1 के खंड (ख) में, "छानने के कपड़े", शब्दों के स्थान, "फिल्टर करने या छानने के कपड़े", शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपशीर्ष टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुपूरक टिप्पण :

1. इस अनुभाग में, भारतीय मानक ब्यूरो या अंतरराष्ट्रीय एएसटीएम के किसी मानक के प्रतिनिर्देश, उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण के प्रतिनिर्देश हैं ।";

(36) अध्याय 50 में,--

(i) शीर्ष 5002, 5003, 5004, 5005 और 5006 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(37) अध्याय 51 में,--

(i) शीर्ष 5101 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 5102 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 5103 10 10, 5103 20 10, 5103 20 20 और 5103 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 5103 10 90 और 5103 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 5104 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 5105 10 00, 5105 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 5105 29 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5105 29 90, 5105 31 00, 5105 39 00 और 5105 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 5106, 5107, 5108, 5109 और 5110 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5111 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 115 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5111 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 125 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5111 20 और 5111 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 65 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5111 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 75 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5112 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान

(xxvi) टैरिफ मद 5211 19 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष 5211 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 5211 31, 5211 32 और 5211 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष 5211 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 35 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 5211 42 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 18 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष 5211 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 32 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 5211 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष 5211 51, 5211 52 और 5211 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 12 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) टैरिफ मद 5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 5212 15 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 165 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) टैरिफ मद 5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) टैरिफ मद 5212 24 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 20 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 5212 25 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 165 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(39) अध्याय 53 में,--

(i) शीर्ष 5301 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5303 10 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 5303 10 90, 5303 90 10 और 5303 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 5305, 5306, 5307, 5308 और 5309 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5310 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5310 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 5311 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(40) अध्याय 54 में,--

(i) शीर्ष 5401 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5405 11 10 और 5402 19 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 5402 19 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5402 19 20	---	आईएस 13464 के अनुरूप नाइलोन 66 फिलामेंट सूत	कि०ग्रा०	2.5%	-;"
-------------	-----	---	----------	------	-----

(iv) टैरिफ मद 5402 19 90, 5402 20 10, 5402 20 90, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 10, 5402 39 20, 5402 39 90, 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00, 5402 48 00, 5402 49 00 और 5402 51 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 5402 52 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5402 52	--	पोलिएस्टर के :			
5402 52 10	---	पोलिएस्टर सूत स्थैतिक प्रतिरोधी फिलामेंट	कि०ग्रा०	2.5%	-
5402 52 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-;"

(vi) टैरिफ मद 5402 53 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 63 00, 5402 69 10, 5402 69 20, 5402 69 30, 5402 69 40 और 5402 69 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 5402 69 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात् :-

“5402 69 60 --- एसटीएम एफ2848 के अनुरूप अत्यंत किं० 5% -;”
उच्च आणविक भार पोली एथलीन फिलामेंट
सूत

(viii) टैरिफ मद 5402 69 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 5403 और 5404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 5405 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) शीर्ष 5406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5407 10 11, 5407 10 12, 5407 10 13, 5407 10 14, 5407 10 15, 5407 10 16 और 5407 10 19 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 5407 10 21 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 5407 10 22, 5407 10 23, 5407 10 24 और 5407 10 25 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5407 10 26 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 5407 10 29 और 5407 10 31 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5407 10 32 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 5407 10 33, 5407 10 34, 5407 10 35, 5407 10 36 और 5407 10 39 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 5407 10 41 और 5407 10 42 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10% या 115 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 5407 10 43, 5407 10 44, 5407 10 45, 5407 10 46, 5407 10 49, 5407 10 91, 5407 10 92, 5407 10 93, 5407 10 94, 5407 10 95, 5407 10 96 और 5407 10 99 के

पर, "20% या 27 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxvii) टैरिफ मद 5408 23 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 28 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxviii) टैरिफ मद 5408 24 11 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 52 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxix) टैरिफ मद 5408 24 12 और 5408 24 13 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 52 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxx) टैरिफ मद 5408 24 14 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 52 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxi) टैरिफ मद 5408 24 15 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 52 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxii) टैरिफ मद 5408 24 16 और 5408 24 17 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 52 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxiii) टैरिफ मद 5408 24 18 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 52 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxiv) टैरिफ मद 5408 24 19 और 5408 24 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 52 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxv) उपशीर्ष 5408 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 25 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxvi) उपशीर्ष 5408 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 44 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxvii) टैरिफ मद 5408 33 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 10 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxxviii) उपशीर्ष 5408 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 11 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(41) अध्याय 55 में,--

(i) टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुपूरक टिप्पण :

1. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, आईएस 11871, आईएस 13501, आईएस 15742, आईएस 15742क में यथाविनिर्दिष्ट, अंतर्निहित अग्नि विलंबक (एफआर) तंतु वे हैं जिनमें एफआर गुण पोलीमर अवलंब के प्राकृतिक भाग हैं और जो कभी पुराने नहीं पड़ सकते हैं या धुल नहीं सकते हैं ।

(ii) शीर्ष 5501 और 5502 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 5503 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5503 11	--	एरामिड्स के :			
5503 11 10	---	एरामिड अग्नि विलंबक तंतु	कि०ग्रा०	2.5%	-
5503 11 20	---	पैरा एरामिड तंतु	कि०ग्रा०	2.5%	-
5503 11 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-;"

(iv) टैरिफ मद 5503 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5503 19	--	अन्य :			
5503 19 10	---	नाइलोन स्टेपल फाइबर	कि०ग्रा०	2.5%	-
5503 19 20	---	नाइलोन स्थैतिक प्रतिरोधी फाइबर	कि०ग्रा०	2.5%	-
5503 19 30	---	आईएस 13464 के अनुरूप नाइलोन 66 फाइबर	कि०ग्रा०	2.5%	-
5503 19 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-;"

(v) टैरिफ मद 5503 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 5503 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5503 30	-	एक्रिलिक या मोडएक्रिलिक :			
5503 30 10	---	आईएस 17308 के अनुरूप पूर्व आक्सीकृत फाइबर	कि०ग्रा०	2.5%	-
5503 30 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-;"

(vii) टैरिफ मद 5503 40 00, 5503 90 10 और 5503 90 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5503 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5503 90 30	---	एसटीएम एफ 2848 के अनुरूप अत्यंत उच्च आणविक भार पोली एथलीन स्टेपल फाइबर	कि०ग्रा०	5%	-;"
-------------	-----	--	----------	----	-----

(ix) टैरिफ मद 5503 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5504 10, टैरिफ मद 5504 10 10 से 5504 10 90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5504 10	-	विस्कास रेयान के :			
	---	बांस से भिन्न काष्ठ से प्राप्त :			
5504 10 19	----	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-
	---	बांस से प्राप्त :			
5504 10 21	----	अग्नि विलंबक विस्कास रेयान फाइबर	कि०ग्रा०	2.5%	-
5504 10 29	----	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-
5504 10 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-;"

(xi) टैरिफ मद 5504 90 10, 5504 90 20, 5504 90 30 और 5504 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) शीर्ष 5505, 5506, 5507 और 5508 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 10, 5509 41 20, 5509 41 30, 5509 41 90, 5509 42 10, 5509 42 20, 5509 42 30, 5509 42 90, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00 और 5509 92 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 5509 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5509 99	--	अन्य :			
5509 99 10	---	100 प्रतिशत अंतर्निहित एफआर संश्लिष्ट फाइबर से बना यार्न	कि०ग्रा०	5%	-
5509 99 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	5%	-;"

(xv) टैरिफ मद 5510 11 00, 5510 11 20, 5510 11 90, 5510 12 10, 5510 12 20, 5510 12 90, 5510 20 10, 5510 20 20, 5510 20 90, 5510 30 10, 5510 30 20, 5510 30 90, 5510 90 10 और 5510 90 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 5510 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात् :-

“5510 90 30 --- 100 प्रतिशत अंतर्निहित एफआर कृत्रिम कि०ग्रा० 5% -;”
फाइबर से बना यार्न

(xvii) टैरिफ मद 5510 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) शीर्ष 5511 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 5512 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 5512 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 25 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 5512 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष 5512 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 28 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष 5512 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 5512 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 54 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष 5513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 5513 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 107 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 5513 23 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 125 रु. प्रति कि.ग्रा.या 25 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतम हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 5513 29 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 185 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 5513 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 21 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 5513 39 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20% या 125 रु. प्रति कि.ग्रा. या 25 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतम हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 5513 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “20%

पर, "20% या 95 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) उपशीर्ष 5515 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 75 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) उपशीर्ष 5515 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 45 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) उपशीर्ष 5515 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 55 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5515 22 10 और 5515 22 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 140 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 5515 22 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 140 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iiii) टैरिफ मद 5515 22 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 140 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) टैरिफ मद 5515 22 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 140 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) टैरिफ मद 5515 29 10 और 5515 29 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvi) टैरिफ मद 5515 29 30, 5515 29 40 और 5515 29 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 30 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvii) उपशीर्ष 5515 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 40 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lviii) टैरिफ मद 5515 99 10, 5515 99 20, 5515 99 30 और 5515 99 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 35 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lix) टैरिफ मद 5515 99 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5515 99 50 --- 100 प्रतिशत अंतर्निहित एफआर संश्लिष्ट व.मी. 20% या 35 रु. प्रति -;"
फाइबर से बना यार्न व.मी., जो भी उच्चतर हो

(lx) टैरिफ मद 5515 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 35 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxi) उपशीर्ष 5516 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान

पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixii) टैरिफ मद 5516 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 35 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixiii) टैरिफ मद 5516 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 40 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixiv) उपशीर्ष 5516 14 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 12 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixv) उपशीर्ष 5516 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixvi) टैरिफ मद 5516 22 00 और 5516 23 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 150 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixvii) टैरिफ मद 5516 24 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 12 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixviii) टैरिफ मद 5516 31 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixix) टैरिफ मद 5516 31 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixx) टैरिफ मद 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 10, 5516 41 20 और 5516 42 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxi) टैरिफ मद 5516 43 00 और 5516 44 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 12 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxii) टैरिफ मद 5516 91 10, 5516 91 20 और 5516 92 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxiii) टैरिफ मद 5516 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 21 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxiv) टैरिफ मद 5516 94 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 40 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(42) अध्याय 56 में,--

(i) उपशीर्ष 5601 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5601 22 00 और 5601 29 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के

स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 5601 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 5602 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 5603 11 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5603 11	--	जिनका भार 25 ग्रा./व.मी. से अधिक नहीं है :			
5503 11 10	---	आईएस16718 के अनुरूप क्रोप कवर	कि०ग्रा०	20%	-
5503 11 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-;"

(vi) टैरिफ मद 5603 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 5603 13 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5603 14 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 5603 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 5603 92 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 5603 93 00 और 5603 94 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5603 93	--	जिनका भार 70 ग्रा./व.मी. से अधिक है किंतु 150ग्रा./व.मी. से अधिक नहीं है :			
5603 93 10	---	आईएस 17355 के अनुरूप घास की चटाईयां	कि०ग्रा०	10%	-
5603 93 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-
5603 94	--	जिनका भार 150 ग्रा./व.मी. से अधिक है :			
5603 94 10	---	आईएस 16391, आईएस 16392 के अनुरूप अव्यूतित जियो टैक्सटाइल और उनकी वस्तुएं	कि०ग्रा०	20%	-

5603 94 20	---	आईएस 17355 के अनुरूप घास की चटाईयां	कि०ग्रा०	20%	-
5603 94 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-;"

(xii) शीर्ष 5604, 5605, 5606, 5607, 5608 और 5609 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(43) अध्याय 57 में,--

(i) शीर्ष 5701 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5702 10 00, 5702 20 10, 5702 20 20 और 5702 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5702 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5702 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 105 रु .प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5702 39 और 5702 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5702 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 80 रु .प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5702 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5702 50 21, 5702 50 22 और 5702 50 29 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 105 रु .प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 5702 50 31, 5702 50 32, 5702 50 33 और 5702 50 39 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 5702 91 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 5702 91 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5702 91 30 और 5702 91 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5702 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 110 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5702 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान

पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 5703 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 5703 21 00, 5703 29 10, 5703 29 20 और 5703 29 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 70 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5703 31 00, 5703 39 10, 5703 39 20 और 5703 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 55 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 5703 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 5704 10 00 और 5704 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 5704 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 5704 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष 5704 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 35 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 5705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(44) अध्याय 58 में,--

(i) टिप्पणों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अनुपूरक टिप्पण :

1. (क) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "लखनऊ चिकन हस्तकला" से माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अधीन भौ.उ.सं.119 के सामने भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा परिभाषित और मान्यताप्राप्त एक प्रकार की कशीदाकारी निर्दिष्ट है ;

(ख) उक्त भौ.उ.सं. 119 के सामने भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में उपयोक्ता के रूप में प्रमाणित/मान्यताप्राप्त और उल्लिखित व्यक्ति द्वारा निर्मित /विनिर्मित ।;"

(ii) टैरिफ मद 5801 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 210 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 5802 10 20, 5802 10 30, 5802 10 40, 5802 10 50, 5802 10 60 और 5802 10 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 60 रु. प्रति वर्ग मीटर, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 5802 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 5802 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 150 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) शीर्ष 5803 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष 5804 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 200 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) टैरिफ मद 5804 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 200 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 5804 29 10, 5804 29 90 और 5804 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 200 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) शीर्ष 5805 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 10, 5806 31 20 और 5806 31 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 5806 32 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 5806 39 10, 5806 39 20, 5806 39 30, 5806 39 90 और 5806 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) शीर्ष 5807, 5808 और 5809 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 5810 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 200 रु. प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) शीर्ष 5810 में टैरिफ मद 5810 91 00, उपशीर्ष 5810 92, टैरिफ मद 5810 92 10 से 5810 99 00 और और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5810 91 -- सूत का :

5810 91 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	कि०ग्रा०	10%	-
5810 91 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-

5810 92	--	मानव निर्मित फाइबर का :			
5810 92 10	---	कशीदाकारी बैज, मोटिफ और वैसे ही	कि०ग्रा०	10%	-
5810 92 20	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	कि०ग्रा०	10%	-
5810 92 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-
5810 99	--	अन्य टैक्सटाइल सामग्री के :			
5810 99 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	कि०ग्रा०	10%	-
5810 99 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-;"

(xxxiii) शीर्ष 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(45) अध्याय 59 में,--

(i) शीर्ष 5901 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 5902 और 5903 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 5904, 5905, 5906, 5907, 5908 और 5909 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5910 00 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 5911 10 00, 5911 20 00, 5911 31 10, 5911 31 20, 5911 31 30, 5911 31 40, 5911 31 50, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 20, 5911 32 30, 5911 32 40, 5911 32 50, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10 और 5911 90 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 5911 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

	---	बुने या व्यूतित जियो टैक्नीकल टैक्सटाइल :			
5911 90 31	----	आईएस 17373 के अनुरूप जियो ग्रिड	कि०ग्रा०	10%	-
5911 90 32	----	आईएस 16391, आईएस 16392 के अनुरूप जियो टैक्सटाइल	कि०ग्रा०	10%	-
5911 90 39	----	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-
5911 90 40	----	आईएस 16202 के अनुरूप घास की चटाईयां	कि०ग्रा०	10%	-;"

(vii) टैरिफ मद 5911 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%"

प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(46) अध्याय 60 में,--

(i) टैरिफ मद 6001 10 10, 6001 10 20, 6001 10 90 और 6001 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6001 22 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 6001 29 00 और 6001 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 6001 92 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 6001 99 10, 6001 99 90, 6002 40 00, 6002 90 00, 6003 10 00 और 6003 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 6003 30 00 और 6003 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 6003 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 6004 10 00, 6004 90 00, 6005 35 00 और 6005 36 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 6005 37 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6005 37	--	अन्य, रंगे हुए :			
6005 37 10	---	आईएस 16008 के अनुरूप शेड नेट	कि०ग्रा०	20%	-
6005 37 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-;"

(x) टैरिफ मद 6005 38 00, 6005 39 00, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00 और 6005 44 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 6005 90 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00 और 6006 24 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00 और 6006 44 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 6006 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%"

प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(47) अध्याय 61 में,--

(i) शीर्ष 6101, 6102 और 6103 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6104 13 00, 6104 19 10, 6104 19 20, 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, 6104 29 20, 6104 29 90, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, 6104 39 10, 6104 39 20 और 6104 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 6104 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 255 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 6104 42 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 6104 43 00 और 6104 44 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 255 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 6104 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 10, 6104 59 20 और 6104 59 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 110 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, 6104 69 10, 6104 69 20 और 6104 69 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 6105 10 और 6105 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 83 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 6105 90 10, 6105 90 90 और 6106 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 90 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 6106 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 25 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 6106 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर 6107 11 00, "20% या 24 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 6107 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान

पर, "20% या 30 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 6107 19 10, 6107 19 90, 6107 21 00, 6107 22 10, 6107 22 20, 6107 29 10, 6107 29 20, 6107 29 90, 6107 91 10, 6107 91 90, 6107 99 10, 6107 99 20 और 6107 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 6108 11, 6108 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 6108 21 00, 6108 22 10 और 6108 22 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 25 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 6108 29 10, 6108 29 90, 6108 31 00, 6108 32 10 और 6108 32 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 6108 39 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 6108 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 6108 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 65 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष 6108 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 60 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 6108 99 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) टैरिफ मद 6108 99 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 6108 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 6109 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 45 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष 6109 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 50 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 6110 11 10, 6110 11 20, 6110 11 90, 6110 12 00 और 6110 19 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 275 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 6110 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%

या 85 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष 6110 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 110 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) टैरिफ मद 6110 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 105 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) शीर्ष 6111 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) टैरिफ मद 6112 11 00 और 6112 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 6112 19 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) टैरिफ मद 6112 19 20, 6112 19 30 और 6112 19 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) टैरिफ मद 6112 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 6112 20 20, 6112 20 30, 6112 20 40, 6112 20 50, 6112 20 90, 6112 31 00, 6112 39 10, 6112 39 20 और 6112 39 90, 6112 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) टैरिफ मद 6112 49 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) टैरिफ मद 6112 49 20, 6112 49 90 और 6113 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) शीर्ष 6114, 6115, 6116 और 6117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(48) अध्याय 62 में,--

(i) अनुपूरक टिप्पण को उसके "अनुपूरक टिप्पण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार संख्यांकित अनुपूरक टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

2. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, आईएस 11871, आईएस 13501, आईएस 15742, आईएस 15742क में यथाविनिर्दिष्ट, अंतर्निहित अग्नि विलंबक (एफआर) तंतु वे हैं, जिनमें एफआर गुण पोलीमर अवलंब के प्राकृतिक भाग हैं और उन्हें कभी भी हटाया या धोया नहीं जा सकता ।

3. (क) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "लखनऊ चिकन हस्तकला" से माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) के अधीन भौ.उ.सं. 119 के

सामने भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा परिभाषित और मान्यताप्राप्त एक प्रकार की कशीदाकारी निर्दिष्ट है ।

(ख) उक्त भौ.उ. सं. 119 के सामने भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में उपयोक्ता के रूप में प्रमाणित/मान्यताप्राप्त और उल्लिखित व्यक्ति द्वारा निर्मित /विनिर्मित ।;"

(ii) टैरिफ मद 6201 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 6201 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 6201 30, 6201 40 और 6201 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 6202 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 385 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 6202 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 220 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 6202 30, 6202 40 और 6202 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10 और 6203 19 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 6203 22 00, 6203 23 00, 6203 29 11, 6203 29 19 और 6203 29 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 6203 31 10, 6203 31 90, 6203 32 00, 6203 33 00, 6203 39 11, 6203 39 19 और 6203 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 6203 41 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 285 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 6203 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 6203 43 00, 6203 49 10, 6203 49 90 और 6204 11 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) शीर्ष 6204, टैरिफ मद 6204 12 00 से 6204 13 00, उपशीर्ष 6204 19, टैरिफ मद 6204 19 11 से 6204 21 00, उपशीर्ष 6204 22, टैरिफ मद 6204 22 10 से 6204 23 00, उपशीर्ष 6204 29, टैरिफ मद 6204 29 12 से 6204 29 90, उपशीर्ष 6204 31, टैरिफ मद 6204 31 10 से 6204 33

00, उपशीर्ष 6204 39, टैरिफ मद 6204 39 12 से 6204 39 90, उपशीर्ष 6204 41, टैरिफ मद 6204 41 10 से 6204 41 90, उपशीर्ष 6204 42, टैरिफ मद 6204 42 10 से 6204 42 90, उपशीर्ष 6204 43, टैरिफ मद 6204 43 10 से 6204 44 00, उपशीर्ष 6204 49, टैरिफ मद 6204 49 11 से 6204 53 00, उपशीर्ष 6204 59, टैरिफ मद 6204 59 10 से 6204 59 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“6204 12	--	सूत का :			
6204 12 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 12 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 13	--	संश्लिष्ट फाइबर :			
6204 13 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 13 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 19	--	अन्य टैक्सटाइल सामग्री के :			
	---	रेशम के :			
6204 19 11	----	स्किवीनित या चैटन से मणकित या जरीदार	इ.	20%	-
6204 19 12	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 19 19	----	अन्य	इ.	20%	-
	---	अन्य सभी फाइबर :			
6204 19 91	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 19 99	----	अन्य	इ.	20%	-
	-	समष्टिक :			
6204 21 00	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	इ.	20%	-
6204 22	--	सूत का :	इ.	20%	-
6204 22 10	---	इसका ट्राउडर या शोर्ट के साथ संयोजित ब्लाऊज	इ.	20%	-
6204 22 20	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 22 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 23	--	संश्लिष्ट फाइबर के :			
6204 23 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 23 90	---	अन्य	इ.	20%	-

6204 29	--	अन्य टैक्सटाइल सामग्री के :			
	---	रेशम के :			
6204 29 12	----	खादी	इ.	20%	-
6204 29 13	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 29 19	----	अन्य	इ.	20%	-
	---	अन्य :			
6204 29 91	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 29 99	----	अन्य	इ.	20%	-
	-	जैकेट और ब्लेजर :			
6204 31	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			
6204 31 10	---	खादी	इ.	20%	-
6204 31 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 32	--	सूत के :			
6204 32 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 32 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 33	--	संश्लिष्ट फाइबर के :			
6204 33 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 33 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 39	--	अन्य टैक्सटाइल सामग्री के :			
	---	रेशम के :			
6204 39 12	----	खादी	इ.	20%	-
6204 39 13	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 39 19	----	अन्य	इ.	20%	-
	---	अन्य :			
6204 39 91	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 39 99	----	अन्य	इ.	20%	-
	-	पोशाकें :			
6204 41	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के :			

6204 41 10	---	हाउस कोट और वैसी ही पोशाकें	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 41 20	---	ब्लेजर	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 41 90	---	अन्य	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 42	--	सूत के :			
6204 42 10	---	हाउस कोट और वैसी ही पोशाकें	इ.	20% या 116 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 42 20	---	हैंडलूम	इ.	20% या 116 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 42 30	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20% या 116 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 42 90	---	अन्य	इ.	20% या 116 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 43	--	संश्लिष्ट फाइबर के :			
6204 43 10	---	हाउस कोट या वैसे ही परिधान	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 43 20	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 43 90	---	अन्य	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 44	--	कृत्रिम फाइबर के :			

6204 44 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 44 90	---	अन्य	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 49	--	अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :			
	-	रेशम के :			
6204 49 11	----	हाउस कोट और वैसी ही पोशाकें	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 49 12	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 49 19	----	अन्य	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
	---	अन्य :			
6204 49 91	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 49 99	----	अन्य	इ.	20% या 145 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
	-	स्कर्ट और विभाजित स्कर्ट :			
6204 51 00	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	इ.	20% या 485 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6204 52	--	सूत के :			
6204 52 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 52 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 53	--	संश्लिष्ट फाइबर के :			

6204 53 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 53 90	---	अन्य	इ.	20%	-
6204 59	--	अन्य टैक्सटाइल्स सामग्रियों के :			
	---	रेशम के :			
6204 59 11	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 59 19	----	अन्य	इ.	20%	-
	---	अन्य :			
6204 59 91	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20%	-
6204 59 99	----	अन्य	इ.	20%	-";

(xv) उपशीर्ष 6204 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 285 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 6204 62 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 6204 63 00, 6204 69 11, 6204 69 19 और 6204 69 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 6205 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 85 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 6205 20 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6205 20 20	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20% या 85 रु०	-";
				प्रति नग, जो भी	
				उच्चतर हो	

(xx) टैरिफ मद 6205 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 85 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 6205 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6205 30	-	मानवनिर्मित फाइबर की :			
6205 30 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इ.	20% या 120 रु०	-
				प्रति नग, जो भी	
				उच्चतर हो	
6205 30 90	---	अन्य	इ.	20% या 120 रु०	-";

प्रति नग, जो भी
उच्चतर हो

(xxii) टैरिफ मद 6205 90 11 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 6205 90 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6205 90 12 --- लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी इ. 20% या 95 रु० -";
प्रति नग, जो भी
उच्चतर हो

(xxiv) टैरिफ मद 6205 90 19 और 6205 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष 6206 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 6206 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष 6206 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 6206 40 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 120 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 6206 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 6207 11 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 28 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 6207 19 10 और 6207 19 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 30 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) टैरिफ मद 6207 19 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 30 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 6207 19 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 30 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) टैरिफ मद 6207 21 10, 6207 21 90, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 10, 6207 91 20 और 6207 91 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) उपशीर्ष 6207 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 70 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) टैरिफ मद 6208 11 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 80 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष 6208 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 60 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 6208 21 10, 6208 21 90, 6208 22 00, 6208 29 10, 6207 29 20 और 6208 29 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) उपशीर्ष 6208 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 95 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उपशीर्ष 6208 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 65 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) टैरिफ मद 6208 99 10, 6208 99 20, 6208 99 90, 6209 20 10, 6209 20 90, 6209 30 00, 6209 90 10 और 6209 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) टैरिफ मद 6210 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6210 10	-	शीर्ष 5602 या शीर्ष 5603 की फैब्रिक के :			
6210 10 10	---	आई एस 17423 के अनुरूप शल्य चिकित्सा/चिकित्सा उपयोग के लिए व्यक्तिगत सुरक्षात्मक वस्त्र (फेल्ड या गैर-व्युत्तित)	इ.	20%	-
6210 10 20	---	आई एस 17334 के अनुरूप शल्य चिकित्सा गाऊन और ड्रेप्स	इ.	20%	-
6210 10 90	---	अन्य	इ.	20%	-";

(xliii) उपशीर्ष 6210 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 365 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) उपशीर्ष 6210 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 305 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) उपशीर्ष 6210 40 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 65 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) टैरिफ मद 6210 40 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात् :-

6210 40 20	---	एनबीसी युद्ध सूट और वैसे ही (आई एस 17377 के अनुरूप)	इ.	20% या 65 रु० प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6210 40 30	---	उच्च दृश्यता चेतावनी कपड़े और वैसे ही (आई एस 15809 के अनुरूप)	इ.	20% या 65 रु० प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6210 40 40	---	उच्च तुंगता वाले कपड़े (आई एस 5866 के अनुरूप)	इ.	20% या 65 रु० प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6210 40 50	---	लड़ाकू विमान कपड़े (आई एस 11871 के अनुरूप)	इ.	20% या 65 रु० प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6210 40 60	---	आई एस 17423 के अनुरूप शल्य चिकित्सा/चिकित्सा उपयोग के लिए व्यक्तिगत सुरक्षात्मक वस्त्र (फेल्ड या गैर-व्यूतित)	इ.	20% या 65 रु० प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6210 40 70	---	आई एस 17334 के अनुरूप शल्य चिकित्सा गाऊन और ड्रेप्स	इ.	20% या 65 रु० प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-
6210 40 80	---	विशेष उपयोग जैसे एफआर, रासायनिक (आई एस 15071, 15758), वैद्युत (आई एस 11871, आई एस 16655) और औद्योगिक संरक्षण (आई एस 17466) के लिए कपड़े	इ.	20% या 65 रु० प्रति नग, जो भी उच्चतर हो	-";

(xlvi) टैरिफ मद 6210 40 90 और 6210 50 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 65 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) टैरिफ मद 6211 11 00, 6211 12 00 और 6211 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) टैरिफ मद 6211 32 00 और 6211 33 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 135 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(i) उपशीर्ष 6211 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 6211, उपशीर्ष 6211 42 की टैरिफ मद 6211 42 10 से टैरिफ मद 6211 43 00, उपशीर्ष

6211 49, टैरिफ मद 6211 49 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

6211 42	--	कपास के :			
	---	दुपट्टे सहित कुर्ता या सलवार :			
6211 42 11	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 135 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
6211 42 19	----	अन्य	इकाई	20% या प्रति नग 135 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
	---	अन्य :			
6211 42 91	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 135 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
6211 42 99	----	अन्य	इकाई	20% या प्रति नग 135 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
6211 43	--	मानव निर्मित फाइबर से बने हुए :			
6211 43 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 135 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
6211 43 90	---	अन्य	इकाई	20% या प्रति नग 135 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
6211 49	--	अन्य वस्त्र सामग्रियों के :			
6211 49 10	---	ऊन या महीन प्राणी रोम के	इकाई	20%	-
	---	रेशम के :			
6211 49 21	----	खादी	इकाई	20%	-
6211 49 22	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20%	-
6211 49 29	----	अन्य	इकाई	20%	-
	---	अन्य :	इकाई	20%	-

6211 49 91	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20%	-
6211 49 99	---	अन्य	इकाई	20%	-";

(iii) टैरिफ मद 6212 10 00, 6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 10 और 6212 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 30 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) टैरिफ मद 6213 20 00, 6213 90 10 और 6213 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) टैरिफ मद 6214 10 10 और 6214 10 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 390 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) टैरिफ मद 6214 10 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 390 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvi) टैरिफ मद 6214 10 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6214 10 40	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 390 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-";
-------------	-----	---------------------------	------	---	-----

(lvii) टैरिफ मद 6214 10 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 390 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lviii) उपशीर्ष 6214 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 180 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lix) टैरिफ मद 6214 30 00 और टैरिफ मद 6214 40 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6214 30	-	सिंथेटिक फाइबर के :			
6214 30 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20%	-
6214 30 90	---	अन्य	इकाई	20%	-
6214 40	-	कृत्रिम फाइबर के :			
6214 40 10	---	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20%	-
6214 40 90	---	अन्य	इकाई	20%	-";

(lx) टैरिफ मद 6214 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 75 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxi) टैरिफ मद 6214 90 21 और 6214 90 22 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के

स्थान पर, "10% या 75 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixii) टैरिफ मद 6214 90 29 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 75 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixiii) टैरिफ मद 6214 90 31 और 6214 90 32 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 75 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixiv) टैरिफ मद 6214 90 39 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 75 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixv) टैरिफ मद 6214 90 40 और टैरिफ मद 6214 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“--- स्कार्फ, सूत :

6214 90 41	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
------------	------	---------------------------	------	--	---

6214 90 49	----	अन्य	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
------------	------	------	------	--	---

--- सूत की शालें, मफलर और सदृश :

6214 90 51	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
------------	------	---------------------------	------	--	---

6214 90 59	----	अन्य	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
------------	------	------	------	--	---

--- मानव निर्मित फाइबर की शालें, मफलर और
सदृश :

6214 90 61	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
------------	------	---------------------------	------	--	---

6214 90 69	----	अन्य	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
------------	------	------	------	--	---

--- अन्य :

6214 90 91	----	लखनऊ चिकनकला से कशीदाकारी	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-
6214 90 99	----	अन्य	इकाई	20% या प्रति नग 75 रुपए, जो भी उच्चतर हो	-";

(Ixxvi) शीर्ष 6215 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20% या 55 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(Ixxvii) शीर्ष 6216 और 6217 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(49) अध्याय 63 में,--

(i) टैरिफ मद 6301 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6301 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 275 रु. प्रति नग, जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 6301 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 6301 40 00, 6301 90 10 और 6301 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 6302 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 6302 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 108 प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 6302 22 00 और 6302 29 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 6302 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10% या 96 प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 6302 32 00, 6302 39 00, 6302 40 10, 6302 40 20, 6302 40 30, 6302 40 40, 6302 40 90, 6302 51 10, 6302 51 90, 6302 53 00, 6302 59 00, 6302 60 10, 6302 60 90, 6302 91 10, 6302 91 90, 6302 93 00 और 6302 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) शीर्ष 6303, 6304, 6305 और 6306 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की

प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 6307 10 10, 6307 10 20, 6307 10 30, 6307 10 90, 6307 20 10, 6307 20 90, 6307 90 11, 6307 90 12, 6307 90 13, 6307 90 19 और 6307 90 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 6307 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"--- अन्य :

6307 90 91	----	प्रतिस्थापित न किए जाने वाले फिल्टर के बिना या यांत्रिक हिस्से पुर्जों के बिना कपड़े के फेस मास्क, जिसके अंतर्गत शल्यक्रिया मास्क और गैर व्युत्पन्न कपड़े के बने हुए एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले फेस मास्क	कि०ग्रा०	10%	-
6214 90 99	----	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-";

(xiii) टैरिफ मद 6308 00 00 और 6309 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) शीर्ष 6310 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(50) अध्याय 67 में, टिप्पण 1 के खंड (क) में, "छानने वाला कपड़ा" शब्दों के स्थान पर, "फिल्टर करने वाला या छानने वाला कपड़ा" शब्द रखे जाएंगे ;

(51) अध्याय 68 में,--

(i) टैरिफ मद 6815 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 6815 में, टैरिफ मद 6815 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"6815 99 30	---	ब्साल्ट फाइबर, उसके फिलामिंट और अन्य वस्तुएं, जो एसटीएम डी3039, सी1185 के अनुरूप हैं	कि०ग्रा०	10%	-";
-------------	-----	--	----------	-----	-----

(52) अध्याय 69 में,--

(i) शीर्ष 6901 और 6902 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6903 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में, "भार द्वारा मुक्त कार्बन का 50% से

अधिक अंतर्विष्ट करने वाला” शब्दों, अंकों और चिह्न के स्थान पर, “भार द्वारा मुक्त कार्बन का 50% से अधिक अंतर्विष्ट करने वाला” शब्द, अंक और चिह्न रखे जाएंगे ;

(iii) उपशीर्ष 6903 20 और 6903 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(53) अध्याय 70 में,--

(i) टैरिफ शीर्ष 7001 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“टूटा-फूटा कांच और कांच का अन्य वेस्ट और स्क्रेप, जिसके अंतर्गत शीर्ष 8549 से कैथोड-रे ट्यूबे या अन्य एक्टिवेटेड कांच सम्मिलित नहीं है ; और मास में कांच”;

(ii) टैरिफ मद 7001 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 7015 10 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(54) अध्याय 71 में,--

(i) टैरिफ मद 7101 10 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7101 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 7110 31 00 और 7110 39 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(55) अनुभाग 15 के टिप्पण 9 के खंड (घ) में, “शीर्ष 8001 के उत्पाद)” शब्दों के स्थान पर, “उत्पाद)” शब्द रखे जाएंगे ;

(56) अध्याय 72 में,--

(i) शीर्ष 7201 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7202 11 00, 7202 19 00, 7202 21 00, 7202 29 00, 7202 30 00, 7202 41 00, 7202 49 00, और 7202 50 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 7202 60 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 7202 70 00, 7202 80 00, 7202 91 00, 7202 92 00 और 7202 93 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 7202 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 7203 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 7204 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 7205 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 7210 में,--

(क) टैरिफ मद 7210 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"--- अन्य :

7210 30 91	----	गलवनीकृत	कि०ग्रा०	15%	-
7210 30 99	----	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-";

(ख) टैरिफ मद 7210 49 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"7210 49 -- अन्य :

7210 49 10	---	गलवनीकृत	कि०ग्रा०	15%	-
7210 49 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-";

(x) शीर्ष 7212 में,--

(क) टैरिफ मद 7212 20 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"--- अन्य :

7212 20 91	----	गलवनीकृत	कि०ग्रा०	15%	-
7212 20 99	----	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-";

(ख) टैरिफ मद 7212 30 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"--- अन्य : :

7212 30 91	----	गलवनीकृत	कि०ग्रा०	15%	-
7212 30 99	----	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-";

(ग) टैरिफ मद 7212 50 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“7212 50 30	---	एलुमिनियम से लेपित या प्रलेपित	कि०ग्रा०	15%	-
7212 50 40	---	एलुमिनियम - जिंक मिश्रातु से लेपित या प्रलेपित	कि०ग्रा०	15%	-”;

(xi) शीर्ष 7225 में, टैरिफ मद 7225 91 00 से टैरिफ मद 7225 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“7225 91	--	इलैक्ट्रालिटिकली रूप से जिंक के साथ लेपित या विलेपित :			
7225 91 10	---	गलवनीकृत	कि०ग्रा०	15%	-
7225 91 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-
7225 92	--	अन्यथा लेपित या जिंक से विलेपित :			
7225 92 10	---	गलवनीकृत	कि०ग्रा०	15%	-
7225 92 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-
7225 99	--	अन्य :			
7225 99 10	---	एलुमिनियम से लेपित या विलेपित	कि०ग्रा०	15%	-
7225 99 20	---	एलुमिनियम - जिंक मिश्रातु से लेपित या विलेपित	कि०ग्रा०	15%	-
7225 99 30	---	पेंट किए हुए, रंग किए हुए या प्लास्टिक से विलेपित	कि०ग्रा०	15%	-
7225 99 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-”;

(xii) शीर्ष 7226 में, टैरिफ मद 7226 99 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“---		जिंक से लेपित या विलेपित :			
7226 99 71	----	सादे और नालीदार	कि०ग्रा०	15%	-
7226 99 72	----	इलैक्ट्रालिटिकली, सादे और नालीदार	कि०ग्रा०	15%	-
7226 99 73	----	गलवनीकृत	कि०ग्रा०	15%	-
7226 99 79	----	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-
---		अन्यथा विलेपित या लेपित :	कि०ग्रा०	15%	-
7226 99 81	----	एलुमिनियम के साथ	कि०ग्रा०	15%	-

7226 99 82	----	एलुमिनियम - जिंक मिश्रातु के साथ	कि०ग्रा०	15%	-
7226 99 83	----	पेंट किए हुए, रंग किए हुए या प्लास्टिक से विलेपित	कि०ग्रा०	15%	-
7226 99 89	----	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-";

(57) अध्याय 73 में, शीर्ष 7302 में, टैरिफ मद 7302 10 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

	---	रेल के लिए :	कि०ग्रा०	15%	-
7302 10 11	----	शीर्ष हार्ड रेल	कि०ग्रा०	15%	-
7302 10 12	----	ढलवां अंत के साथ अस्मिटीकृत रेल	कि०ग्रा०	15%	-
7302 10 13	----	ढलवां अंत के बिना अस्मिटीकृत रेल	कि०ग्रा०	15%	-
7302 10 14	----	अस्मिटीकृत रेल और शीर्ष हार्ड रेल से भिन्न	कि०ग्रा०	15%	-
7302 10 19	----	अन्य	कि०ग्रा०	15%	-";

(58) अध्याय 74 में,--

(i) शीर्ष 7404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 7411 और 7412 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(59) अध्याय 75 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(60) अध्याय 76 में, शीर्ष 7602 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(61) अध्याय 81 में,--

(i) टैरिफ मद 8105 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8110 10 00 और 8110 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8112 के सामने आने वाली स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "इन धातुओं की वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर, "और इन धातुओं की वस्तुएं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) टैरिफ मद 8112 61 00 और 8112 69 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8112 61 00	--	अपशिष्ट और स्क्रेप	कि०ग्रा०	5%	-
8112 69	--	अन्य :			
8112 69 10	---	कैडमियम, बिना पिटा हुआ	कि०ग्रा०	5%	-
8112 69 20	---	कैडमियम, पिटा हुआ	कि०ग्रा०	5%	-
8112 69 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	10%	-”;

(62) अध्याय 84 में,--

(i) टिप्पण 2 में,--

(क) आरंभिक भाग में, “टिप्पण 9” शब्द और अंक के स्थान पर, “टिप्पण 11” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) के उपखंड (v) में, “मशीनरी या संयंत्र” शब्दों के स्थान पर, “मशीनरी, संयंत्र या प्रयोगशाला उपस्कर” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 8407 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8419 19 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8421 39 20 और 8421 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(63) अध्याय 85 में,--

(i) टैरिफ मद 8502 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 8502 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8502 20 90 और 8502 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 8502 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8503 00 10, 8503 00 21, और 8503 00 29 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 8504 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 8518 में, टैरिफ मद 8518 21 00 से टैरिफ मद 8518 30 00 और उससे संबंधित

प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8518 21	--	एकल लाउडस्पीकर अपने आच्छादनों में रखे हुए :			
8518 21 10	---	बेतार	कि०ग्रा०	20%	-
8518 29 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-
8518 22	--	बहु लाउडस्पीकर, उसी आच्छादन में रखे हुए :			
8518 22 10	---	बेतार	कि०ग्रा०	20%	-
8518 22 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-
8518 29	--	अन्य :			
8518 29 10	---	बेतार	कि०ग्रा०	20%	-
8518 29 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-
8518 30	-	हेडफोन और इयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ सम्मिलित हो या नहीं और सेट, जिनमें माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर हैं :			
	---	हेडफोन और इयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ हों या नहीं और जो बेतार माध्यम के साथ जोड़े जाने में सक्षम हों :			
8518 30 11	----	वास्तव में बेतार स्टीरियो (जिनमें ध्वनि चैनल तार के साथ नहीं जोड़ा गया है)	कि०ग्रा०	20%	-
8518 30 19	----	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-
8518 30 20	---	हेडफोन और इयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ सम्मिलित हो या नहीं और जिन्हें तार माध्यम द्वारा जोड़े जाने में सक्षम हों	कि०ग्रा०	20%	-
8518 30 90	---	अन्य	कि०ग्रा०	20%	-”;

(viii) टैरिफ मद 8518 90 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 8541 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “अर्ध-चालक आधारित ट्रांसड्यूसर” शब्दों के स्थान पर, “अर्ध-चालक - आधारित ट्रांसड्यूसर” शब्द रखे जाएंगे ;

(x) शीर्ष 8546 और 8547 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के

स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 8549 21 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "कैथोड रे ट्यूब्स" शब्दों के स्थान पर, "कैथोड-रे ट्यूब्स" शब्द रखे जाएंगे ;

(xii) टैरिफ मद 8549 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "कैथोड रे ट्यूब्स" शब्दों के स्थान पर, "कैथोड-रे ट्यूब्स" शब्द रखे जाएंगे ;

(xiii) टैरिफ मद 8549 91 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "कैथोड रे ट्यूब्स" शब्दों के स्थान पर, "कैथोड-रे ट्यूब्स" शब्द रखे जाएंगे ;

(64) अध्याय 88 में,--

(i) शीर्ष 8802 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, "शीर्ष 8806 में के मानव रहित वायुयान के सिवाय अन्य वायुयान (उदाहरणार्थ हेलिकाप्टर, वायुयान)" शब्दों के स्थान पर, "अन्य वायुयान (उदाहरणार्थ हेलिकाप्टर, वायुयान) शीर्ष 8806 के मानव रहित वायुयान के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) टैरिफ मद 8802 11 00 और 8802 12 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8807 10 00 और 8807 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8807 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, "वायुयान" शब्द के स्थान पर, "वायुयान" शब्द रखा जाएगा ;

(v) टैरिफ मद 8807 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" शब्द रखा जाएगा ;

(65) अध्याय 89 में,--

(i) टैरिफ मद 8902 00 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8905 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8907 10 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8908 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(66) अध्याय 90 में,--

(i) टैरिफ मद 9018 11 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 9018 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर,

“7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9018 13 00 और 9018 14 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 9018 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 9018 20 00, 9018 31 00, 9018 32 10, और 9018 32 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 9018 32 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 9018 32 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 9018 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 9018 41 00, 9018 49 00, और 9018 50 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 9018 50 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 9018 50 30, 9018 50 90, 9018 90 11, 9018 90 12 और 9018 90 19 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 9018 90 21 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 9018 90 22 और 9018 90 23 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 9018 90 24 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 9018 90 25, 9018 90 29, 9018 90 31, 9018 90 32, 9018 90 41 और 9018 90 42 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 9018 90 43 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 9018 90 44, 9018 90 91, 9018 90 92, 9018 90 93, और 9018 90 94 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 9018 90 95, 9018 90 96, 9018 90 97 और 9018 90 98 के सामने आने

वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 9019 10 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 9019 10 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 9019 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 9020 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 9021 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) टैरिफ मद 9030 31 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 9030 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(67) अध्याय 91 में,--

(i) शीर्ष 9108 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%”, प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9110 11 00, 9110 12 00 और 9110 19 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%”, प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9114 30 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(68) अध्याय 95 में,--

(i) टिप्पण 1 के खंड (प) में, “वैद्युत हार” शब्दों के स्थान पर, “प्रकाशिक श्रृंखला” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 9504 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि में, “बैंक नोट” शब्दों के स्थान पर, “बैंकनोट” शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) शीर्ष 9503 में, टैरिफ मद 9503 00 10 से टैरिफ मद 9503 00 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“9503 00 10	---	इलैक्ट्रानिक	इ.	60%	-
9503 00 20	---	गैर इलैक्ट्रानिक	इ.	60%	-
	---	हिस्से पुर्जे :			

9503 00 91	----	इलैक्ट्रानिक खिलौनों के	इ.	60%	-
9503 00 99	----	गैर इलैक्ट्रानिक खिलौनों के	इ.	60%	-”;

(iv) उपशीर्ष 9506 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%”, प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(69) अध्याय 97 में,--

(i) टिप्पण 5 के खंड (क) में, “टिप्पण 1 से टिप्पण 3” शब्दों के स्थान पर, “टिप्पण 1 से टिप्पण 4” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 9705 के सामने आने वाले स्तंभ (2) की प्रविष्टि में, “पैलियोओन्टोलॉजिकल, या नुमिसमेटिक” शब्दों के स्थान पर, “पैलियोओन्टोलॉजिकल, या नुमिसमेटिक” शब्द रखे जाएंगे ;

(70) अध्याय 98 में, शीर्ष 9801 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “7.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

चौथी अनुसूची

[धारा 98 देखें]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय 27 के उपशीर्ष 2710 12 में, टैरिफ मद 2710 12 39 से टैरिफ मद 2710 12 49 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
“2710 12 39	---- विलायक 145/205	कि.ग्रा.
	--- आईएस 2796, आईएस 17021, आईएस 17586 या आईएस 17076 मानक के अनुरूप मोटर गेसोलीन		
2710 12 41	---- आईएस 2796 मानक के अनुरूप मोटर गेसोलीन	कि.ग्रा.	14% + 15.00 रु. प्रति लीटर
2710 12 42	---- आईएस 17021 मानक के अनुरूप ई20 ईंधन	कि.ग्रा.	14% + 15.00 रु. प्रति लीटर
2710 12 43	---- आईएस 17586 मानक के अनुरूप ई12 ईंधन	कि.ग्रा.	14% + 15.00 रु. प्रति लीटर
2710 12 44	---- आईएस 17076 मानक के अनुरूप ई15 ईंधन	कि.ग्रा.	14% + 15.00 रु. प्रति लीटर
2710 12 49	---- आईएस 17076 मानक के अनुरूप ई15 ईंधन	कि.ग्रा.	14% + 15.00 रु. प्रति लीटर ।”।

पांचवीं अनुसूची

[धारा 114(1) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 58(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 [सं. 349/58/2017-जीएसटी (भाग), तारीख 23 जनवरी, 2018]	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, “विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- “विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा निपटारे और जैसे अधिसूचना सं. सा.का.नि. 925(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2019 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्य।”।	22 जून, 2017

छठी अनुसूची

[धारा 115(1) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 661(अ), तारीख 28 जून, 2017 [सं. 349/72/2017-जीएसटी, तारीख 28 जून, 2017]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (3) में, “24” अंकों के स्थान पर, “18” अंक रखे जाएंगे।	1 जुलाई, 2017

सातवीं अनुसूची

[धारा 118(1) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 698(अ), तारीख 28 जून, 2017 [सं. 349/72/2017-जीएसटी, तारीख 28 जून, 2017]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (3) में, “24” अंकों के स्थान पर, “18” अंक रखे जाएंगे।	1 जुलाई, 2017

आठवीं अनुसूची

[धारा 121(1) देखें]

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 747(अ), तारीख 30 जून, 2017 [सं. एस031011/25/2017-जीएसटी-डीओआर, तारीख 30 जून, 2017]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (3) में, “24” प्रतिशत अंकों के स्थान पर, “18” प्रतिशत अंक रखे जाएंगे।	14 जुलाई, 2017

नौवीं अनुसूची

[धारा 125 देखें]

वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2709 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"2709 00 10	--- पेट्रोलियम कच्चा तेल	कि.ग्रा.	50 रु. प्रति टन ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली,
31 जनवरी, 2022

निर्मला सीतारामन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री से लोक सभा के महासचिव को 31 जनवरी, 2022 के पत्र सं0
2(5)-बी(डी)/2022 की प्रति]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में अवगत होने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन यह सिफारिश करते हैं कि वित्त विधेयक, 2022 लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाए और लोक सभा से यह भी सिफारिश करते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

2. विधेयक, 1 फरवरी, 2022 को बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात् लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा।

खंडों पर टिप्पण

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2, उन दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह उन दरों को, जिन पर अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान स्रोत पर करों की कटौती की जानी है और उन दरों को भी, जिन पर “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है।

खंड 3 आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाएं से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (42ग) “मंदी विक्रय” पद को एक या अधिक उपक्रमों के ऐसे विक्रयों में व्यष्टिक आस्तियों और दायित्वों का मूल्य समनुदेशित किए बिना एकमुश्त प्रतिफल के लिए अंतरण के रूप में परिभाषित करता है।

उक्त खंड का संशोधन करने के लिए “विक्रयों” शब्द के स्थान पर, “अंतरण” शब्द रखने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्पूर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक नया खंड (47क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जो “आभासी डिजिटल आस्ति” पद को परिभाषित करने के लिए है जिससे,—

(क) कोई सूचना या कूट या संख्या या टोकन (जो भारतीय मुद्रा या कोई विदेशी मुद्रा नहीं है), जिसका सृजन क्रिप्टोग्राफिक साधनों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या अन्यथा से किया जाता है, जो प्रतिफल के साथ या उसके बिना विनिमय किए जाने के लिए, जो अंतर्निहित मूल्य के आश्वासन या प्रतिनिधित्व के साथ डिजिटल उपदर्शन का उपबंध करती है या मूल्य के भंडारण या लेखा यूनिट के रूप में कृत्य करती है, जिसके अंतर्गत उसका किसी वित्तीय संव्यवहार या विनिधान में उपयोग सम्मिलित है, किन्तु किसी विनिधान स्कीम तक सीमित नहीं है और जिसका इलेक्ट्रानिक रूप से अंतरण, भंडारण या व्यापार किया जा सकता है ;

(ख) अविनिमेय टोकन या समान प्रकृति का कोई अन्य टोकन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ;

(ग) कोई अन्य डिजिटल आस्ति, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त अधिसूचित करे :

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी डिजिटल आस्ति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, अपवर्जित कर सकेगी ।

उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए कतिपय पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 4 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (4ड) किसी अनिवासी को किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी इकाई के साथ, जैसा कि धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किया गया है, की गई अपरिदेय अग्रिम संविदा के अंतरण के परिणामस्वरूप उदभूत या हुई या प्राप्त आय को, जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, छूट का उपबंध करता है ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड (4ड) के अधीन छूट, किसी अनिवासी को धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी इकाई के साथ की गई अपतटीय परिदेय लिखत के अंतरण के परिणामस्वरूप, उदभूत या हुई आय को, जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, लागू होगी ।

उक्त धारा का खंड (4च) किसी अनिवासी को किसी पूर्व वर्ष में धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी इकाई द्वारा किसी वायुयान के पट्टे के कारण संदत्त स्वामिस्व या ब्याज के माध्यम से हुई आय को छूट का उपबंध करता है, यदि इकाई ने अपने प्रचालन 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व आरंभ कर दिए हैं ।

उक्त छूट को किसी अनिवासी की किसी "पोत" के पट्टे के कारण संदत्त स्वामिस्व या ब्याज के माध्यम से हुई आय को छूट के लिए बढ़ाने हेतु उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे "पोत" पद की परिभाषा को उसमें सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त धारा में नया खंड (4छ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अनिवासी द्वारा धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी इकाई के साथ अनुरक्षित

खाते में, ऐसे अनिवासी की निमित्त किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रबंधित या प्रशासित, प्रतिभूति पोर्टफोलियो या वित्तीय उत्पादों या निधियों से प्राप्त किसी आय को, उस सीमा तक, जिस तक ऐसी आय भारत से बाहर उद्भूत या उत्पन्न होती है, भारत से उद्भूत या हुई नहीं समझा जाएगा।

“पोर्टफोलियो प्रबंधक” पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “पोर्टफोलियो प्रबंधक” का वही अर्थ होगा, जो उसका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूँजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम (2) के उपविनियम (1) के खंड (य) में है।

उक्त धारा का खंड (8), किसी ऐसे व्यष्टि, जिसको केंद्रीय सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार द्वारा किए गए किसी करार के अनुसार (जिसके निबन्धनों में इस खंड द्वारा दी गई छूट के लिए उपबंध है) किन्हीं सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के संबंध में भारत में कर्तव्य सौंपे गए हैं, की आय और पारिश्रमिक की छूट का उपबंध करता है। विदेशी राज्य से व्यष्टि द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक और भारत के बाहर प्रोद्भूत या उद्भूत कोई अन्य आय, दोनों को कतिपय मामलों में उक्त खंड के अधीन छूट प्राप्त है।

उक्त धारा का खंड (8क), अन्य बातों के साथ, किसी परामर्शी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक या फीस, जो उसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन (अभिकरण) को, अभिकरण और विदेशी राज्य की सरकार के बीच किसी तकनीकी सहायता अनुदान करार के अधीन उपलब्ध कराई गई निधियों में से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः छूट का उपबंध करता है। उक्त खंड, भारत से बाहर, प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय (जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है) को छूट का भी उपबंध करता है, जिसके संबंध में, परामर्शी द्वारा उस देश या उसके उद्भव के देश की सरकार को आय या सामाजिक सुरक्षा कर प्रदान करना अपेक्षित है।

उक्त धारा का खंड (8ख), अन्य बातों के साथ, खंड (8क) में यथानिर्दिष्ट किसी व्यष्टिक को, जो किसी परामर्शी का कर्मचारी है, और जिसे केंद्रीय सरकार और अभिकरण द्वारा किए गए किसी करार के अनुसार किसी तकनीकी सहायता कार्यक्रम और परियोजना के संबंध में भारत में कर्तव्य सौंपे जाते हैं। उक्त खंड, भारत से बाहर, प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय (जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है) को छूट का भी उपबंध करता है, जिसके संबंध में, परामर्शी द्वारा उसके उद्भव के देश की सरकार को आय या सामाजिक सुरक्षा कर प्रदान करना अपेक्षित है।

उक्त धारा का खंड (9), किसी ऐसे व्यष्टि या परामर्शी के, जैसा खंड (8), खंड (8क) और खंड (8ख) में निर्दिष्ट है, कुटुम्ब के सदस्यों की, जो

भारत में ऐसे व्यष्टि या परामर्शी के साथ हो, यदि ऐसी आय, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं होती है और जिसकी बाबत ऐसे सदस्य से यह अपेक्षा है कि उस विदेशी राज्य सरकार या ऐसे सदस्य के उद्भव के देश को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर संदत्त करे, को छूट का उपबंध करता है ।

उक्त धारा के खंड (8), खंड (8क), खंड (8ख) और खंड (9) में परंतुकों को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंडों के उपबंध, उन खंडों में निर्दिष्ट 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्व वर्ष की पारिश्रमिक या आय के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा का खंड (23ग) कतिपय अस्तित्वों को आय से छूट का उपबंध करता है ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (vिक), निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी अन्य संस्था के निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त आय के लिए छूट का उपबंध करते हैं, जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा सकेगी ।

उक्त उपखंडों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे “विहित प्राधिकारी” के प्रतिनिर्देश को “प्रधान आयुक्त या आयुक्त” से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड (23ग) का तीसरा परंतुक, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था, अपनी आय के कम से कम 85 प्रतिशत का, उन उद्देश्यों के लिए, पूर्णतया और अनन्यतः उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है और ऐसी दशा में, जहां 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् उसकी आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक का संचय हो जाता है, वहां उसकी आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक रकम के संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह परंतुक, यह भी उपबंध करता है कि यह अपनी निधियों को विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानित या निक्षिप्त करेगी ।

तीसरे परंतुक का स्पष्टीकरण 1 उपबंध करता है निधि या न्यास या

संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय में, इस विनिर्दिष्ट निदेश के साथ कि वे ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के काय का भाग रूप होगी, किए गए स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में आय सम्मिलित नहीं होगी, इस शर्त के अधीन रहते हुए ऐसे स्वैच्छिक अभिदायों का, ऐसे काय के लिए विशेष रूप से अनुरक्षित धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्ररूप या ढंग से विनिधान या निक्षेप किया जाएगा ।

तीसरे परंतुक में स्पष्टीकरण 1क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था के अधीन धारित संपत्ति के अंतर्गत, धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई अन्य स्थान है, तो ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या किसी अन्य स्थान के नवीकरण या मरम्मत के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, ऐसे न्यास या संस्था द्वारा स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में प्राप्त कोई राशि, निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए ऐसे न्यास या संस्था द्वारा न्यास या संस्था के काय का भाग मानी जा सकेगी, कि निधि या न्यास या संस्था,--

(क) ऐसे काय का उस प्रयोजन के लिए उपयोजन करता है, जिसके लिए स्वैच्छिक अंशदान किया गया था ;

(ख) ऐसे काय का किसी व्यक्ति को अंशदान या संदान करने के लिए उपयोग नहीं करता है ;

(ग) ऐसे काय को पृथकतः पहचाने जा सकने के रूप में रखता है ; और

(घ) ऐसे काय का ऐसे रूप और ढंग में विनिधान और जमा करता है, जो धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट है ।

तीसरे परंतुक में स्पष्टीकरण 1ख अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1क के प्रयोजनों के लिए जहां उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था ने स्पष्टीकरण 1क के अधीन इसके द्वारा प्राप्त किसी राशि को काय का भाग बनने वाली माना है, और तत्पश्चात् उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में उल्लिखित किन्हीं शर्तों का अतिक्रमण किया है, ऐसी राशि, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी अन्य संस्था की पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी, जिसके दौरान ऐसा अतिक्रमण होता है ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और

तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त खंड के तीसरे परंतुक में स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त परंतुक के अधीन उपयोजन की रकम अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, जहां तीसरे परंतुक के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय का पचासी प्रतिशत, उन उद्देश्यों के लिए पूर्णतः और अनन्य रूप से पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित नहीं किया जाता है, जिनके लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vii) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की जाती है, किंतु भारत में ऐसे उद्देश्यों के उपयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः संचयित या पृथक् रखी जाती है, इस प्रकार संचयित या पृथक् रखी गई ऐसी आय, आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो,--

(क) ऐसा व्यक्ति, निर्धारण अधिकारी को उस प्रयोजन का कथन करते हुए, विहित प्ररूप और विहित रीति में, विवरणी प्रस्तुत करता है, जिसके लिए आय संचयित की या पृथक् रखी जा रही है और वह अवधि, जिसके लिए आय संचयित या पृथक् रखी जा रही है, किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

(ख) इस प्रकार संचयित या पृथक् रखे गये धन का, धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्ररूपों या ढंगों में विनिधान या निक्षेप किया जाता है ; और

(ग) पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाता है ।

उक्त स्पष्टीकरण 3 में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान आय का उस प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश के कारण उपयोजन नहीं किया जा सका, जिसके लिए इसे इस प्रकार संचयित या पृथक् रखा गया है, अपवर्जित कर दी जाएगी ।

उक्त खंड के तीसरे परंतुक में एक नया स्पष्टीकरण 4 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्पष्टीकरण 3 में निर्दिष्ट कोई आय, जो,--

(क) पूर्णतः और अनन्य रूप से उन उद्देश्यों से भिन्न, प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाती है, जिनके लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v)

या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना की जाती है, या उस संबंध में उपयोजन के लिए वह संचयित या पृथक नहीं रह जाती है ; या

(ख) धारा 11 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्ररूपों या ढंगों में विनिधानित या निक्षिप्त नहीं रह जाती है ; या

(ग) स्पष्टीकरण 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह इस प्रकार संचयित या पृथक रखी गई है, उपयोग नहीं की जाती है ; या

(घ) धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को अथवा खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की जाती है,

ऐसे व्यक्ति की पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी,--

(i) जिसमें इसे इस प्रकार खंड (क) के अधीन उपयोजित किया जाता है या उसे इस प्रकार संचयित या पृथक रखना बंद कर दिया जाता है ; या

(ii) जिसमें यह खंड (ख) के अधीन इस प्रकार विनिधानित या निक्षिप्त नहीं रह जाती है ; या

(iii) जो उस अवधि का अंतिम पूर्व वर्ष है, जिसके लिए स्पष्टीकरण 3 के उपखंड (क) के अधीन आय संचयित या पृथक रखी जाती है, किंतु खंड (ग) के अधीन उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जाती है, जिसके लिए इसे इस प्रकार संचयित या पृथक रखा गया है ; या

(iv) जिसमें इसे खंड (घ) के अधीन किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त किया जाता है ।

उक्त तीसरे परंतुक में स्पष्टीकरण 5 अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्पष्टीकरण 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण, स्पष्टीकरण 3 के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप की गई कोई आय उस प्रयोजन के लिए उपयोजित नहीं की जा सकती है, जिसके लिए यह संचयित या पृथक् रखी गई थी, वहां

निर्धारण अधिकारी, इस निमित्त उसे किए गए आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को, भारत में ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी आय उपयोजित करना अनुज्ञात कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किया जाए और जो उन उद्देश्यों के अनुरूप है, जिनके लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था को स्थापित किया जाता है ; और तदुपरि, स्पष्टीकरण 4 के उपबंध लागू होंगे, मानो इस स्पष्टीकरण के अधीन आवेदन में ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन स्पष्टीकरण 3 के खंड (ग) के अधीन निर्धारण अधिकारी को दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हो ।

स्पष्टीकरण 5 में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी, स्पष्टीकरण 4 के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए संदाय या जमा के माध्यम से ऐसी आय का उपयोजन अनुज्ञात नहीं करेगा ।

उक्त खंड (23ग) के दसवें परंतुक को भी प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय, उक्त खंडों के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो किसी पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसा निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अपने लेखा बहियों की संपरीक्षा कराए जाने के साथ ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जिसे नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, अपनी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखेगी तथा बनाए रखेगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (vिक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या किसी अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को उक्त खंड के अधीन अनुमोदित किया जाता है और उसके पश्चात्, प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने किसी पूर्व वर्ष के दौरान एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमणों को देखा है या प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने धारा के तीसरे (3) राकी उपधा 143 परंतुक के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी से कोई निर्देश

समय पर-प्राप्त किया है या समय, बोर्ड द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए विरचित ऐसे मामले का जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार चयन किया है, वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त,--

(i) निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था से ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग कर सकेगा या ऐसी जांच कर सकेगा, जो वह किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने या अन्यथा के संबंध में, स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझता है ;

(ii) निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था को सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष और पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए उसके अनुमोदन को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण हुए हैं ;

(iii) यदि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने के संबंध में उसका समाधान नहीं होता है तो ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था के अनुमोदन को रद्द करने से इंकार करते हुए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व लिखित आदेश पारित करेगा ;

(iv) यथास्थिति, खंड (ii) खंड (iii) के अधीन निर्धारण अधिकारी और ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था को आदेश की प्रति अग्रेषित करेगा ।

उक्त खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक में एक नए स्पष्टीकरण 1 को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट तारीख" से वह दिन अभिप्रेत है, जिसको उस तिमाही के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा, 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात्, किसी दस्तावेज या जानकारी मंगाने या कोई जांच करने के लिए पहली सूचना जारी की जाती है, संगणित छह मास की अवधि खंड (i) के अधीन समाप्त हो जाती है ।

उक्त पन्द्रहवें परंतुक में एक नए स्पष्टीकरण 2 को भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अतिक्रमण" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, अर्थात् :--

(क) जहां ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या

अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था की आय, जिसे उसे स्थापित करने के उद्देश्यों से भिन्न के लिए उपयोजित किया गया है ; या

(ख) निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था की कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक नहीं है या कारबार के संबंध में उसने पृथक् लेखा बहियां नहीं रखी हैं ; या

(ग) निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा किया जा रहा कोई क्रियाकलाप,--

(अ) वास्तविक नहीं है ; या

(आ) सभी या किन्हीं शर्तों, जिनके अनुसार उसे अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था, नहीं चलाए जा रहा है ; या

(घ) निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था ने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री में, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, जो या तो विवादित नहीं किया गया है या उसे अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है ।

उक्त पन्द्रहवें परंतुक में एक नया स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त परंतुक के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां निर्धारण अधिकारी ने केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को धारा 143 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में इस खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में संसूचित किया है और 31 मार्च, 2022 को या उससे पूर्व, ऐसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को मंजूर किए गए अनुमोदन को वापस नहीं लिया गया है या उसकी दशा में जारी अधिसूचना को विखंडित नहीं किया गया है, वहां ऐसी संसूचना को 1 अप्रैल, 2022 को प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिनिर्देश के रूप में समझा जाएगा और धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के खंड (ख) के उपबंध तदनुसार ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए लागू होंगे ।

उक्त खंड (23ग) के उन्नीसवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे "विहित प्राधिकारी" के प्रतिनिर्देश को "प्रधान आयुक्त या आयुक्त" से प्रतिस्थापित किया जा सके। उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था की दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के प्रतिनिर्देश को हटाने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

उक्त खंड (23ग) में एक नया बीसवां परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या कोई आयुर्विज्ञान संस्था धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपबंधों के अनुसार उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, पूर्व वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करेगी।

उक्त खंड (23ग) में एक नया इक्कीसवां परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या कोई आयुर्विज्ञान संस्था की आय या आय का भाग या संपत्ति, या ऐसी आय का कोई भाग, धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोजित किया गया है, वहां उक्त धारा की उपधारा (2), उपधारा (4) और उपधारा (6) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यक्ति की पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी, जिसमें यह इस प्रकार उपयोजित की जाती है।

उक्त खंड (23ग) में एक नया बाईसवां परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था दसवें या बारहवें परंतुक के अधीन विहित शर्तों का अतिक्रमण करती है वहां उसकी कर से प्रभार्य आय निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अधीन रहते हुए, निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या किसी आयुर्विज्ञान संस्था के उद्देश्यों के लिए भारत में उपगत (पूँजी व्यय से भिन्न) व्यय के लिए कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् संगणित की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ऐसा व्यय, उस निर्धारण वर्ष, जिसके लिए आय संगणित की जा रही है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत पर

निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या आयुर्विज्ञान संस्था के पास जमा काय से नहीं है ;

(ख) ऐसा व्यय, किसी ऋण या उधार से नहीं है ;

(ग) अवक्षयण का दावा उस आस्ति के संबंध में नहीं है, जिसका अर्जन उसी या किसी अन्य पूर्व वर्ष में धारा 11 के अधीन आय के उपयोजन के रूप में दावा किया गया है ; और

(घ) ऐसा व्यय, किसी व्यक्ति से अभिदाय या संदान के रूप में नहीं है ।

उक्त दूसरे परंतुक में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यय की रकम अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) और धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में लागू होते हैं ।

उक्त खंड (23ग) में एक नया तेइसवां परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बाईसवें परंतुक के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त धारा के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने में, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन निर्धारिती को कोई व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरे के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त खंड (23ग) में स्पष्टीकरण 3 भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा संदेय किसी राशि को उस पूर्व वर्ष के दौरान आय के उपयोजन के रूप में समझा जाएगा, जिसमें उसके द्वारा वस्तुतः ऐसी राशि का संदाय किया गया है (उस पूर्ववर्ष पर ध्यान न देते हुए, जिसमें निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा, उसके द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाई जा रही लेखांकन पद्धति के अनुसार ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था) ।

उक्त स्पष्टीकरण में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है:, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी राशि

के संबंध में यह दावा किया गया है कि उसे निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा उपयोजित किया गया है, वहां ऐसी राशि को पश्चातवर्ती पूर्ववर्ष में उपयोजित राशि के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) का खंड (घ) उपबंध करता है कि धारा 60 से धारा 63 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विनिर्दिष्ट निदेश के साथ स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में आय, वह इस शर्त के अधीन रहते हुए किसी न्यास या संस्था के काय का भाग बनेगी कि ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय का ऐसे काय के लिए विनिर्दिष्ट रूप से अनुरक्षित उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट प्ररूपों या ढंगों में से किसी एक या अधिक में विनिधान किया या जमा किया जाता है, ऐसी आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ष में कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 3क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यास या संस्था के अधीन धारित संपत्ति के अंतर्गत कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित कोई अन्य स्थान है, ऐसे न्यास या संस्था द्वारा ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के नवीकरण या मरम्मत के किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक अंशदान के रूप में प्राप्त किसी राशि को ऐसे न्यास या संस्था द्वारा निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए न्यास या संस्था के काय का एक भाग समझा जा सकेगा कि न्यास या संस्था,

(क) ऐसे काय का उस प्रयोजन के लिए अनुप्रयोग करती है, जिसके लिए स्वैच्छिक अंशदान किया गया था ;

(ख) ऐसा काय का किसी अन्य व्यक्ति को अंशदान या संदान करने के लिए अनुप्रयोग नहीं करती है ;

(ग) ऐसे काय का पृथक् रूप से पहचान योग्य के रूप में अनुरक्षण करती है ; और

(घ) ऐसे काय का धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप और ढंग से विनिधान और निक्षेप करती है ।

उक्त उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 3ख भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित स्पष्टीकरण

उक्त के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी न्यास या संस्था को उसके द्वारा प्राप्त किसी राशि को काय का भाग माना गया है और उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) या (घ) में वर्णित किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसी राशि को पूर्ववर्ष, जिसके दौरान उल्लंघन होता है, ऐसे न्यास या संस्था की आय समझी जाएगी।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां न्यास या संस्था ने उपधारा (2) के अधीन कोई आय संचयित की है और उपधारा (2) के अधीन उपबंधित किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है तो ऐसी आय को उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार न्यास या संस्था की आय समझी जाएगी।

उक्त उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे दीर्घ पंक्ति को प्रतिस्थापित किया जा सके ताकि यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय का अनुप्रयोग उसमें विनिर्दिष्ट के लिए करना या उसका उसमें विनिधान रहना या उपयोग न करना या प्रत्यय न करना या संदत्त न रहना समाप्त हो जाता है तो उसे पूर्व वर्ष में ऐसे व्यक्ति की आय समझा जाएगा--

(i) जिसमें इसका अनुप्रयोग किया जाता है या उसका इस प्रकार संचित करना या पृथक् करना समाप्त हो जाता है ; या

(ii) जिसमें उसका इस प्रकार किया गया विनिधान या जमा समाप्त हो जाता है ; या

(iii) उस कालावधि का अंतिम पूर्ववर्ष होने के नाते, जिसमें उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन आय संचित की जाती है या पृथक् रखी जाती है, किन्तु उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए उसे इस प्रकार संचित किया गया था या पृथक् रखा गया था, उसका उपयोग नहीं किया जाता है ; या

(iv) जिसमें उसको किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था, में प्रत्यय या संदत्त किया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी न्यास या संस्था द्वारा संदेय किसी राशि को उस पूर्व वर्ष के दौरान आय के

उपयोजन के रूप में समझा जाएगा, जिसमें उसके द्वारा वस्तुतः ऐसी राशि का संदाय किया गया है (उस पूर्ववर्ष पर ध्यान न देते हुए, जिसमें न्यास या संस्था द्वारा, उसके द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाई जा रही लेखांकन पद्धति के अनुसार ऐसी राशि का संदाय करने का दायित्व उपगत हुआ था)।

उक्त स्पष्टीकरण में परंतुक अंत स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी राशि के संबंध में यह दावा किया गया है कि उसे न्यास या संस्था द्वारा उपयोजित किया गया है, वहां ऐसी राशि को पश्चातवर्ती पूर्ववर्ष में उपयोजित राशि के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन अप्रैल 1, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे। 2023-2022

खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है।

उक्त धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (ख) उपबंध करता है कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध किसी न्यास या संस्था के संबंध में तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को लागू किए बिना, जहां उस न्यास या संस्था की इस अधिनियम के अधीन यथासंगणित सकल आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है, वहां उस न्यास या संस्था के उस वर्ष के लेखे धारा 44कख में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए गए हैं और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित हैं, उस तारीख तक प्रस्तुत की है, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं।

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यास या संस्थानों की, अपनी लेखाओं की संपरीक्षा कराने के लिए, जिनकी अधिकतम रकम से अधिक रकम कर से प्रभार्य नहीं है, की अपेक्षा की शर्त के अतिरिक्त, ऐसे न्यासों से अपनी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसे स्थानों पर रखने की भी अपेक्षा होगी, जो विहित किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 7 आय-कर अधिनियम की धारा 12कख का संशोधन करने के लिए है, जो नए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) और उपधारा (5) में न्यास या संस्था को मंजूर रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं ।

उक्त धारा की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण, यथास्थिति, धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त,--

(क) ने किसी पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमणों को देखा है ; या

(ख) ने धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी से कोई प्रतिनिर्देश प्राप्त किया है ; या

(ग) ने समय-समय पर, बोर्ड द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए विरचित ऐसे मामले का जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार चयन किया है,

वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त--

(i) न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जो वह किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने या अन्यथा के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझता है ;

(ii) सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा ऐसे पूर्ववर्ष और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण हुए हैं ;

(iii) यदि एक या अधिक विनिर्दिष्ट अतिक्रमण होने के संबंध में उसका समाधान नहीं होता है तो ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने से इंकार करने वाला लिखित आदेश पारित कर सकेगा ; और

(iv) निर्धारण अधिकारी और ऐसे न्यास या संस्था को, यथास्थिति, खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आदेश की एक प्रति अग्रेषित करेगा ।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "विनिर्दिष्ट अतिक्रमण" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,--

(क) जहां न्यास के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए

पूर्णतया: या भागतः धृत संपत्ति से व्युत्पन्न आय को न्यास या संस्था के उद्देश्यों से भिन्न किसी कार्य के लिए उपयोजित किया गया है ; या

(ख) न्यास या संस्था की कारबार के लाभ और अभिलाभ से आय है, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक नहीं है या ऐसे कारबार के संबंध में, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति से आनुषंगिक है, ऐसे न्यास या संस्था ने पृथक् लेखा बहियां नहीं रखी हैं ; या

(ग) न्यास या संस्था ने किसी न्यास के अधीन धृत संपत्ति से अपनी आय के किसी भाग को प्राइवेट धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया है, जिससे पब्लिक को फायदा सुनिश्चित नहीं होता है ; या

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् पूर्त प्रयोजनों के लिए सृजित या स्थापित न्यास या संस्था ने अपनी आय के किसी भाग का किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदे के लिए उपयोजन किया है ; या

(ङ) न्यास या संस्था द्वारा किया जा रहा कोई क्रियाकलाप,—

(i) वास्तविक नहीं है ; या

(ii) ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अध्यक्षीन उसका रजिस्ट्रीकरण किया गया था, नहीं चलाया जा रहा है ; या

(च) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट, किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, जिसे या तो विवादित नहीं किया गया है या उसे अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है ;

उक्त धारा की उपधारा (5) को भी प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आदेश उस तिमाही के अंत से, जिसमें प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पहली सूचना उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन, दस्तावेज या सूचना की मांग करने या कोई जांच करने के लिए जारी किया गया है, से संगणित छह मास की अवधि के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 8 आय-कर अधिनियम की धारा 13 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय दशाओं में धारा 11 का लागू न होना से संबंधित है ।

धारा 13 की उपधारा (1) उन मामलों के लिए उपबंध करती है, जिनमें

धारा 11 या धारा 12 के उपबंध प्रभावी नहीं होंगे, जिससे ऐसी आय की प्राप्ति में न्यासों या संस्थाओं की पूर्ववर्ष की कुल आय को अपवर्जित किया जा सके ।

उक्त उपधारा का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि धारा 11 या धारा 12 के उपबंध प्रभावी नहीं होंगे जहां किसी न्यास या संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को कतिपय अभिलाभ दे दिए गए हैं ।

उक्त उपधारा के खंड (ग) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड में यथानिर्दिष्ट आय के भाग, जो उक्त धारा की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के अभिलाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित या प्रयुक्त या उपयोजित की जाती है, आय के ऐसे भाग को ऐसी आय की प्राप्ति में न्यास या संस्थान की कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाएगा ।

उक्त उपधारा का खंड (घ) यह उपबंध करता है कि धारा 11 या धारा 12 के उपबंध जब तक प्रभावी नहीं होंगे तब तक कि न्यास या संस्था की निधियों का विनिर्दिष्ट ढंग से विनिधान या निक्षेप नहीं किया जाता है ।

उक्त उपधारा के खंड (घ) के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि न्यास या संस्था की निधियों को विनिर्दिष्ट ढंग से भिन्न किसी एक या अधिक प्ररूपों में विनिधान या निक्षेप किया जाता है, तब ऐसे निक्षेपों या विनिधानों के विस्तार तक आय, ऐसी आय की प्राप्ति में न्यास या संस्था की कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा में नई उपधारा (10) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (8) के उपबंध, किसी न्यास या संस्था को लागू होते हैं या वह धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (खक) के अधीन विहित शर्तों का अतिक्रमण करता है, तो उसकी कर से प्रभार्य आय की संगणना, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, किसी न्यास या संस्था के उद्देश्यों के लिए, भारत में उपगत व्यय (पूजी व्यय से भिन्न) के लिए कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ऐसा व्यय निर्धारण वर्ष, जिसके लिए आय की संगणना की जा रही है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत तक न्यास या संस्था के खाते में जमा काय से नहीं किया गया हों ;

(ख) ऐसा व्यय किसी ऋण या उधार से नहीं किया गया हों ;

(ग) अवक्षयण का दावा किसी आस्ति के संबंध में नहीं किया गया हों, जिसके अर्जन का प्रयोज्य आय के रूप में उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में दावा नहीं किया गया हों ; और

(घ) ऐसा व्यय, किसी व्यक्ति को अभिदाय या संदान के रूप में नहीं हो।

उपधारा (10) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जाए कि इस उपधारा के अधीन व्यय की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (झक) और धारा 40 की उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जिस प्रकार वह "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में लागू होते हैं।

उक्त धारा की उपधारा (11) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (10) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन निर्धारिती को किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरे के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 9, आय-कर अधिनियम की धारा 14क का संशोधन करने के लिए है, जो कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य आय के संबंध में उपगत व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि उस आय के संबंध में कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो आय-कर अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कुल आय की संगणना के प्रयोजन के लिए, ऐसी आय के संबंध में, जो कुल आय का भाग नहीं है, उपगत व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबंध लागू होंगे और ऐसे मामले में सदैव लागू हुए समझे जाएंगे, जहां आय, जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है, किसी निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं हुई है या प्राप्त नहीं की गई है और ऐसी आय, जो कुल आय का भाग नहीं है, के संबंध में उक्त पूर्व वर्ष के दौरान व्यय

उपगत किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 10 “वेतन”, “परिलब्धि” और “वेतन के बदले में लाभ” की परिभाषा से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त धारा का खंड (2), अन्य बातों के साथ, “परिलब्धि” पद की परिभाषा का उपबंध करता है और उक्त खंड का परंतुक कतिपय अपवर्जनों का उपबंध करता है, जो “परिलब्धि” के भाग नहीं होंगे ।

उक्त परंतुक का खंड (ii) उपबंध करता है कि कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों में नियोजक द्वारा ऐसे किसी ऐसे व्यय के संबंध में, जो कर्मचारी द्वारा अपने चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तविक रूप से उपगत किया जाता है, संदत्त कोई राशि परिलब्धि का भाग नहीं होगी ।

उक्त खंड (ii) का, एक नया उपखंड अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा ऐसे किसी ऐसे व्यय के संबंध में, जो कर्मचारी द्वारा कोविड-19 से संबंधित किसी रूग्णता के संबंध में अपने चिकित्सीय उपचार पर या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के उपचार पर वास्तविक रूप से उपगत किया जाता है, संदत्त कोई राशि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, “परिलब्धि” का भाग नहीं होगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य संस्था या उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी उपधारा (1) के अधीन यथा उपबंधित कटौती की तब तक हकदार नहीं होगी, जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए एक विवरण तैयार नहीं कर लेता या लेती है और आदाता को विहित रीति में संदान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता या देती है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या खंड

(ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य संस्था या उपधारा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनी को संदत्त किसी राशि के संबंध में कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए एक विवरण तैयार नहीं कर लेता या लेती है और आदाता को विहित रीति में संदान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता या देती है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

खंड 12 आय-कर अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है, जो व्यय की साधारण अनुज्ञेयता से संबंधित है ।

उक्त धारा, व्यय जो कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः और अनन्यतः उपगत या किया गया है, की साधारण अनुज्ञेयता का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 1 उपबंध करता है कि किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, निर्धारिती द्वारा उपगत कोई व्यय कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया नहीं समझा जाएगा और ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती या मोक नहीं दिया जाएगा ।

उक्त उपधारा में एक नया स्पष्टीकरण 3 को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह और स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण 1 के अधीन "किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है" पद के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा उपगत व्यय सम्मिलित होगा और सदैव सम्मिलित हुआ समझा जाएगा,--

(i) किसी प्रयोजन के लिए, जो भारत में या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध है या प्रतिषिद्ध है ; या

(ii) किसी व्यक्ति को, किसी रूप में कोई फायदा या परिलब्धि प्रदान करना, चाहे वह कोई कारबार या वृत्ति कर रहा है और ऐसे फायदे या परिलब्धि का ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, किसी विधि या नियम या विनियम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन में स्वीकार करना ; या

(iii) भारत में या भारत से बाहर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध का शमन ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 13 आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (क) का उपखंड (ii) उपबंध करता है कि किसी कारबार या वृत्ति के लाभों या अभिलाभों पर उद्गृहीत अथवा किन्हीं ऐसे लाभ या अभिलाभों के अनुपात पर या अन्यथा उनके आधार पर निर्धारित किसी दर या कर की बाबत संदत्त किसी राशि की “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ii) में एक नया स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, ‘कर’ पद के अंतर्गत ऐसे कर पर कोई अधिभार या उपकर सम्मिलित होगा, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, और सदैव इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-06 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 14 आय-कर अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने के लिए है, जो वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कतिपय कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 3ग, 3गक और 3घ उपबंध करते हैं कि किसी राशि की कटौती, जो उक्त धारा के खंड (घ), खंड (घक) और खंड (ड) के अधीन संदेय ब्याज है, को अनुज्ञात किया जाएगा, यदि ऐसा ब्याज वास्तव में संदत्त किया गया है और इन खंडों में निर्दिष्ट किसी ब्याज को, जिसे किसी ऋण या उधार या अग्रिम में संपरिवर्तित कर दिया गया है, वास्तव में संदत्त किया गया नहीं समझा जाएगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 3ग, स्पष्टीकरण 3गक और स्पष्टीकरण 3घ को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के खंड (घ), खंड (घक) और खंड (ड) के अधीन संदेय ब्याज का किसी डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में संपरिवर्तन, जिसके द्वारा संदाय करने के दायित्व को किसी भावी तारीख तक स्थगित कर दिया जाता है, को वास्तव में संदत्त किया गया नहीं समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 15 आय-कर अधिनियम की धारा 50 का संशोधन करने के लिए है जो अपक्षीय आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा अवक्षयन आस्तियों की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना

करने के लिए धारा 48 और धारा 49 के उपबंधों के लागू होने में कतिपय उपांतरणों का उपबंध करती है, जहां पूंजी आस्ति, उस आस्ति समूह, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन अवक्षयन अनुज्ञात किया गया है, का भाग गठित करने वाली आस्ति है।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि उस दशा में जहां 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए कारबार या वृत्ति की गुडविल आस्ति समूह के भाग का गठन करती है और निर्धारिती द्वारा आय-कर अधिनियम के अधीन उस पर अवक्षयन प्राप्त कर लिया गया है तो उस आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य और अल्पावधि पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हों, ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, अवधारित किया जाएगा।

यह स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके धारा 50 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा 50 के प्रयोजनों के लिए धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) की उपमद (आ) के अनुसार आस्ति समूह से किसी कारबार या वृत्ति की गुडविल से रकम की कटौती का अंतरण होना समझा जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 16 आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2), यह उपबंध करती है कि उसमें यथा उपबंधित कतिपय आय उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित आय “अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी।

उक्त उपधारा का खंड (viiख) यह उपबंध करता है कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन प्रभार्य होगा।

उक्त खंड (viiख) का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां शेयरों के पुरोधरण के लिए प्रतिफल, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी विनिर्दिष्ट निधि द्वारा जोखिम पूंजी उपक्रम से प्राप्त किया जाता है।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण किसी विनिर्दिष्ट निधि के प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में परिभाषित करने का उपबंध करता है, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित किया जाता है ।

खंड (viiख) के उक्त स्पष्टीकरण को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट निधि के अंतर्गत प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 की वैकल्पिक विनिधान निधि, जिसे वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन विनियमित किया जाता है, भी सम्मिलित होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

आय-कर अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (X) के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, उपबंध करते हैं कि जहां कोई व्यक्ति किसी पूर्व वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से बिना किसी प्रतिफल के कोई धनराशि प्राप्त करता है, जिसका समग्र मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो ऐसी राशि का संपूर्ण समग्र मूल्य उस राशि को प्राप्त करने वाले को व्यक्ति की आय होगी ।

उक्त खंड का परंतुक कतिपय अपवर्जनों का उपबंध करता है, जो खंड में विनिर्दिष्ट आय का भाग नहीं होंगे ।

दो नए खंड (XII) और खंड (XIII) अंतःस्थापित करने के लिए उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि—

(i) किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से उसके चिकित्सा उपचार या उसके कुटुंब के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर कोविड-19 से संबंधित किसी रोग के संबंध में वास्तविक रूप से उसके द्वारा किए गए उपगत किसी व्यय के लिए प्राप्त कोई धनराशि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, ऐसे व्यक्ति की आय नहीं होगी ।

(ii) मृतक व्यक्ति के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा मृतक व्यक्ति के नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से उस सीमा तक प्राप्त कोई धनराशि, जो राशि या ऐसी राशियों का समग्र दस लाख रुपए से अधिक नहीं होता है, जहां ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से संबंधित रूग्णता के कारण हुई है और उसके द्वारा संदाय ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से 12 मास के भीतर प्राप्त किया जाता है और

ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं, ऐसे व्यक्ति की आय नहीं होगी ।

यह उपबंध करने के लिए एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि इस परंतुक के उक्त दोनों खंडों (XII) और (XIII) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के संबंध में “कुटुंब” का वही अर्थ होगा जो उसका धारा 10 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 में है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त उपधारा का खंड (x) का स्पष्टीकरण उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए यह उपबंध करता है कि “निर्धारणीय”, “उचित बाजार मूल्य”, “आभूषण”, “संपत्ति”, “नातेदार” और “स्टांप शुल्क मूल्य” पदों के वही अर्थ होंगे, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं ।

उक्त स्पष्टीकरण को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे “संपत्ति” पद की परिभाषा में का वही अर्थ होगा, जो खंड (vii) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) में उसका हैं और इसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्ति सम्मिलित होगी, को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन अप्रैल 1, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 68 का संशोधन करने के लिए है, जो रोकड़ जमा से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंध यह उपबंध करते हैं कि जहां कोई राशि किसी पूर्व वर्ष के लिए रखी गई निर्धारिती की पुस्तकों में जमा की गई पाई जाती है और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी की राय में समाधानप्रद नहीं है, वहां इस प्रकार जमा की गई राशि निर्धारिती की उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभारित की जा सकेगी ।

उक्त धारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां इस प्रकार प्रत्यय की गई राशि, ऋण या उधार या किसी ऐसी रकम, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, से मिलकर बनी है, ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित किसी स्पष्टीकरण को तब तक असमाधानप्रद नहीं समझा जाएगा, जब तक कि व्यक्ति, जिसके नाम में ऐसे प्रत्यय को ऐसे निर्धारिती की बहियों में अभिलिखित किया गया है, इस प्रकार प्रत्यय की गई ऐसी राशि की प्रकृति और स्रोत के संबंध में किसी स्पष्टीकरण का प्रस्ताव भी करता है, और निर्धारण अधिकारी की राय में ऐसा स्पष्टीकरण

और अन्य परंतुकों के पारिणामिक संशोधन समाधानप्रद पाए गए हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 18 आय-कर अधिनियम की धारा 79 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रणीत किया जाना और उनका मुजरा किए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है, पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष के किसी पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रणीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे ।

उक्त धारा की उपधारा (2) उन कतिपय मामलों का उपबंध करती है, जिनमें उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

एक नया खंड (च) अंतःस्थापित करके उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सामरिक अपविनिधान के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् ऐसी तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी की अंतिम धृति कंपनी, प्रत्यक्षतः या इसके समनुषंगी या समनुषंगियों के माध्यम से, तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी की कुल मतदान शक्ति का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करना जारी रखती है, उपधारा (1) की कोई बात लागू नहीं होगी ।

उक्त धारा में उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपधारा के खंड (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन सामरिक अपविनिधान के पूर्ण होने के पश्चात् किसी पूर्व वर्ष में नहीं किया जाता है तो उपधारा (1) के उपबंध ऐसे पूर्व वर्ष और पश्चातवर्ती पूर्व वर्षों के लिए लागू होंगे ।

“तत्कालीन पब्लिक सेक्टर कंपनी” और “सामरिक अपविनिधान” पदों की परिभाषा अंतःस्थापित करने के लिए, अन्य बातों के साथ, स्पष्टीकरण का

संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 19 आय-कर अधिनियम में नई धारा 79क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो तलाशी, अभिग्रहण और सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप हानियों का कोई मुजरा न होने से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अग्रेषित या अन्यथा हानियों या अनामेलित अवक्षयण के लिए निर्धारिती की किसी पूर्ववर्ष में कुल आय की संगणना करते हुए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अप्रकटित आय है, कोई मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा,—

(i) जो धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा या धारा 133क की उपधारा (2क) से भिन्न उस धारा के अधीन सर्वेक्षण के दौरान पाई जाती है ; या

(ii) जो पूर्ववर्ष के संबंध में, साधारण अनुक्रम में व्ययों के संबंध में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में किसी प्रविष्टि द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः प्रस्तुत पूर्ववर्ष की कोई आय है, जो मिथ्या पाई जाती है और यदि तलाशी आरंभ नहीं की गई होती या सर्वेक्षण नहीं किया गया होता या अध्यपेक्षा नहीं की गई होती तो इस प्रकार नहीं पाई जाती ।

प्रस्तावित नई धारा, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, “अप्रकटित आय” अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-23 तथा पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 20 आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि निर्धारिती को, उसकी कुल आय की संगणना में, किसी अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा कर्मचारी के खाते में किए गए किसी अभिदाय के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई संपूर्ण रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि यह पूर्व वर्ष में उसके वेतन के चौदह प्रतिशत से अधिक या किसी अन्य नियोजक के लिए पूर्व वर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होती है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन, निर्धारिती को, किसी अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी अभिदाय के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा अभिदाय की गई संपूर्ण रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि यह पूर्व वर्ष में उसके वेतन के चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चात्तर्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ का संशोधन करने के लिए है, जो किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती से संबंधित है ।

धारा 80घघ के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, जहां किसी निर्धारिती ने, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और भारत में निवासी है, पूर्ववर्ष के दौरान कोई व्यय किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार (जिसके अंतर्गत परिचर्या भी है), प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए किया है; या जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, भरण-पोषण के लिए किसी स्कीम के अधीन कोई रकम संदत्त या जमा की है ।

(2) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि कटौती केवल तभी अनुज्ञात की जाएगी यदि स्कीम में ऐसे किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य की, जिसके नाम में स्कीम में अभिदाय किया गया है, मृत्यु की दशा में किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के संदाय का उपबंध है और निर्धारिती ऐसे आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, फायदे के लिए निःशक्त आश्रित व्यक्ति को अथवा उसकी ओर से संदाय प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या किसी न्यास को नामनिर्देशित करता है ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि यदि आश्रित की, जो निःशक्ति व्यक्ति, व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्कीम में संदत्त या जमा की गई रकम के बराबर किसी रकम को उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम निर्धारिती द्वारा प्राप्त की जाती है, निर्धारिती की आय समझा जाएगा और तदनुसार वह उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी ।

उपधारा (2) के खंड (क) का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी यदि किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के

किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में जिसके नाम पर स्कीम में अभिदाय किया गया है ; या ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य के साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु होने पर तथा ऐसी स्कीम में संदाय या जमा बंद कर दिया गया है, स्कीम आश्रित, जो निःशक्त व्यक्ति है, के फायदे के लिए वार्षिकी या एकमुश्त रकम के संदाय का उपबंध करती हैं ।

और, उपधारा (3क) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (3) के उपबंध आश्रित द्वारा, जो निःशक्त व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के पूर्व, उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट शर्तों को लागू करके वार्षिकी या एकमुश्त के माध्यम से प्राप्त रकम को लागू नहीं होंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 22 आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी पात्र स्टार्ट अप द्वारा निगमन की तारीख से, निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए, निर्धारित के विकल्प पर, दस वर्ष में से तीन क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए किसी पात्र कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के एक सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का उपबंध करते हैं,-

(i) उसके कारबार का कुल आवर्त एक अरब रुपए से अधिक नहीं है ;

(ii) वह अंतर-मंत्रालयी बोर्ड से पात्र कारबार का प्रमाणपत्र धारण करता हो ; और

(iii) वह 1 अप्रैल, 2016 के पश्चात्, किन्तु 1 अप्रैल, 2022 से पूर्व निगमित किया गया हो ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पात्र स्टार्ट अप के निगमन की अवधि का 1 अप्रैल, 2023 तक विस्तार किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 23 आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक का संशोधन करने के लिए है, जो अपतट बैंककारी यूनिटों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कतिपय आय के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1क), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारिती की, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई यूनिट है, सकल कुल आय में उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, निर्धारिती के विकल्प पर आय से, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाली पन्द्रह वर्ष की अवधि में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसी आय के सौ प्रतिशत रकम के बराबर की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (2), ऐसी आयों को, जो उक्त धारा की उपधारा (1क) के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, कटौती के लिए पात्र है, विनिर्दिष्ट करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (घ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आस्ति, जो कोई पोत है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी यूनिट द्वारा किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया था, के अंतरण से उद्भूत आय इस शर्त के अधीन रहते हुए कि यूनिट ने 31 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व प्रचालन आरंभ कर दिया है, उक्त उपधारा (1क) के अधीन कटौती के लिए भी पात्र होगी ।

उक्त खंड (घ) के स्पष्टीकरण का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "पोत" का वही अर्थ होगा, जो उसका अधिनियम की धारा 10 के खंड (4च) में है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 24 आय-कर अधिनियम की धारा 92गक का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित द्वारा असन्निकट कीमत के अवधारण के प्रयोजन के लिए किसी पहचान विहीन स्कीम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करती है, जिससे,—

(क) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा ;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ असन्निकट कीमत के टीम आधारित अवधारण को समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (9) यह और उपबंध करती है कि पूर्वोक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि आय-कर अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

उक्त उपधारा (9) के परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए निदेश जारी करने की तारीख को 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 25 धारा 94 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूतियों में कतिपय संव्यवहारों द्वारा कर का परिवर्जन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (8) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रतिभूतियों पर भी लागू किया जा सके ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (कक) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "रिकार्ड तारीख" पद की परिभाषा को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जा सके कि "रिकार्ड तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो किसी कंपनी द्वारा ; धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में यथानिर्दिष्ट कोई पारस्परिक निधि या विनिर्दिष्ट उपक्रम या विनिर्दिष्ट कंपनी के प्रशासक द्वारा ; या धारा 2 के खंड (13ख) में यथा परिभाषित कारबार न्यास द्वारा ; या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित वैकल्पिक विनिधान निधि, यथास्थिति, प्रतिभूतियों या यूनिटों के धारक के हक के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, लाभांश, आय या किसी प्रतिफल के बिना अतिरिक्त प्रतिभूतियां या यूनिट प्राप्त करने के लिए नियत की जाए ।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के खंड (घ) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे "यूनिट" पद की परिभाषा को विस्तृत किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख का

संशोधन करने के लिए है, जो नई विनिर्माणकारी देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) उन शर्तों को विनिर्दिष्ट करती है, जिनको किसी देशी कंपनी को, इस धारा के अधीन कराधेय होने के लिए पात्र होने हेतु, पूरा करने की आवश्यकता होती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) अपेक्षा करता है कि देशी कंपनी को 1 अक्टूबर, 2019 से पहले स्थापित और रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए और उसने 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व किसी वस्तु का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ कर दिया हो ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन के प्रारंभ की तारीख का 31 मार्च, 2023 से विस्तार करके 31 मार्च, 2024 किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2022-23 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 27 आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि किसी भारतीय कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय में ऐसी कोई आय सम्मिलित है, जो लाभांशों के रूप में किसी विदेशी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त की गई है, जिसमें उक्त भारतीय कंपनी साधारण अंश पूंजी के अभिहित मूल्य का छब्बीस प्रतिशत या उससे अधिक धारित करती है, ऐसी लाभांश आय पर पन्द्रह प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा ।

एक नई उपधारा (4) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष को लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023- 2024 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 28 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 115खखज को अंतःस्थापित करने के लिए है, जो आभासी डिजिटल आस्तियों से आय पर कर से संबंधित है ।

नई प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारिती की कुल आय में, आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से कोई आय सम्मिलित है, संदेय आय-कर—

(क) ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से आय पर आय-कर की तीस प्रतिशत की दर से संगणित रकम ; और

(ख) आय-कर की रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि निर्धारिती की कुल आय को खंड (क) में निर्दिष्ट आय के योग से घटा दिया जाता,

का योग होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) (अर्जन की लागत से भिन्न) किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरा के संबंध कोई कटौती निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट आय की संगणना करने में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ; और

(ख) अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन संगणित आय के लिए निर्धारिती को कोई मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन संगणित आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण से हानि है और ऐसी हानि को उत्तरवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अग्रणीत करना अनुज्ञात नहीं होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 28 आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड़ को भी अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय संस्थाओं की विनिर्दिष्ट आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था किसी या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था के निमित्त कोई आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, की आय में किसी विनिर्दिष्ट आय के माध्यम से कोई आय सम्मिलित है, वहां संदेय आय-कर—

(i) विनिर्दिष्ट आय के योग पर तीस प्रतिशत की दर से संगणित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की रकम, जिससे निर्धारिती प्रभार्य होता, यदि निर्धारिती की कुल आय को खंड (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट आय के योग से घटा दिया जाता,

का योग होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि किसी व्यय या मोक या किसी हानि के मुजरा के संबंध में कोई कटौती निर्धारिती को उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट आय की संगणना करने में अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि “विनिर्दिष्ट आय” में निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :--

(क) आय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक संचयित या अलग रखी गई आय, जहां ऐसा संचयन अधिनियम के किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाता है ; या

(ख) धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 4 या धारा 11 की उपधारा (1ख) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट समझी गई आय ; या

(ग) कोई आय, जो धारा 10 के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के खंड (ख) के उपबंधों के अतिक्रमण के कारण या धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन छूट प्राप्त नहीं है या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं की जाने वाली कोई आय है ; या

(घ) कोई आय, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक के अधीन आय समझा जाता है या जिसे धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं किया जाता है ; या

(ङ) कोई आय, जो धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन कुल आय से अपवर्जित नहीं है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 115अग का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि उसकी उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित कोई यूनिट है और अपनी आय एकमात्र रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है, वहां वह ऐसी कुल आय पर नौ प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

उक्त उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित कोई यूनिट है और अपनी आय एकमात्र रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करता है, वहां वह ऐसी कुल आय पर नौ प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा और जहां उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति, एक सहकारी सोसाइटी है, वहां वह ऐसी कुल आय पर पंद्रह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 30 आय-कर अधिनियम की धारा 115जच का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 12खक में निर्वचन से संबंधित है ।

उक्त धारा अध्याय में प्रयुक्त पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने का उपबंध करती है ।

उक्त धारा का खंड (ख) "अनुकल्पी न्यूनतम कर" को परिभाषित करने का उपबंध करता है ।

उपखंड (i) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुकल्पी न्यूनतम कर की दर, किसी निर्धारिती की दशा में, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित कोई यूनिट है और जो केवल संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा से अपनी आय प्राप्त करता है, नौ प्रतिशत होगी और किसी निर्धारिती की दशा में जो एक सहकारी सोसाइटी है, पंद्रह प्रतिशत होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 31 आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जहां किसी पूर्व वर्ष में, धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था किसी ऐसे रूप में परिवर्तित हो गई है जो उक्त धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं है या किसी ऐसे अस्तित्व,

जो कोई न्यास या संस्था है, से भिन्न किसी अन्य अस्तित्व में विलय हो गई है जिसके उद्देश्य उसके समान हैं या जो विघटन पर अपनी सभी आस्तियां उक्त धाराओं के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य न्यास या संस्था, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को उस मास के, जिसमें विघटन होता है, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर, अंतरित करने में असफल रहती है, ऐसे न्यास या संस्था की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट तारीख को, यथास्थिति, न्यास या संस्था की अनुवर्धित आय पर कर प्रभार्य किया जाएगा और ऐसा न्यास या संस्था अतिरिक्त आय-कर अनुवर्धित आय पर अधिकतम मार्जिन की दर पर संदाय करने के लिए दायी होगा।

उक्त धारा में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध, अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को भी लागू होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का खंड 32 आय-कर अधिनियम की धारा 115नड का संशोधन करने के लिए है, जो न्यास या संस्था द्वारा कर के असंदाय के लिए संदेय ब्याज से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जहां न्यास या संस्था का प्रधान अधिकारी या न्यासी और न्यास या संस्था, धारा 115नघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुवर्धित आय पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग को, उस धारा की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर संदत्त करने में असफल रहता या रहती है, वहां वह अंतिम तारीख के, जिसको ऐसा कर संदेय था, ठीक पश्चात् की तारीख को आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको कर वस्तुतः संदत्त किया गया था, समाप्त होने वाली अवधि के लिए ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा या होगी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "न्यास या संस्था" के प्रतिनिर्देश को "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" के प्रतिनिर्देश से प्रतिस्थापित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष

2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड 33 आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ का संशोधन करने के लिए है, जो न्यास या संस्था को कब व्यतिक्रमी निर्धारिती माना जाएगा, से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि यदि न्यास या संस्था का कोई प्रधान अधिकारी या न्यासी और न्यास या संस्था, धारा 115नघ के उपबंधों के अनुसार अनुवर्धित आय पर कर संदत्त नहीं करता या करती है, तो उसे उसके द्वारा संदेय कर की रकम की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा और इस अधिनियम के आय-कर के संग्रहण और उसकी वसूली से संबंधित सभी उपबंध लागू होंगे ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे “न्यास या संस्था” के प्रति निर्देश को “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” के प्रतिनिर्देश से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-24 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम की धारा 119 का संशोधन करने के लिए है, जो अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (क) राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के उचित और दक्ष प्रबंधन के प्रयोजन के लिए उसमें विनिर्दिष्ट धारा के उपबंधों से संबंधित शिथिलीकरण या अन्यथा के माध्यम से अन्य आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आय के किसी वर्ग या मामलों के किसी वर्ग के संबंध में बोर्ड को साधारण या विशेष आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ।

उन धाराओं की उल्लिखित सूची में, जिनमें बोर्ड ऐसा शिथिलीकरण अनुदत्त कर सकता है, आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित धारा 234च में निर्देश को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 35 आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है, जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (8) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन अभिगृहीत लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 153क या धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन निर्धारण अधिकारी के आदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि से अधिक के लिए प्रतिधारित नहीं किए जाएंगे, जब तक कि उन्हें

प्रतिधारित करने के लिए कारणों को लिखित में उसके द्वारा अभिलिखित नहीं किए जाते हैं और ऐसे प्रतिधारण के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त या आयुक्त, प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध किए गए निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के आदेश को, जो किसी तलाशी मामले में किया जाता है, भी लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

खंड 36 आय-कर अधिनियम की धारा 132ख का संशोधन करने के लिए है, जो अभिगृहीत या अपेक्षित आस्तियों के उपयोजन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उस रीति को उपबंधित करती है जिसमें धारा 132 के अधीन अभिगृहीत आस्तियां या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्तियों के संबंध में व्यौहार किया जाता है। धारा 132ख की उपधारा (1) के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे खंड के उपबंध निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना को पूरा करने के संबंध में भी लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि ऐसे साधारण ब्याज की संगणना किस प्रकार की जाएगी, जिसका केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित धन की रकम पर संदाय किया जाएगा। उक्त उपधारा के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड, निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना को पूरा करने के संबंध में भी लागू होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

खंड 37, आय-कर अधिनियम की धारा 133क का संशोधन करने के लिए है, जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ, “आय-कर प्राधिकारी” पद को परिभाषित करता है।

उक्त परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे “आय-कर प्राधिकारी से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो “प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त से अधीनस्थ है, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए”।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

खंड 38 आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए

है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (8क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जो यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, चाहे उसने किसी निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) के लिए उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की है अथवा नहीं की है, अपनी आय या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के अधीन कर से निर्धारणीय है, की विहित प्ररूप में, विहित रीति में सत्यापित और ऐसी विशिष्टियों को अधिकथित करते हुए, जो विहित की जाए, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास की अवधि के भीतर किसी भी समय ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी फाइल कर सकेगा ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि प्रस्तावित उपधारा (8क) उस दशा में लागू नहीं होगी यदि फाइल की गई अद्यतन विवरणी हानि से संबंधित कोई विवरणी है या उसका प्रभाव ऐसा है जिससे उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर अवधारित कुल कर दायित्व में कमी हो रही है या उसके परिणामस्वरूप कोई प्रतिदाय देय होता है या उसके परिणामस्वरूप उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर शोधय प्रतिदाय में वृद्धि होती है ।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया है कि व्यक्ति इस उपधारा के अधीन अद्यतन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे, जहां ऐसे व्यक्तियों की दशा में धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की गई है या धारा 132क के अधीन उससे लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या अन्य आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क की उपधारा (2क) से भिन्न किसी अन्य उपधारा के अधीन कोई सर्वेक्षण किया गया है या धारा 132 या धारा 132क के अधीन इस प्रभाव की कोई सूचना जारी की गई है कि कोई धन, बुलियन, जेवरात या कोई मूल्यवान वस्तु या चीज का ऐसे व्यक्ति से अभिग्रहण किया गया है या उससे उसके संबंध में अध्यपेक्षा की गई है और वह ऐसे व्यक्ति की है या धारा 132 या धारा 132क के अधीन अभिगृहीत या अध्यपेक्षित किन्हीं लेखाबहियों या दस्तावेजों के संबंध में इस प्रभाव की कोई सूचना जारी की गई है कि वह ऐसे व्यक्ति की है या उससे संबंधित है या उसमें अंतर्विष्ट कोई अन्य जानकारी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है ।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई अद्यतन विवरणी नहीं की जाएगी जहां उसके द्वारा किसी उपधारा के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत कर दी गई है या उसकी दशा में सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन आय के निर्धारण या पुनः निर्धारण या उसकी पुनः

संगणना या पुनरीक्षण के लिए कोई कार्यवाही लंबित है या ऐसी कार्यवाही को पूरा किया गया है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध है कि सुसंगत निर्धारण वर्ष में उस व्यक्ति के कब्जे में तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988, धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 या काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कोई काला धन है और उस संबंध में इस उपधारा के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख से पूर्व उसे संसूचना दे दी गई है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन निर्दिष्ट किसी करार के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कोई सूचना प्राप्त हुई है और उस संबंध में इस उपधारा के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख से पूर्व उसे संसूचना दे दी गई है या ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस उपधारा के अधीन विवरणी फाइल करने की तारीख से पूर्व सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अध्याय 22 के अधीन कोई अभियोजन कार्यवाहियां आरंभ की गई है या वह ऐसा व्यक्ति है या वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से संबंधित है जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए।

यह और प्रस्ताव किया गया है कि उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि आय की विवरणी को उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत किया गया है तो ऐसी विवरणी के साथ धारा 140ख के अधीन यथापेक्षित कर के संदाय का सबूत संलग्न किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।

खंड 39 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 140ख को अंतःस्थापित करने के लिए है, जो अद्यतन विवरणी पर कर से संबंधित।

धारा 139 में एक नई उपधारा (8क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे किसी व्यक्ति द्वारा अद्यतन विवरणी फाइल करने हेतु उपबंध किया जा सके। अतः, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कुल कर संदेय किया जाएगा।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने का प्रस्ताव करती है कि ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, ऐसा निर्धारिती, विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व विवरणी प्रस्तुत करने में किसी विलंब के लिए इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज और फीस या अग्रिम कर के संदाय में किसी व्यतिक्रम या विलंब के लिए ऐसे कर के साथ संगणित अतिरिक्त आय-कर के संदाय का वहां दायी होगा जहां धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है और निम्नलिखित को

गणना में लेने के पश्चात्, धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन ऐसे निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर कर संदेय है। संदेय कर की संगणना निम्नलिखित को हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी :-

(i) कर की रकम, यदि कोई हो, जो अग्रिम कर के रूप में पहले से ही संदत्त है ;

(ii) स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर ;

(iii) धारा 89 के अधीन दावा की गई कोई कर राहत ;

(iv) भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के मददे धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कोई कर राहत या कर कटौती ;

(v) भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में उस धारा में विनिर्दिष्ट संदत्त कर के मददे धारा 90क के अधीन दावा की गई कोई कर राहत ; और

(vi) धारा 115जकक या धारा 115जघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय।

ऐसी अद्यतन विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और फीस का सबूत संलग्न होगा।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जहां उसके द्वारा धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट आय-कर की विवरणी (जिसे पहले की विवरणी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) प्रस्तुत की गई है और ऐसे निर्धारिती द्वारा धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के आधार पर कर संदेय है। संदेय कर की संगणना निम्नलिखित को हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी :-

(i) धारा 140क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राहत या कर की रकम, जिसके लिए पहले की विवरणी में प्रत्यय लिया गया है ;

(ii) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी आय पर स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण के अधीन है तथा जिसको कुल आय की संगणना करने में गणना में लिया गया है तथा जिसका पहले की विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(iii) भारत से बाहर किसी देश में ऐसी आय पर संदत्त कर के लेखे धारा 90 या धारा 91 में दावा की गई कर राहत या कर कटौती, जिसका पहले की विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(iv) ऐसी आय पर उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के लेखे धारा 90क के अधीन दावा की

गई कोई कर राहत, जिसका पहले की विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(v) धारा 115जकक या धारा 115जघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती विवरणी में कोई दावा नहीं किया गया है, और

जिसमें ऐसी पूर्ववर्ती विवरणी के संबंध में जारी प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम को जोड़ दिया गया हो । धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत अद्यतन विवरणी के साथ ऐसे कर, अतिरिक्त आय-कर, ब्याज और फीस के संदाय का सबूत संलग्न होगा ।

इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करते समय संदेय अतिरिक्त आय-कर की रकम, यदि ऐसी विवरणी धारा 139 की उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन उपलब्ध समय के अवसान के पश्चात् और सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास की अवधि के पूरा हो जाने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है । तथापि, यदि ऐसी विवरणी सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से बारह मास की अवधि के अवसान के पश्चात् किन्तु चौबीस मास की अवधि के पूरा हो जाने से पूर्व प्रस्तुत की जाती है तो संदेय अतिरिक्त कर की रकम, ऊपर अवधारित संदेय कर और ब्याज की रकम के कुल योग के पचास प्रतिशत के बराबर होगी ।

उपधारा (3) में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अतिरिक्त आय-कर की संगणना के प्रयोजन के लिए "कर" में ऐसे कर पर अधिभार और उपकर, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित होंगे ।

यह भी प्रस्तावित है कि धारा 234ख के स्पष्टीकरण 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, यथास्थिति, ऐसी रकम पर की जाएगी, जो निर्धारित कर के बराबर है या ऐसी रकम पर की जाएगी, जो निर्धारित कर और संदत्त अग्रिम कर के अंतर के बराबर है जहां "निर्धारित कर" से धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी में यथा घोषित कुल आय पर कर अभिप्रेत है और ऐसी संगणना निम्नलिखित को हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी :-

(i) धारा 140क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राहत या कर, जिसके लिए पहले की विवरणी में प्रत्यय लिया गया है ;

(ii) अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी आय पर स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कर, जो ऐसी कटौती या संग्रहण की शर्त के अधीन है तथा जिसको कुल आय की संगणना करने में गणना में

लिया गया है तथा जिसका पहले की विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(iii) भारत से बाहर किसी देश में ऐसी आय पर संदत्त कर के मददे धारा 90 या धारा 91 में दावा की गई कर राहत या कर कटौती, जिसका पहले की विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(iv) ऐसी आय पर उस धारा में निर्दिष्ट भारत से बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के मददे धारा 90क के अधीन दावा की गई कर राहत, जिसका पहले की विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(v) धारा 115अकक या धारा 115अघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किया गया कोई कर प्रत्यय, जिसके संबंध में पूर्ववर्ती विवरणी में कोई दावा नहीं किया गया है, और

जिसमें ऐसी पूर्ववर्ती विवरणी के संबंध में जारी प्रतिदाय, यदि कोई हो, की रकम को जोड़ दिया गया हो ।

यह भी प्रस्तावित है कि यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगी । इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी प्रत्येक दिशानिर्देश को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

प्रस्तावित धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां कोई पूर्ववर्ती विवरणी प्रस्तुत की गई है वहां धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में यथा घोषित कुल आय पर संगणित की जाएगी, जहां कोई पूर्ववर्ती विवरणी फाइल की गई है वहां ऐसी संगणना धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत की गई कुल आय को विवरणी आय के रूप में हिसाब में लेने के पश्चात् की जाएगी । उसी समय, ऊपर अतिरिक्त आय-कर की संगणना हेतु इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार आय पर प्रभार्य ब्याज की ऐसी रकम होगी, जिसमें से पूर्ववर्ती विवरणी के अनुसार संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, को घटा दिया जाए । तथापि, पूर्ववर्ती विवरणी में संदत्त ब्याज उस दशा में शून्य समझा जाएगा, यदि निर्दिष्ट कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 40, आय-कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3), अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करती है

कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती की कुल आय या हानि का, लिखित आदेश द्वारा निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर, उसके द्वारा संदेय राशि या उसको देय किसी रकम के प्रतिदाय की राशि का अवधारण करेगा ।

उक्त उपधारा का परंतुक, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करता है कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के मामले में, कुल आय या हानि के निर्धारण करने का कोई आदेश, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vik) के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में निर्धारण अधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को संसूचित किया गया है और मंजूर किए गए अनुमोदन को वापस ले लिया गया है या अधिसूचना को विखंडित कर दिया गया है, धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, निर्धारण अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके ।

पहले परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (vik) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 11 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था ने, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 या धारा 12कख की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई विनिर्दिष्ट उल्लंघन किया है, तो वह,—

(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, यथास्थिति, अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण वापस लेने के लिए निर्देश भेजेगा ; और

(ख) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय या हानि का निर्धारण करने वाला कोई आदेश, उसके द्वारा धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 12कख की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश को प्रभावी किए बिना नहीं

किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 41 आय-कर अधिनियम की धारा 144 का संशोधन करने के लिए है, जो सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण करेगा, से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण करेगा, यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने में असफलता के साथ धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन अद्यतन विवरणी फाइल करने में असफल रहता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 43 आय-कर अधिनियम की धारा 144ख का संशोधन करने के लिए है, जो पहचानविहीन निर्धारण से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंध, धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन पहचानविहीन निर्धारण किए जाने के दौरान अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध करती है । यह, पहचानविहीन निर्धारण के अंतर्गत आने वाले मामलों के विस्तार, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्रों, निर्धारण इकाइयों, सत्यापन इकाइयों, तकनीकी इकाइयों और पुनर्विलोकन इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ, ऐसी इकाइयों में प्राधिकारियों, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अधिप्रमाणन, विभिन्न केंद्रों और इकाइयों आदि के प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक, प्रक्रियाएं और पद्धतियां अधिकथित करने के लिए शक्ति के प्रत्यायोजन का और उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) से उपधारा (8) के स्थान पर नई उपधारा (1) से उपधारा (8) रखने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके के पहचानविहीन निर्धारण के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए इसकी प्रक्रिया को उपांतरित करने के लिए है । प्रस्तावित धारा के उपबंध अधिनियम की, यथास्थिति, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 144 के अधीन या धारा 147 के अधीन पहचानविहीन निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनःसंगणना के लिए उसमें विनिर्दिष्ट मामलों में लागू होंगे । राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, चयनित मामलों को, किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपेगा और निर्धारिती को यह संसूचित करेगा कि उसकी दशा में निर्धारण उक्त धारा के अनुसार पूरा किया जाएगा । धारा 142 की उपधारा (1) या 143 की उपधारा (2) के अधीन, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से निर्धारिती पर सूचना की तामील की जाएगी । निर्धारिती, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन, इस संबंध में ऐसी सूचना में

विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा, जो निर्धारण इकाई को उत्तर अग्रेषित करेगा ।

इसके पश्चात्, निर्धारण इकाई, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसी और जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिप्राप्त करने का, सत्यापन इकाई द्वारा जांच या सत्यापन करने का, और तकनीकी इकाई से, तकनीकी इकाई को निर्दिष्ट करके छूट या अन्य तकनीकी सामग्री के संबंध में, तकनीकी सहायता प्राप्त करने का, अनुरोध कर सकेगी और अनुरोध स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा तकनीकी इकाई को सौंपा जाएगा । इसी प्रकार, निर्धारण इकाई प्रतिनिर्देश के लिए तकनीकी इकाई को अनुरोध कर सकेगी और ऐसे अनुरोध को राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र द्वारा स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से तकनीकी इकाई को सौंपा जाएगा । यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति, सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो इस संबंध में आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो निर्धारण इकाई को उत्तर अग्रेषित करेगा । यदि निर्धारिती, तामील की गई सूचना या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना के निबंधनों का पालन करने में असफल रहता है, वहां राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता को निर्धारण इकाई को सूचित करेगा । सूचना की प्राप्ति पर, निर्धारण इकाई, ऐसे निर्धारिती को, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से धारा 144 के अधीन, उस सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक दर्शित करने का अवसर देते हुए, सूचना की तामील करेगा कि उसके मामले में उसके सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्धारण पूरा क्यों नहीं किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या निर्धारण इकाई से प्राप्त कोई रिपोर्ट भेजेगा ।

निर्धारिती, अधिनियम की धारा 144 के अधीन कारण बताओ सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, सूचना का अपना प्रत्युत्तर राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो उसे निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा । यदि निर्धारिती, प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता निर्धारण इकाई को सूचित करेगा । निर्धारण इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में, एक आय या हानि अवधारण प्रस्ताव तैयार करेगी, जहां निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया जाता और ऐसे आय और हानि अवधारण प्रस्ताव की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगा, या किसी अन्य दशा

में, निर्धारिती की आय के लिए प्रस्तावित निर्धारिती के हित के प्रतिकूल परिवर्तनों का कथन करने वाली कारण बताओ सूचना तैयार करेगी और उसे यह प्रस्तुत करने के लिए कहेगी कि प्रस्तावित परिवर्तन क्यों नहीं किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से, निर्धारिती को ऐसी कारण बताओ सूचना की तामील करेगी ।

निर्धारिती, उसकी आय में किए जाने के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों का कथन करते हुए कारण बताओ सूचना का उत्तर, ऐसी कारण बताओ सूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा, जो निर्धारण इकाई को उत्तर अग्रेषित करेगा । यदि निर्धारिती, प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, ऐसी असफलता निर्धारण इकाई को सूचित करेगा । निर्धारण इकाई, प्राप्त प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् या सूचना की प्राप्ति के पश्चात् और अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने पर, एक आय या हानि अवधारण प्रस्ताव तैयार करेगी ।

ऐसे आय या हानि अवधारण प्रस्ताव तैयार करेगी, यथास्थिति, निर्धारिती की आय में प्रस्तावित अंतरों सहित या रहित, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र निर्धारिती इकाई को प्रारूप आदेश तैयार करने की सूचना संप्रेषित करेगा, जो उसके पश्चात् प्रारूप आदेश तैयार करेगी या एक स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से आय या हानि निर्धारण प्रस्ताव किसी पुनर्विलोकन इकाई को सौंपेगी, जो ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करेगी, पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी । राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, पुनर्विलोकन इकाई से प्राप्त पुनर्विलोकन रिपोर्ट को, निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा, जिसने आय या हानि अवधारण प्रस्ताव प्रस्तावित किया था । निर्धारण इकाई, ऐसी पुनर्विलोकन रिपोर्ट में प्रस्तावित कुछ या सभी उपांतरणों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगी, तदनुसार एक प्रारूप आदेश तैयार करेगी और इसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ।

राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, धारा 144ग के अधीन पात्र निर्धारिती की दशा में, प्रारूप आदेश की प्राप्ति पर, विवाद समाधान पैनल के निर्देश के लिए, धारा 144ग की उपधारा (1) के अधीन ऐसा प्रारूप आदेश पारित करने के लिए निर्धारण इकाई को सूचित करेगा और किसी अन्य दशा में, ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार अंतिम निर्धारण आदेश पारित करने के लिए निर्धारण इकाई को सूचित करेगा और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगा तथा इसे राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगा । राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, मांग सूचना के साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती को उसके द्वारा संदेय या उसे शोधय किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग सूचना के साथ, निर्धारिती को शास्ति कार्यवाहियां,

यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करेगा ।

धारा 144ग में निर्दिष्ट पात्र निर्धारिती को ऐसे प्रारूप आदेश पर प्रस्तावित परिवर्तनों की उसकी स्वीकृति फाइल करेगा या ऐसे परिवर्तनों के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों, विवाद समाधान पैनल और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के समक्ष उक्त धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल करनी होगी ।

प्रारूप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों को निर्धारिती द्वारा स्वीकार किए जाने या धारा 144ग की उपधारा (2) में दिए गए समय के भीतर आक्षेप नहीं किए जाने की दशा में, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, उसकी सूचना निर्धारण इकाई को देगा, जो धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, प्रारूप आदेश के आधार पर निर्धारण आदेश पारित करेगी और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगी और आदेश को राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी । जहां पात्र निर्धारिती उसकी दशा में प्रारूप आदेश में प्रस्तावित अंतरों के विरुद्ध विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल करता है वहां वहीं राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र ऐसी संसूचना को ऐसे आक्षेपों की प्रति के साथ निर्धारण इकाई को भेजेगा ।

राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की प्राप्ति पर, ऐसे निदेश निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा । निर्धारण इकाई, विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप, धारा 144ग की उपधारा (13) में अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण पूरा करेगी और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करेगी और ऐसे निर्धारण आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र को भेजेगी ।

राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, अंतिम निर्धारण आदेश की प्राप्ति पर, और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए धारा 144 के अधीन या अन्य मामलों में पात्र निर्धारिती को मांग सूचना के साथ, निर्धारिती को शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों, आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करेगा । राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, निर्धारण पूर्ण होने के पश्चात्, ऐसी कार्रवाई के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, उक्त मामले में अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को, उस मामले का संपूर्ण इलैक्ट्रानिक अभिलेख अंतरित करेगा ।

प्रस्तावित खंड यह भी उपबंध करता है कि पहचानविहीन निर्धारण, ऐसे राज्य क्षेत्रीय या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग या आय या आय के वर्ग या मामलों या मामलों के वर्ग, जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में किया जाएगा ।

प्रस्तावित खंड यह भी उपबंध करता है कि बोर्ड, पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित केन्द्र इकाइयां स्थापित कर सकेगा और उनकी अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अर्थात्,—

(i) केंद्रीयकृत रीति में पहचानविहीन निर्धारण कार्यवाहियां करने को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र ;

(ii) उतनी निर्धारण इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को, निर्धारण करने संबंधी, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन (प्रतिदाय सहित) किसी दायित्व के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण विषय बिन्दुओं या सामग्री की पहचान भी है, कृत्य का पालन करने, इस प्रकार पहचाने गए विषय बिन्दुओं या विवाधकों पर जानकारी या स्पष्टीकरण की ईप्सा करने, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई सामग्री का विश्लेषण करने को सुकर बनाने तथा ऐसे अन्य कृत्य, उसे पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, करने के लिए आवश्यक समझे और “निर्धारण इकाई” पद से, जहां कहीं उसका उपयोग इस धारा में किया गया है, कोई निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हैं ;

(iii) उतनी सत्यापन इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने, सत्यापन संबंधी कृत्यों का पालन करने, जिसके अन्तर्गत जांच, प्रतिसत्यापन, लेखा बहियों की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा और कथनों का अभिलेखन भी है, को सुकर बनाने तथा ऐसे अन्य कृत्यों को, जो सत्यापन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, करने हेतु आवश्यक समझे और “सत्यापन इकाई” पद से, जहां कहीं उसका उपयोग इस धारा में किया गया है, कोई निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हैं ;

(iv) उतनी तकनीकी इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने को सुकर बनाने के लिए, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी कृत्यों के पालन को आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत विधिक, लेखांकन, न्याय संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन, अंतरण कीमत, डाटा विश्लेषण विज्ञान, प्रबंधन या कोई अन्य ऐसा तकनीकी विषय, जो इस धारा के अधीन किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के लिए अपेक्षित हो, भी है और “तकनीकी इकाई” पद से, जहां कहीं उसका उपयोग इस धारा में किया गया है, कोई निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हैं ;

(v) उतनी पुनर्विलोकन इकाइयां, जितनी वह पहचानविहीन निर्धारण करने संबंधी सौंपे गए आय अवधारण प्रस्ताव के पुनर्विलोकन के कृत्य का पालन करने, जिसके अंतर्गत इस बात की जांच करना कि क्या

अभिलेख पर सुसंगत और महत्वपूर्ण साक्ष्य लाया गया है, सुसंगत तथ्य बिन्दु और विधि के प्रश्न को सम्यक् रूप से प्रारूप आदेश में सम्मिलित किया गया है, प्रारूप आदेश में ऐसे मुद्दों पर, जिन पर परिवर्धन या नामंजूरी की जानी चाहिए, चर्चा की गई है, और ऐसे अन्य कृत्य, जो पुनर्विलोकन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों और “पुनर्विलोकन इकाई” पद से, जहां कहीं उसका उपयोग इस धारा में किया गया है, कोई निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत होगा, जिसके पास बोर्ड द्वारा समनुदेशित शक्तियां हैं ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण इकाई, सत्यापन इकाई, तकनीकी इकाई और पुनर्विलोकन इकाई के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

- (i) यथास्थिति, अपर आयुक्त या अपर निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक ;
- (ii) यथास्थिति, उपायुक्त या उप निदेशक या सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक या आय-कर अधिकारी ;
- (iii) ऐसे अन्य आय-कर प्राधिकारी, अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद, कार्यपालक या सलाहकार, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं ।

प्रस्तावित संशोधन यह भी उपबंध करता है कि निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, सूचना या दस्तावेजों या साक्ष्य या किसी अन्य ऐसे व्यौरों के संबंध में सभी संसूचनाएं, जो पहचानविहीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से होंगी । राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के बीच सभी संसूचनाएं, अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होंगी, और राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र, क्षेत्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र तथा विभिन्न इकाइयों के बीच सभी आंतरिक संसूचनाएं अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिकी ढंग से होंगी । तथापि, इस उपधारा के उपबंध, सत्यापन इकाई द्वारा इस संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में की गई जांच या सत्यापन को लागू नहीं होंगे ।

पहचानविहीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख के अधिप्रमाणन का उपबंध करने के लिए यह और प्रस्तावित है कि किसी व्यक्ति से, व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में प्रस्तावित धारा के अधीन स्थापित किसी इकाई के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

यह प्रस्ताव है कि उस दशा में, जहां आय या हानि अवधारण प्रस्ताव या प्रारूप आदेश में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है और निर्धारिती को,

यथास्थिति, निर्धारिती या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकेगा, जिससे वह सुसंगत इकाई में के आय-कर प्राधिकारी के समक्ष अपना मौखिक निवेदन या अपना मामला प्रस्तुत कर सके। जहां व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध प्राप्त हुआ है, वहां सुसंगत इकाई का आय-कर प्राधिकारी, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से ऐसी सुनवाई अनुज्ञात करेगा, जो अनन्य रूप से वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से की जाएगी, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की कोई परीक्षा या कथन का अभिलेखन (धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण के अनुक्रम में अभिलिखित कथन से भिन्न) अनन्य रूप से, सुसंगत इकाई में के आय-कर प्राधिकारी द्वारा वीडियो कानफ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक किया जाएगा।

राष्ट्रीय पहचानविहीन केंद्र में का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, स्वचालित और यांत्रिक वातावरण में, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र और स्थापित इकाई के प्रभावी कार्यकरण के लिए विनिर्दिष्ट रीति में मानक, प्रक्रियाएं और पद्धतियां अधिकथित करेगा।

प्रस्तावित धारा यह भी उपबंध करने के लिए है कि राष्ट्रीय पहचानविहीन केंद्र में का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, बोर्ड द्वारा इस संबंध में धारा 142 की उपधारा (2क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, यदि वह समुचित समझता है कि धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का उस मामले में अवलंब लिया जा सकेगा, निर्धारण इकाई से प्राप्त निर्देश उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित करेगा और तदनुसार निर्धारण इकाई को सूचित करेगा; ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामला अंतरित करेगा; जहां ऐसा निर्देश उस मामले पर अधिकारिता रखने वाले प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अग्रेषित नहीं किया गया है, तो निर्धारण इकाई उक्त धारा में प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण पूर्ण करने की कार्यवाही करेगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय पहचानविहीन केन्द्र का भारसाधक, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक, निर्धारण के किसी प्रक्रम पर, यदि वह आवश्यक समझे, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मामले को ऐसे मामले में अधिकारिता रखने वाले किसी निर्धारण अधिकारी को, अंतरित कर सकेगा। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन सत्यापन इकाई का कृत्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिसूचित किसी

स्कीम के अधीन किसी अन्य पहचानविहीन केंद्र में अवस्थित सत्यापन इकाई द्वारा भी किया जा सकेगा ; और सत्यापन के लिए अनुरोध भी ऐसी सत्यापन इकाई को राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केंद्र के माध्यम से सौंपा जा सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा 144ख की विद्यमान उपधारा (9) का भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

उपधारा (10) का लोप का भी प्रस्ताव है ।

उसमें “इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड” पद की परिभाषा सम्मिलित करने तथा उक्त स्पष्टीकरण से “प्रवर्तक” पद की परिभाषा का लोप करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 43 आय-कर अधिनियम की धारा 144ग का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल को निर्देश से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार को विवाद समाधान पैनल द्वारा निदेश जारी करने के प्रयोजनों के लिए कोई पहचान विहीन स्कीम अधिसूचित करने के लिए सशक्त करती है, जिससे—

(क) विवाद समाधान पैनल और पात्र निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य, प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरापृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) अधिक मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा ;

(ग) ऐसी सक्रिय अधिकारिता के साथ असन्निकट कीमत के टीम आधारित अवधारण को समाविष्ट करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (14ग) यह और उपबंध करती है कि, केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि यह और उपबंध करती है कि अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

उक्त उपधारा (14ग) के परंतुक को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, तारीख 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 44 आय-कर अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करने के लिए है, जो, जहां आय निर्धारण से छूट गई है, वहां सूचना जारी किया जाना से संबंधित है।

उक्त धारा किसी व्यक्ति को सूचना जारी करने का उपबंध करती है कि आय-कर अधिनियम की धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनःसंगणना करने के पूर्व, निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति से उसकी आय या किसी अन्य व्यक्ति की आय की बाबत जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित, तथा उपवर्णित ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उल्लिखित करते हुए एक विवरणी दे।

पहले परंतुक के अधीन एक नया परंतुक अंतःस्थापित करके उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि पहले परंतुक के अधीन उक्त धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होगी, जहां निर्धारण अधिकारी ने, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से, धारा 148क के खंड (घ) के अधीन आदेश पारित किया है कि वह उक्त धारा के अधीन कोई सूचना जारी करने के लिए उचित मामला है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा और अधिनियम की धारा 148क के प्रयोजनों के लिए निर्धारण अधिकारी के पास सूचना, जो यह सुझाव करती है कि कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, से-

(i) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर विरचित जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार निर्धारिती के मामले में कोई सूचना ; या

(ii) इस प्रभाव का कोई लेखापरीक्षा आक्षेप कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की दशा में निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है ; या

(iii) अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन प्राप्त कोई सूचना ; या

(iv) धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई सूचना ; या

(v) कोई सूचना, जो किसी अधिकरण या न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप किसी कार्रवाई की अपेक्षा करती है,

अभिप्रेत है।

उपधारा (5) में किए गए निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा के

स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 2 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी के पास ऐसी सूचना होना समझा जाएगा, जो यह इंगित करती है कि निर्धारिती की दशा में निर्धारण से प्रभार्य आय वहां छूट गई है, जहां तलाशी आरंभ की गई है या लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियों की अध्यपेक्षा की गई है या निर्धारिती की दशा में कोई सर्वेक्षण संचालित किया गया है या धन, बुलियन, आभूषण या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु है या चीज या लेखाबहियां या दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति की दशा में अभिगृहीत किए गए हैं या अध्यपेक्षित किए गए हैं ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

खंड 45 आय-कर अधिनियम की धारा 148क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व जांच करना, अवसर प्रदान करना से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जो यह उपबंध करता है कि निर्धारिती को उसके ऊपर कारण बताओ नोटिस तामील करके सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा कि धारा 148 के अधीन जानकारी के आधार पर नोटिस क्यों न जारी किया जाए, जिससे यह प्रतीत होता हो, जो यह सुझाव देती है कि कर से प्रभार्य आय सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में निर्धारण से छूट गई है और उक्त धारा के खंड (क) के अनुसार की गई जांच, यदि कोई है, का परिणाम है । उक्त खंड में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन की अपेक्षा का लोप करने का प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के परंतुक में एक नया खंड (घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती की दशा में, किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई कर से प्रभार्य आय से संबंधित धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम के अधीन कोई सूचना प्राप्त की है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 46 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 148ख को अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए पूर्वानुमोदन से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने का प्रस्ताव करती है कि संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति के किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना का कोई आदेश सिवाय अपर आयुक्त या अपर

निदेशक या संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के पूर्वानुमोदन से उस निर्धारण वर्ष के संबंध में पारित नहीं किया जाएगा, जिसके अधीन धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट परिस्थितियां आती हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 47 आय-कर अधिनियम की धारा 149 का संशोधन करने के लिए है, जो सूचना के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है ।

उक्त धारा, निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनःसंगणना के लिए धारा 148 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए परिसीमा का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए धारा 148 के अधीन कोई नोटिस सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन वर्ष किंतु दस वर्ष से अनधिक व्यपगत होने के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारण अधिकारी ने उसके कब्जे में की लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या साक्ष्य को, जिनसे यह प्रकटित होता है कि,—

(i) किसी आस्ति ;

(ii) किसी कार्यक्रम या अवसर के संबंध में संव्यवहार की बाबत व्यय ; या

(iii) लेखाबहियों में कोई प्रविष्टि या प्रविष्टियां

के रूप दर्शित कर से प्रभार्य आय, जो निर्धारण से छूट गई है, पचास लाख रुपए या संभवतः पचास लाख रुपए या अधिक की रकम है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किसी मामले में किसी भी समय धारा 148 के अधीन कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी, यदि धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई सूचना, यथास्थिति, धारा 149 की उपधारा (1) के खंड (ख) या धारा 153क या धारा 153ग के उपबंधों के अधीन, जैसे वे वित्त अधिनियम, 2021 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थीं, विनिर्दिष्ट समय-सीमा से आगे होने के कारण उस समय जारी नहीं किया जा सका ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा में नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट

किसी बात के होते हुए भी जहां कर से प्रभार्य आय किसी आस्ति या उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट मूल्य के किसी कार्यक्रम या अवसर से संबंधित व्यय के रूप में है, निर्धारण से छूट गई है और ऐसी आस्ति में विनिधान या ऐसे कार्यक्रम या अवसर के संबंध में व्यय उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्व वर्ष में उपगत किया गया है, धारा 148 के अधीन नोटिस ऐसे प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, यथास्थिति, निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के लिए जारी किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 48 आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण, पुनः निर्धारण और पुनः संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन कोई अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की जाती है, वहां उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी विवरणी प्रस्तुत की गई थी, के अंतिम दिन से नौ मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश किया जा सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 263 के अधीन किसी आदेश को अपास्त या रद्द करने वाले किसी आदेश के अनुसरण में धारा 92गक के अधीन किया गया कोई नया आदेश उक्त उपधारा के उपबंधों के अधीन होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 92गक के अधीन अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप पारित आदेश भी उक्त अधिनियम के परिधि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ।

एक नई उपधारा (5क) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, धारा 263 के अधीन किसी आदेश या निदेश को धारा 92गक के अधीन किसी आदेश के माध्यम से प्रभावी करता है और ऐसे आदेश को निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करता है, तो निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के आदेश को उस मास के अंत से दो मास के भीतर, जिसमें अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के आदेश को उसने प्राप्त किया था, अनुरूप उपांतरित करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

उपधारा (6) को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे उसमें नई अंतःस्थापित उपधारा (5क) का प्रतिनिर्देश किया जा सके ।

ये संशोधन धारा 263 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप प्रस्तावित है ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण 1, कतिपय मामलों में समय-सीमा का उपबंध करने के लिए है, जिनको उक्त धारा के अधीन परिसीमा की कालावधि की संगणना करते समय अपवर्जित करने की अपेक्षा है ।

स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vिक) के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (xiii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण, पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने के लिए उस तारीख से आरंभ होने वाली कालावधि, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, यथास्थिति, जिसको धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को ऐसे निर्धारिती पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाता है,--

(क) जिसकी दशा में धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है ; या

(ख) जिसके संबंध में लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण किया जाता है या अध्यपेक्षा की जाती है , या

(ग) जिससे कोई लेखा बहियां या दस्तावेज अभिग्रहण किए जाते हैं या अध्यपेक्षा की जाती है, उसमें अंतर्विष्ट किसी सूचना से संबंधित है या हैं,

एक सौ अस्सी दिन की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, को निर्धारण या पुनःनिर्धारण या पुनःसंगणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा ।

उक्त स्पष्टीकरण में एक नया खंड (xiii) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से प्रारंभ होने

वाली कालावधि, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्रतिनिर्देश करता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, जिसको, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के पन्द्रहवें परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 12कख की उपधारा (4) के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 49 आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त धारा, धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा का उपबंध करती है, किसी निर्धारिती की दशा में, जिसके मामले में, धारा 132 के अधीन तलाशी की गई है या धारा 132क के अधीन लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज या कोई आस्तियां अध्यपेक्षित की गई हैं । यह धारा 153ग के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा की अवधि का और उपबंध करता है ।

उक्त धारा में एक नयी उपधारा (4) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त धारा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित को 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण उन कालावधियों का उपबंध करता है, जिनका पूर्वोक्त परिसीमा की कालावधि की संगणना करते हुए अपवर्जन किया जाएगा ।

उक्त धारा में एक नया स्पष्टीकरण, खंड (xi) अंतःस्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जिससे उस तारीख से आरंभ होने वाली कालावधि, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि, जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखाबहियां या अन्य दस्तावेज या कोई धनराशि, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (आस्तियों के रूप में निर्दिष्ट) निर्धारिती जिसके मामले में धारा 132 के अधीन ऐसी तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132 के अधीन ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है, पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती है या एक सौ अस्सी दिन, जो भी कम हो ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे ।

खंड 50 आय-कर अधिनियम में कतिपय मामलों में सूचना के उपांतरण से संबंधित एक नई धारा 156क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि, जिसके संबंध में धारा 156 के अधीन मांग की सूचना जारी की गई है, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथा परिभाषित किसी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के किसी आदेश के परिणामस्वरूप घटा दिया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश के अनुरूप संदेय मांग को उपांतरित करेगा और तत्पश्चात्, संदेय राशि, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करते हुए, मांग की सूचना निर्धारिती को तामील करेगा, और ऐसी मांग की सूचना, धारा 156 के अधीन सूचना समझी जाएगी तथा इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश, यथास्थिति, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण या उच्चतम न्यायालय द्वारा उपांतरित कर दिया जाता है, तो उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी की गई उपांतरित मांग की सूचना तदनुसार पुनरीक्षित की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 51 आय-कर अधिनियम की धारा 158कक का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया, जब राजस्व द्वारा की गई किसी अपील में विधि का समरूप प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, से संबंधित है ।

उक्त धारा में, एक नई उपधारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 52 आय-कर अधिनियम में नई धारा 158कख अंतःस्थापित करने के लिए है जो प्रक्रिया, जहां विधि का कोई समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां मुख्य आयुक्तों, प्रधान आयुक्तों या आयुक्तों के कोलिजियम की यह राय है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले ("सुसंगत मामला") से उदभूत मामला किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में के या किसी अन्य निर्धारिती के मामले में उदभूत विधि के प्रश्न के समरूप है, जो धारा 260क के अधीन अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय या धारा 261 के अधीन किसी अपील में उच्चतम न्यायालय में या संविधान के अनुच्छेद 136

के अधीन विशेष अनुमति याचिका में, यथास्थिति, किसी अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश, जो ऐसे निर्धारिती के पक्ष में है, के विरुद्ध लंबित है ("अन्य मामला"), वहां वह विनिश्चय कर सकेगा और प्रधान आयुक्त या आयुक्त को इस प्रक्रम पर धारा 253 की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण या धारा 260क की उपधारा (2) के अधीन उच्च न्यायालय को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील न करने के लिए सूचित कर सकेगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, कोलिजियम से संसूचना की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय को आयुक्त (अपील) के आदेश की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर या अपील अधिकरण के आदेश की प्राप्ति से एक सौ बीस दिन के भीतर यह कथन करते हुए कि सुसंगत मामले में विधि के प्रश्न से उद्भूत अपील तब फाइल की जा सकेगी जब विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अन्य मामले में अंतिम हो है, विहित प्ररूप में आवेदन करने का निदेश देगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने का निदेश केवल तब देगा यदि निर्धारिती से इस निमित्त स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि अन्य मामले में विधि का प्रश्न सुसंगत मामले में उद्भूत होने वाले प्रश्न के समरूप है और यदि ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त धारा 253 की उपधारा (2) या धारा 260क की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अग्रसर होगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय के अनुरूप नहीं है और जब कभी ऐसा आदेश प्राप्त होता है तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, अपील अधिकरण या अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध इस धारा में यथाउपबंधित के सिवाय अपील करने का निदेश दे सकेगा और अध्याय 20 के भाग ख के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि सुसंगत मामले में अपील उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी जिसको अन्य मामले में अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का आदेश बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रधान आयुक्त या आयुक्त को संसूचित किया जाता है ।

यह भी प्रस्तावित है कि प्रस्तावित धारा के प्रयोजन के लिए,

“कोलिजियम” पद को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि वह दो या अधिक मुख्य आयुक्तों, प्रधान आयुक्तों या आयुक्तों जैसा कि बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, से मिलकर बनेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 53 आय-कर अधिनियम की धारा 170 का संशोधन करने के लिए है, जो मृत्यु पर से अन्यथा कारबार के उत्तराधिकार से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करके, एक धारणा उपबंध उपबंधित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कार्यवाहियों को व्यावृत्त और विधिमान्य करने के लिए तथा जहां किसी कारबार का पुनर्गठन किया जाता है, ऐसे पुनर्गठन के लंबित रहने के दौरान, पूर्वाधिकारी को किए गए निर्धारण या अन्य कार्यवाहियों को उत्तराधिकारी को करने का उपबंध किया जा सके तथा निम्नलिखित पदों को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करना,--

(i) “कारबार पुनर्गठन” से एक या अधिक व्यक्तियों के कारबार का सम्मेलन या निर्विलयन या विलयन अंतर्वलित करने वाला कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है ;

(ii) “लंबित रहने” से उच्च न्यायालय या अधिकरण के समक्ष कारबार के ऐसे पुनर्गठन के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में यथा परिभाषित किसी न्याय निर्णयन प्राधिकारी द्वारा कारपोरेट दिवाला संकल्प के लिए आवेदन ग्रहण करने की तारीख से आरंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसको, यथास्थिति, ऐसे उच्च न्यायालय या अधिकरण या ऐसे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 54 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 170क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कारबार पुनर्गठन के संबंध में अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश के प्रभाव से संबंधित है ।

यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि धारा 139 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या अधिकरण या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथापरिभाषित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश की तारीख से पूर्व, उस पूर्व वर्ष, जिसको ऐसा आदेश लागू होता है, से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के उपबंधों के अधीन उत्तराधिकारी द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा उत्तराधिकारी, उस मास, जिसमें

उक्त आदेश जारी किया गया था, के अंतिम दिन से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त आदेश के अनुसार और उस तक सीमित, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जो “कारबार पुनर्गठन” का वही अर्थ होगा जो धारा 170 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण के खंड (i) उसका है, को परिभाषित करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 55 आय-कर अधिनियम की धारा 179 का संशोधन करने के लिए है, जो समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व से संबंधित है । यह किसी प्राइवेट कंपनी से शोध्य कर की उसके निदेशकों से वसूली का उपबंध करती है, जहां ऐसे शोध्य कर की वसूली स्वयं कंपनी से नहीं की जा सकती है ।

इस धारा का पार्श्व शीर्ष समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व के रूप में पढ़ा जाता है । तथापि, धारा के उपबंध समापनाधीन कंपनियों से संबंधित नहीं हैं । इसलिए, इस धारा के पार्श्व शीर्ष में “समापनाधीन” शब्द का लोप करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में, “शोध्य कर” पद की परिधि में “फीस” को सम्मिलित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 56 आय-कर अधिनियम की धारा 194इक का संशोधन करने के लिए है, जो कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि निवासी के खाते में जमा कराते समय या ऐसी राशि का संदाय करते समय, उस पर आय-कर के रूप में, ऐसी राशि के एक प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि वहां कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पचास लाख रुपए से कम है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निवासी को किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का संदाय करने

के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि निवासी के खाते में जमा कराते समय या ऐसी राशि का संदाय करते समय, उस पर आय-कर के रूप में, ऐसी राशि के या ऐसी संपत्ति के स्टाम्प शुल्क मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वहां कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल और ऐसी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य दोनों पचास लाख रूपए से कम है ।

“स्टाम्प शुल्क मूल्य” को परिभाषित करने के लिए, स्पष्टीकरण में खंड (ग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 57 आय-कर अधिनियम की धारा 194झख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किराए का संदाय से संबंधित है ।

उक्त धारा किसी व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुंब (धारा 194झ के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न) द्वारा किसी मास या मास के किसी भाग के लिए किसी निवासी को पचास हजार रूपए से अधिक किराए के रूप में किसी आय के संदाय पर ऐसी आय के पांच प्रतिशत की दर से कर की कटौती का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि ऐसे मामले में, जहां कर की कटौती धारा 206कक या धारा 206कख के उपबंधों के अनुसार की जानी अपेक्षित है, वहां ऐसी कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास के लिए संदेय किराए की रकम से अधिक नहीं होगी ।

धारा 206कख के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 58 आय-कर अधिनियम में, धारा 194द अंतःस्थापित करने के लिए है, जो किसी कारबार या वृत्ति की बाबत फायदे या परिलब्धि पर कर की कटौती से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि किसी निवासी को कोई फायदा या परिलब्धि, चाहे धनराशि में संपवर्तनीय हो या नहीं, जो ऐसे निवासी द्वारा कोई कारबार या कोई वृत्ति करने से उदभूत है, यथास्थिति, ऐसा फायदा या परिलब्धि ऐसे निवासी को उपलब्ध कराने से पूर्व सुनिश्चित करेगा

कि ऐसे फायदे या परिलब्धि की बाबत ऐसे फायदे या परिलब्धि के मूल्य या समग्र मूल्य के दस प्रतिशत की दर से कर की कटौती कर ली गई है ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि ऐसी दशा में, जहां, यथास्थिति, फायदा या परिलब्धि वस्तु के रूप में है या भागतः नकद और भागतः वस्तु के रूप में है, किंतु नकद में कोई भाग नहीं है या नकद में भाग ऐसे संपूर्ण फायदे या परिलब्धि के संबंध में कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो ऐसे फायदे या परिलब्धि को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति फायदे या परिलब्धि को निर्मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि फायदे या परिलब्धि के संबंध में कर संदत्त कर दिया गया है ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा के उपबंध किसी निवासी की दशा में लागू नहीं होंगे, जहां ऐसे निवासी को वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जाने के लिए संभाव्य, लाभ या परिलब्धि का मूल्य या समग्र मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होता है ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध किसी व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुंब को लागू नहीं होंगे, जिसका कुल विक्रय, समग्र प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें, यथास्थिति, ऐसे फायदे या परिलब्धि को ऐसे व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं हो ।

यह स्पष्ट करने के लिए भी प्रस्ताव है कि “उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति” से ऐसा फायदा या परिलब्धि उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति या किसी कंपनी की दशा में कंपनी के प्रधान अधिकारी सहित स्वयं कंपनी अभिप्रेत है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 59 आय-कर अधिनियम में धारा 194ध अंतःस्थापित करने के लिए है, जो आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण पर संदाय से संबंधित है ।

प्रस्तावित उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल के माध्यम से कोई राशि संदत्त करने के लिए उत्तरदायी है, वह निवासी के खाते में ऐसी राशि के जमा होने के समय या किसी भी ढंग द्वारा ऐसी राशि के संदाय के समय, जो भी पहले हो, उस पर आय-कर के रूप में ऐसी रकम के एक प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती करेगा :

उसमें एक परंतुक और अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि ऐसी दशा में, जहां आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल,—

(क) पूर्णतः वस्तु में या अन्य आभासी डिजिटल आस्ति के

विनियम में हो, जहां उसका कोई भाग नकद नहीं है ; या

(ख) भागतः नकद और भागतः वस्तु में हो, किन्तु नकद भाग ऐसे अंतरण की बाबत पूर्ण कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है,

ऐसा प्रतिफल संदत्त करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति प्रतिफल निर्मुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण के लिए ऐसे प्रतिफल के संबंध में कर संदत्त कर दिया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 203क और धारा 206कख के उपबंध किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

प्रस्तावित उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी,--

(क) जहां प्रतिफल विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदेय है और ऐसे प्रतिफल का मूल्य या सकल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ख) जहां प्रतिफल विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा संदेय है और ऐसे प्रतिफल का मूल्य या सकल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

प्रस्तावित उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक संव्यवहार, जिसके संबंध में, उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की गई है, इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी नहीं होगा ।

प्रस्तावित उपधारा (5) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि, ऐसी राशि के संदाय के लिए दायी व्यक्ति की लेखाबही में किसी खाते में जमा की जाती है, जो "उंचंत खाता" या किसी अन्य नाम से ज्ञात हों, ऐसी राशि का जमा किया जाना पाने वाले के खाते में ऐसी राशि का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

प्रस्तावित उपधारा (6) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी किए जाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकेगा ।

प्रस्तावित उपधारा (7) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक दिशा निर्देश को संसद् के प्रत्येक

सदन के समक्ष रखा जाएगा और वह आय-कर प्राधिकारियों तथा ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण पर प्रतिफल के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा ।

प्रस्तावित उपधारा (8) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 194ण में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी संव्यवहार की दशा में, जिसको इस धारा के उपबंधों के साथ इस धारा के उपबंध भी लागू होते हैं, कर की कटौती उपधारा (1) के अधीन की जाएगी ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो,—

(क) व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब है, जिसकी उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, कारबार की दशा में किसी वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी आभासी डिजिटल आस्ति अंतरित की जाती है, से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ;

(ख) व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब है, जिसकी “कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कोई आय नहीं है ।’।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 60, आय-कर अधिनियम की धारा 201 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती करने की या संदाय करने की असफलता के परिणाम से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति, जो स्रोत पर कर कटौती का दायी है, इसकी कटौती नहीं करता या इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् सरकार के जमा खाते में उसका संदाय करने में असफल रहता है, तो वह उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यतिक्रम के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा ब्याज का संदाय ऐसे आदेश के अनुसार किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 61 आय-कर अधिनियम की धारा 206कख का संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) उन दरों का यह उपबंध करती है जिन पर

विनिर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में कर की कटौती की जाएगी ।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन, निम्नलिखित के लिए, करने का प्रस्ताव है,--

(i) धारा 194झक, धारा 194झख और धारा 194ड के निर्देश अंतःस्थापित करने के लिए ; और

(ii) “(जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है)” कोष्ठकों और शब्दों का लोप करने के लिए ।

उक्त धारा की उपधारा (3) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है, जो यह उपबंध करती है कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कर की कटौती अपेक्षित है, के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की है और जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है और उसके मामले में उक्त पूर्ववर्ष में स्रोत पर कटौती किए गए कर और स्रोत पर संग्रहित कर का कुल योग पचास हजार रुपए या अधिक है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 62 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (7) उन व्यक्तियों, जो कर का संग्रहण करने में असफल रहते हैं या संग्रहण करने के पश्चात् उक्त उपधारा के अनुसार केंद्रीय सरकार के जमा खाते में उसको जमा करने में असफल रहते हैं, के परिणामों से संबंधित है । यदि कोई व्यक्ति, जो स्रोत पर कर संग्रहण के लिए उत्तरदायी है, उसका संग्रहण नहीं करता है या ऐसा संग्रहण करने के पश्चात् उसे सरकार के खाते में जमा कराने में असफल रहता है, तब वह उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज संदत्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (6क) में निर्दिष्ट व्यतिक्रम के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा ब्याज का संदाय ऐसे आदेश के अनुसार किया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 63 आय-कर अधिनियम की धारा 206गक का संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) उन दरों का उपबंध करती है, जिन पर विनिर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में कर का संग्रहण किया जाएगा ।

“(जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा व्यक्ति कहा गया है, जिससे कर का संग्रहण किया गया है)” शब्दों और कोष्ठकों का लोप करके उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस पूर्व वित्तीय वर्ष से, जिसमें कर का संग्रहण अपेक्षित है, से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, जिसके लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है ; और उसकी दशा में स्रोत पर कटौती किए गए कर और स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर का कुल योग पचास हजार रुपए या उससे अधिक है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 64 आय-कर अधिनियम की धारा 234क का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारित नियत तारीख के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत करने के लिए या उपधारा (8क) के अधीन विवरणी प्रस्तुत नहीं करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विवरणी के अतिरिक्त साधारण ब्याज का संदाय के लिए उत्तरदायी होगा ।

उपधारा के स्पष्टीकरण 2 को संशोधित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,—

(i) “धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर” धारा 140 या धारा 143 के अधीन संदेय, यदि कोई हो, अतिरिक्त आय-कर को सम्मिलित नहीं करेगा ; और

(ii) “ऐसे नियमित अवधारण के अधीन अवधारित कुल आय पर कर” धारा 143 के अधीन संदेय, अतिरिक्त आय-कर को सम्मिलित नहीं करेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 234ख का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि,--

(i) “धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित कुल आय पर कर” धारा 140 या धारा 143 के अधीन संदेय, यदि कोई हो, अतिरिक्त आय-कर को सम्मिलित नहीं करेगा ; और

(ii) “ऐसे नियमित अवधारण के अधीन अवधारित कुल आय पर कर” धारा 143 के अधीन संदेय, अतिरिक्त आय-कर को सम्मिलित नहीं करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 66 आय-कर अधिनियम में धारा 239क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने के लिए प्रतिदाय से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि जहां, लिखित में, किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन, ब्याज से भिन्न, किसी आय पर कटौती योग्य कर उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय संदेय है, और ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसा कर संदत्त करने पर यह दावा करता है कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था, तो वह ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, कटौती किए गए ऐसे कर के प्रतिदाय के लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा ।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी, प्रतिदाय के लिए ऊपर वर्णित आवेदन का, उस मास के अंत से, जिसमें आवेदन प्राप्त किया जाता है, छह मास के भीतर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, निपटारा करेगा । निर्धारण अधिकारी, लिखित में, आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अनुज्ञात या खारिज कर सकेगा । तथापि, कोई आवेदन तब तक खारिज नहीं किया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 67, आय-कर अधिनियम की धारा 245डक का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान समिति से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए, एक या अधिक विवाद समाधान समितियों का गठन करेगी, जो उक्त धारा के अधीन विवाद समाधान का विकल्प चुन सकेंगे

और जो उक्त धारा में उल्लिखित विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करते हों ।

उक्त धारा में उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 144ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद समाधान समिति के आदेश की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी उस मास के अंतिम दिन से, जिसमें ऐसा आदेश प्राप्त होता है, एक मास के भीतर विवाद समाधान समिति के ऐसे आदेश में अंतर्विष्ट निदेशों के अनुरूप उस दशा में जहां विनिर्दिष्ट आदेश, धारा 144ग की उपधारा (1) के अधीन प्रारूप आदेश है, निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना का आदेश पारित करेगा ; या किसी अन्य दशा में, निर्धारण, पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना के आदेश को उपांतरित करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 68 आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है, जो आयुक्त अपील के समक्ष अपीलीय आदेश से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) उन आदेशों के प्रवर्गों का उपबंध करती है जिनमें आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील फाइल की जा सकती है ।

उक्त उपधारा में, एक नया खंड (झक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 239क के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 69 आय-कर अधिनियम की धारा 248 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन ब्याज से भिन्न किसी आय पर कटौती योग्य कर ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय संदेय है और ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसे कर का संदाय कर देने के पश्चात्, यह दावा करता है कि ऐसी आय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था, वहां वह इस घोषणा के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती-योग्य नहीं था ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन उस दशा में कोई अपील नहीं की जाएगी जहां केंद्रीय सरकार के खाते में 1 अप्रैल, 2022 को या उसके

पश्चात् कर संदत्त कर दिया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 70 आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपील से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार को अपील अधिकरण को अपील के प्रयोजनों के लिए कोई पहचान विहीन स्कीम अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे—

(क) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता लाई जा सके ;

(ख) सक्रिय अधिकारिता के साथ अपील अधिकरण को अपील करने के लिए टीम आधारित तंत्र आरंभ करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (9) यह और उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

उक्त उपधारा (9) के परंतुक को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए निदेश जारी करने हेतु तारीख 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 71, आय-कर अधिनियम की धारा 255 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, केंद्रीय सरकार को अपील अधिकरण द्वारा अपीलों के निपटारे के प्रयोजनों के लिए कोई पहचान विहीन स्कीम अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे—

(क) अपील अधिकरण और अपील के पक्षकारों के मध्य अपील कार्यवाहियों के दौरान प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक, अंतरपृष्ठ को समाप्त करके ;

(ख) अधिकतम मात्रा में संसाधनों के ईष्टतम उपयोग और कार्यात्मक विशिष्टता के द्वारा ;

(ग) सक्रिय अधिकारिता के साथ अपील तंत्र आरंभ करके,

बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (8) यह और उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार पूर्वोक्त स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यह निदेश दे सकेगी कि अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

उक्त उपधारा (8) के परंतुक को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए निदेश जारी करने हेतु तारीख 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा ।

खंड 72 आय-कर अधिनियम की धारा 263 का संशोधन करने के लिए है, जो राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों का पुनरीक्षण करने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों का अभिलेख मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा यदि वह समझता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश वहां तक गलत है जहां तक कि वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तो वह निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझता है, उस पर ऐसा आदेश, जिसके निर्धारण में वृद्धि या उपांतरण करने या निर्धारण रद्द करने और नए सिरे से निर्धारण का निदेश देने का आदेश भी है, पारित कर सकेगा जैसा कि उस मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित हो ।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि विद्यमान उपबंधों के अतिरिक्त प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख की मांग और उनकी परीक्षा कर सकेंगे और यदि वह यह समझता है कि वह अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश गलत है और जहां तक कि वह राजस्व हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वह उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित हो जिसके अंतर्गत धारा 92गक के अधीन आदेश को उपांतरित करने या धारा 92गक के अधीन आदेश को रद्द करने और धारा 92गक के अधीन एक नए आदेश, ऐसी कोई जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने या करवाने के पश्चात्, दे सकेगा । ऐसा आदेश निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए जाने के

पश्चात् ही पारित किया जाएगा ।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) का आगे और संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिससे उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 92गक के अधीन पारित आदेश को उसमें सम्मिलित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण 3 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे “अंतरण मूल्यांकन अधिकारी” पद को परिभाषित किया जा सके ।

यह भी प्रस्तावित है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण का खंड (ग) उपबंध करेगा कि जहां उक्त उपधारा में निर्दिष्ट और, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश 1 जून, 1988 को या उसके पूर्व या उसके पश्चात् फाइल की गई किसी अपील की विषय-वस्तु रहा था, तो इस उपधारा के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त की शक्तियां विस्तारित की जाएंगी और ऐसे विषयों में सदैव विस्तारित समझी जाएंगी, मानो ऐसी अपील में उन पर विचार और विनिश्चय नहीं किया गया हो ।

उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 को इसे अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को भी लागू करने हेतु, संशोधित करने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण 3 को, “अंतरण मूल्यांकन अधिकारी” पद को परिभाषित करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

खंड 73 आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख का संशोधन करने के लिए है, जो जहां तलाशी आरंभ की गई है, वहां शास्ति से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (1क), अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी को, उन मामलों में, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की गई है, शास्ति उद्ग्रहीत करने के लिए समर्थ करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (1क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे शास्ति उद्ग्रहीत करने की शक्ति का विस्तार, आयुक्त (अपील) तक किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए कतिपय पदों को परिभाषित करता है ।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 148क के अधीन जारी किसी सूचना को उस मामले में लागू किया जा सके जहां तलाशी 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

खंड 74 आय-कर अधिनियम की धारा 271ककग का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय आय के संबंध में शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, उन मामलों में, जहां अवधारित आय में, किसी पूर्व वर्ष के लिए धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित की गई है, निर्धारण अधिकारी को शास्ति उद्गृहीत करने के लिए समर्थ करती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का, शास्ति उद्गृहीत करने की शक्ति का विस्तार आयुक्त (अपील) तक करके, संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

खंड 75 आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ का संशोधन करने के लिए है, जो लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि, आदि के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारण अधिकारी को, उस मामले में, जहां किसी कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में, कोई मिथ्या प्रविष्टि है, या किसी प्रविष्टि का, जो ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना के लिए सुसंगत है, कर दायित्व के अपवंचन हेतु लोप किया गया है, शास्ति उद्गृहीत करने के लिए समर्थ बनाती है।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे शास्ति उद्गृहीत करने की शक्ति का विस्तार, आयुक्त (अपील) को किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

खंड 76 आय-कर अधिनियम में नई धारा 271ककड अंतःस्थापित करने के लिए है जो नातेदार व्यक्तियों को फायदे से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा अध्याय 21 के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह उपबंध करने का प्रस्ताव करती है कि यदि इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति, जो धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट कोई निधि या संस्था है या उपखंड (v) में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था है या उपखंड (vi)

में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था है या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था है या धारा 11 में निर्दिष्ट कोई न्यास या संस्था है, जिसने, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के इक्कीसवें परंतुक या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों का अतिक्रमण किया है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को शास्ति के माध्यम से—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनुयोज्य रकम के योग के समतुल्य राशि संदाय करने का निदेश देगा, जहां अतिक्रमण पूर्ववर्ष के दौरान पहली बार ध्यान में आया है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के फायदे के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अनुयोज्य रकम के योग के दो सौ प्रतिशत के समतुल्य राशि संदाय करने का निदेश देगा, जहां अतिक्रमण पूर्ववर्ष के पश्चातवर्ती किसी पूर्ववर्ष के दौरान पुनः ध्यान में आया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का खंड 77 आय-कर अधिनियम की धारा 271ग का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है । यह धारा 194ख के दूसरे परंतुक के अधीन यथापेक्षित स्रोत पर कर की कटौती का या उसके अधीन उसके द्वारा संदेय कर का केंद्रीय सरकार को प्रत्यय करने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करता है ।

वित्त अधिनियम, 1999 के द्वारा 1 अप्रैल, 2000 से धारा 194ख के पहले परंतुक का लोप किया गया था और इस समय इस धारा में केवल एक ही परंतुक है ।

पारिणामिक प्रभाव देने के लिए धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, “दूसरे” शब्द का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 78, आय-कर अधिनियम की धारा 272 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियाँ या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है

उपधारा (2) के अधीन एक सौ रुपए की विद्यमान शास्ति को बढ़ाकर

पांच सौ रुपए करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 79 आय-कर अधिनियम की धारा 276कख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 276पग, धारा 276पड और धारा 276पठ के उपबंधों के अनुपालन में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् आरंभ नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 80 आय-कर अधिनियम की धारा 276ख का संशोधन करने के लिए है, जो अध्याय 12-घ या अध्याय-17ख के अधीन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में असफलता से संबंधित है ।

वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा 1 अप्रैल, 2000 से धारा 194ख के पहले परंतुक का लोप किया गया था और इस समय इस धारा में केवल एक ही परंतुक है ।

उक्त धारा 276ख में, “दूसरे” शब्द का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

खंड 81 आय-कर अधिनियम की धारा 276गग का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी देने में असफल रहने से संबंधित है ।

उक्त धारा का परंतुक, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध नियत समय में आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने हेतु उस समय कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरणी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत की जाती है या यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कोई कंपनी नहीं है, नियमित निर्धारण के आधार पर अवधारित कुल आय पर संदेय कर दस हजार रुपए से अधिक नहीं है ।

उक्त परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध नियत समय में आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने हेतु उस समय कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत कर दी जाती है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का खंड 82 आय-कर अधिनियम की धारा 278क का संशोधन

करने के लिए है, जो द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड से संबंधित है।

धारा 276ख स्रोत पर कटौती किए गए कर का केंद्रीय सरकार को प्रत्यय करने में असफलता के लिए अभियोजन का उपबंध करती है और धारा 276खक स्रोत पर संगृहीत कर का केंद्रीय सरकार को प्रत्यय करने में असफलता के लिए अभियोजन का उपबंध करती है।

उक्त धारा 278क का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 276खख को इस धारा के क्षेत्र के भीतर लाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 83 आय-कर अधिनियम की धारा 278कक का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ दशाओं में दंड अधिरोपित नहीं किया जाना से संबंधित है।

धारा 276ख स्रोत पर कटौती किए गए कर का केंद्रीय सरकार को प्रत्यय करने में असफलता के लिए अभियोजन का उपबंध करती है और धारा 276खख स्रोत पर संगृहीत कर का केंद्रीय सरकार को प्रत्यय करने में असफलता के लिए अभियोजन का उपबंध करती है।

उक्त धारा 278कक के संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 276खख को उक्त धारा के क्षेत्र के भीतर लाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड 84, आय-कर अधिनियम की धारा 285ख का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जो चलचित्र फिल्मों के निर्माताओं द्वारा विवरण प्रस्तुत करने से संबंधित है।

विद्यमान धारा यह उपबंध करती है कि चलचित्र फिल्मों के निर्माता, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से या फिल्म को पूर्ण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, उसके द्वारा नियोजित किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, उसके द्वारा किए गए या उससे शोध्य कुल पचास हजार रुपए से अधिक के सभी संदायों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें यह उपबंध किया जा सके कि किसी संपूर्ण वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के दौरान, चलचित्र फिल्म के निर्माण या किसी विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या दोनों में लगा हुआ कोई व्यक्ति, उस अवधि के संबंध में, जिसके दौरान ऐसे वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा ऐसा निर्माण या विनिर्दिष्ट कार्यकलाप किया जाता है, विहित अवधि के भीतर विहित रीति में विहित आय-कर प्राधिकारी को उसके द्वारा

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो उसके द्वारा ऐसे निर्माण या विनिर्दिष्ट कार्यकलाप में नियोजित किया जाता है, किए गए या उससे शोध्य पचास हजार रुपए से अधिक के सभी संदायों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विहित प्ररूप में विवरण प्रस्तुत करेगा ।

इस धारा के प्रयोजनों को स्पष्ट करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि “विनिर्दिष्ट कार्यकलाप” से ईवेंट प्रबंधन, वृत्तचित्र निर्माण, दूरदर्शन या ओवर दि टाप प्लेटफार्म या ऐसे अन्य समान प्लेटफार्म के लिए प्रसारण हेतु कार्यक्रमों का निर्माण, खेलकूद ईवेंट प्रबंधन या अन्य परफोर्मिंग आर्ट या कोई अन्य कार्यकलाप अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

सीमाशुल्क

खंड 85 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (34) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम के अधीन निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं कृत्यों के संबंध में “समुचित अधिकारी” से ऐसा सीमाशुल्क अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन बोर्ड या प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा कृत्य सौंपे गए हैं ।

खंड 86 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिकारियों के वर्गों को विनिर्दिष्ट किया जा सके, जिसके अंतर्गत जांच, अन्वेक्षण, लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी और लेखापरीक्षा अधिकारी भी हैं ।

खंड 87 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है, जो सीमाशुल्क अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित है । उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को अधिसूचना द्वारा सीमाशुल्क के किसी अधिकारी को ऐसे कृत्य सौंपने के लिए सशक्त किया जा सके, जो उन कृत्यों के संबंध में समुचित अधिकारी होगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त को आदेश द्वारा किसी सीमाशुल्क अधिकारी को ऐसे कृत्य सौंपने के लिए सशक्त किया जा सके, जो उन कृत्यों के संबंध में समुचित अधिकारी होगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (4) भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे मानदंड का उपबंध किया जा सके जिस पर बोर्ड उपधारा (1) के

अधीन शर्तें और सीमाएं विनिर्दिष्ट करना अधिरोपित करते हुए और किसी सीमाशुल्क अधिकारी को उपधारा (1क) के अधीन कृत्य सौंपते हुए विचार कर सकेगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बोर्ड को अधिसूचना द्वारा दो या अधिक सीमाशुल्क अधिकारियों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया जा सके चाहे वह समान वर्ग के हों, जिनके पास उक्त अधिनियम के अधीन समवर्ती शक्ति और कृत्य हों ।

खंड 88 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जिससे आयातित माल के किसी वर्ग के संबंध में, आयातक की अतिरिक्त बाध्यताएं और की जाने वाली जांच-पड़तालें, जिसके अंतर्गत अंतर्गत वे परिस्थितियां और उन्हें करने की रीति भी है, जिन्हें बोर्ड विनिर्दिष्ट करें, जहां बोर्ड का यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे माल का मूल्य सत्यता से या सही रूप में घोषित नहीं किया जा सकेगा, ऐसे माल के घोषित मूल्य का चलन या कोई अन्य सुसंगत मापदंड का ध्यान रखते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष-कर और सीमाशुल्क बोर्ड को समर्थ बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 89 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ड को संशोधित करने के लिए है, जिससे "भारत में संयुक्त उद्यम" पद से संबंधित खंड (ग) के स्पष्टीकरण का और उक्त धारा के खंड (ज) का भी लोप किया जा सके ।

खंड 90 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन के लिए फीस भी विहित की जाएगी ।

यह उपधारा (3) का लोप करने के लिए और उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अग्रिम विनिर्णय के लिए कोई आवेदक अपने आवेदन को विनिर्णय की उद्घोषणा से पूर्व किसी भी समय वापस ले सकेगा ।

खंड 91 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (7) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे उक्त धारा से 'सदस्यों' के प्रतिनिर्देश को हटाया जा सके ।

खंड 92 सीमाशुल्क अधिनियम की 28ञ की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित अग्रिम विनिर्णय तीन वर्ष तक की अवधि के लिए या विधि में परिवर्तन या तथ्यों में परिवर्तन, जिसके आधार पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की गई थी, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, वैध रहता है ।

यह उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जिस तारीख को वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है, को प्रवृत्त अग्रिम विनिर्णयों के संबंध में तीन वर्ष की उक्त अवधि को उस तारीख से गणना में लिया जाएगा, जिसको वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है ।

खंड 93 सीमाशुल्क अधिनियम में नई धारा 110कक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके जहां अध्याय 12क या अध्याय 13 के अधीन किसी कार्यवाही के अनुसरण में किसी सीमाशुल्क अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई शुल्क कम उद्गृहीत किया गया है, उद्गृहीत नहीं किया गया है, कम संदत्त किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या किसी शुल्क का त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या शुल्क वापसी त्रुटिवश अनुज्ञात की गई है या कोई ब्याज कम उद्गृहीत किया गया है, उद्गृहीत नहीं किया गया है, कम संदत्त किया गया है या संदत्त नहीं किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, तब ऐसा सीमाशुल्क अधिकारी जांच, अन्वेषण या लेखापरीक्षा करने के पश्चात् एक लिखित रिपोर्ट के साथ सुसंगत दस्तावेजों का ऐसे शुल्क पर निर्धारण के संबंध में अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को या उसे, जिसने ऐसा प्रतिदाय या शुल्क वापसी अनुज्ञात की गई थी, अंतरण करेगा ।

यह और उपबंध करने के लिए है कि बहुल अधिकारिताओं की दशा में ऐसा अंतरण किसी ऐसे सीमाशुल्क अधिकारी को किया जाएगा, जिसे ऐसे मामले को धारा 5 के अधीन बोर्ड द्वारा सौंपा गया है ।

खंड 94 सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 135कक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भारत से निर्यात या भारत में आयात के लिए प्रविष्ट किसी माल के मूल्य या वर्गीकरण अथवा मात्रा या ऐसे माल के निर्यातक या आयातक के ब्यौरों से संबंधित सूचना प्रकाशित करता है, जब तक कि ऐसा किया जाना तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित न हों, को दंडनीय बनाया जा सके ।

यह भी उपबंध करने के लिए है कि इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यह धारा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग अथवा कार्यालय को लागू नहीं होगी ।

खंड 95 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (1) में, “या धारा 135कक” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई न्यायालय उक्त धारा 135कक के अधीन किसी अपराध का संज्ञान सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा ।

खंड 96 वित्त अधिनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व सरकार

द्वारा या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा की गई किसी कार्रवाई या निष्पादित कृत्यों को या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 2 के खंड (34) या धारा 4 या धारा 5 के अधीन सौंपे गए कृत्यों को विधिमान्यता प्रदान करने के लिए है।

सीमाशुल्क टैरिफ

खंड 97 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है—

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, जिससे 2 फरवरी, 2022 से कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को संशोधित किया जा सके ;

(ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, जिससे कतिपय प्रविष्टियों को नाम पद्धति की हारमोनाइज्ड प्रणाली के अनुसार हारमोनाइज किया जा सके और कतिपय प्रविष्टियों के संबंध में 1 मई, 2022 से नई टैरिफ पंक्तियां सृजित की जा सकें।

उत्पाद-शुल्क

खंड 98 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की चौथी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे ई12 और ई15 ईंधन सम्मिश्रणों से संबंधित अध्याय 27 के उपशीर्ष 2710 12 के अधीन 2710 12 43 और 2710 12 44 दो नई टैरिफ मदों को अंतःस्थापित किया जा सके, चूंकि नई बीआईएस विशिष्टियां आईएस 17586 को इथनोल की बारह प्रतिशत तक इथनोल सम्मिश्रित पेट्रोल (ई12) और पन्द्रह (ई15) प्रतिशत तक जारी की गई हैं, जिससे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की चौथी अनुसूची को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में उपशीर्ष 1710 12, उपशीर्ष के लिए चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में प्रस्तावित संशोधनों के अनुरूप किया जा सके।

यह संशोधन उस तारीख को प्रभावी होगा, जिसको वित्त विधेयक, 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है।

केंद्रीय माल और सेवा कर

खंड 99 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में धारा 16 की उपधारा (2) में एक नया खंड (ड) अंतःस्थापित करके उस धारा का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लाभ केवल तभी लिया जा सकेगा जब ऐसे प्रत्यय को धारा 38 के अधीन करदाता को संसूचित ब्यौरों में निर्बंधित नहीं किया गया है।

यह उपधारा (4) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध

किया जा सके कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे बीजक या नामे नोट संबंधित है, के 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में कोई इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

खंड 100 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकेगा, यदि विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है ।

यह उपधारा (2) के खंड (ग) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे उन सतत् कर अवधियों को विहित करने का उपबंध किया जा सके, जिनके लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई हैं, जो उसके खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए दायी बनाती हो ।

खंड 101 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, को किसी वित्त वर्ष में की गई किसी पूर्ति के संबंध में प्रत्यय नोट जारी करने की अंतिम तारीख का उपबंध किया जा सके ।

खंड 102 धारा 37 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए निर्बंधनों और शर्तों को और उसके साथ संबंधित प्राप्तिकर्ताओं को जावक पूर्तियों के ब्यौरों को संसूचित करने की रीति और समय के साथ शर्तों और निर्बंधनों को विहित किया जा सके ।

यह उपधारा (1) के पहले परंतुक और उपधारा (2) का लोप करने के लिए भी है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार से बचा जा सके ।

यह उपधारा (3) का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 42 या धारा 43 के अधीन मेल न किए गए ब्यौरों के प्रति निर्देश को दूर किया जा सके और यह किसी वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् 30 नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, उनमें से जो भी पूर्वतर हो, को उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में त्रुटियों या लोपों का सुधार करने के लिए अंतिम तारीख के रूप में उपबंध करने का भी प्रस्ताव करती

हैं ।

यह उपधारा (4) को भी अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरों को अवधिवार क्रमिक रूप से फाइल करने का उपबंध किया जा सके ।

खंड 103 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में नई धारा द्वारा, धारा 38 को प्रतिस्थापित करने के लिए है । उपधारा (1), ऐसी अन्य पूर्ति, साथ ही आवक पूर्ति के ब्यौरों की संसूचना की रीति, समय, शर्तें और निर्बंधन तथा प्राप्तिकर्ता को स्वतः जनित विवरण के माध्यम से इनपुट कर प्रत्यय विहित करने का उपबंध करने के लिए है ।

उपधारा (2), आवक पूर्ति के ब्यौरों, जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया जा सकता है या ऐसी पूर्ति के ब्यौरों, जिसकी बाबत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 104 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि गैर-निवासी कराधेय व्यक्ति मास के लिए विवरणी उस मास के अंत के पश्चात् तेरह दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तुत करेंगे ।

यह उपधारा (7) के पहले परंतुक को भी प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को एक विकल्प का उपबंध किया जा सके ताकि वे या तो स्वतः निर्धारित कर का संदाय करे या ऐसी रकम का संदाय करे, जो विहित की जाए ।

यह धारा 37 और धारा 38 में निर्देश को हटाकर उपधारा (9) का और उक्त उपधारा (9) के परंतुक का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् 30 नवंबर या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, का ऐसी अंतिम तारीख के रूप में उपबंध किया जा सके जब तक धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में त्रुटियों का सुधार अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

यह उपधारा (10) का भी संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरों को उक्त कर अवधि के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए शर्त के रूप में उपबंध किया जा सके ।

खंड 105 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 को नई धारा से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे “अनंतिम” आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के लिए “दावा” की अवधारणा को समाप्त किया जा सके

और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का उपबंध किया जा सके ।

खंड 106 इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उत्क्रमण और पुनःदावा करना से संबंधित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 का लोप करने के लिए है, जिससे “अनंतिम” आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के “दावा” की अवधारणा को और ऐसे प्रत्यय को पश्चातवर्ती रूप से मिलान, उत्क्रमण और पुनःदावा करने को समाप्त किया जा सके । यह, आऊटपुट कर दायित्व में मिलान, उत्क्रमण और कमी करने का प्रतिदावा से संबंधित अधिनियम की धारा 43 का लोप करने के लिए भी है, जिससे विवरणी फाइल करने में दो-तरफा संचार प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके । यह धारा 43क का लोप करने के लिए भी है ।

खंड 107 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 52 के अधीन विवरणी फाइल करने में विलंब के लिए विलंब फीस का उदग्रहण करने का उपबंध किया जा सके और धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, चूंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आवक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ।

खंड 108 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 38 के प्रति निर्देश को हटाया जा सके, चूंकि उक्त धारा 38 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा आवक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है ।

खंड 109 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जिससे इलैक्ट्रानिक जमा खाते में उपबंध रकम के उपयोग के लिए निर्बंधनों को विहित किया जा सके ।

यह उपधारा (10) का और संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध रकम के अंतरण को उक्त अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रानिक नकद खाते या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन सुभिन्न व्यक्ति को अनुज्ञात किया जा सके ।

यह उपधारा (12) को भी अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे आऊटपुट कर दायित्व के अधिकतम अनुपात को विहित करने का उपबंध किया जा सके, जिसको इलैक्ट्रानिक नकद खाते के माध्यम से निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

खंड 110 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के स्थान पर नई उपधारा को 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप

से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे गलत रूप से उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट पर प्रत्यय पर ब्याज के उदग्रहण का उपबंध किया जा सके तथा ऐसे मामलों में ब्याज की संगणना की रीति विहित करने का उपबंध किया जा सके ।

खंड 111 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् 30 नवंबर को या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, का ऐसी अंतिम तारीख के रूप में उपबंध किया जा सके, जिस तक उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत विवरण में त्रुटियों का सुधार करना अनुज्ञात किया जा सके ।

खंड 112 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे स्पष्ट रूप से यह उपबंध किया जा सके कि इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में शेष के प्रतिदाय के दावे को ऐसे प्ररूप और रीति में किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

यह उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे इसका उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्ति के लिए संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए, उस तिमाही, जिसमें पूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से दो वर्ष की समय-सीमा का उपबंध करते हुए, उपधारा (1) के साथ संरेखन किया जा सके ।

यह उपधारा (10) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे उक्त उपधारा की परिधि का सभी किस्म के प्रतिदाय के दावों पर विस्तार किया जा सके ।

यह स्पष्टीकरण के खंड (2) में नया उपखंड (खक) अंतःस्थापित करने के लिए भी है, जिससे किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को की गई पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय दावा फाइल करने की सुसंगत तारीख के संबंध में स्पष्टतः का उपबंध किया जा सके ।

खंड 113 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें धारा 38 के प्रतिनिर्देश को हटाया जा सके ।

खंड 114 सा.का.नि. संख्यांक 925(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा जारी अधिसूचना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन यथा उपबंधित सभी कृत्यों के लिए, सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में, तारीख 22 जून, 2017 से, भूतलक्षी रूप से अधिसूचित करने के लिए, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 58(अ) तारीख 23 जनवरी, 2018 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 115 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 661(अ) तारीख 28 जून, 2017 को संशोधित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर को, भूतलक्षी रूप से, 1 जुलाई, 2017 से, 18 प्रतिशत अधिसूचित किया जा सके ।

खंड 116, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के दौरान मत्स्य तेल के सिवाय, (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य खाद्य के उत्पादन के दौरान सृजित अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में केंद्रीय कर से भूतलक्षी छूट का उपबंध करने के लिए है ।

यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है ।

खंड 117, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 746(अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 को, 1 जुलाई, 2017 से, भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है ।

यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है ।

एकीकृत माल और सेवा कर

खंड 118, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 698(अ), तारीख 28 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर, 18% की दर से, भूतलक्षी रूप से, 1 जुलाई, 2017 से, अधिसूचित की जा सके ।

खंड 119, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के दौरान मत्स्य तेल के सिवाय, (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य खाद्य के उत्पादन के दौरान सृजित अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में एकीकृत कर से भूतलक्षी छूट का उपबंध करने के लिए है ।

यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है ।

खंड 120, 1 जुलाई, 2017 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 745(अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है ।

यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है ।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

खंड 121, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 747(अ), तारीख 30 जून, 2017 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ब्याज की दर, 18% की दर से, भूतलक्षी रूप से, 1 जुलाई, 2017 से, अधिसूचित की जा सके।

खंड 122, 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) की अवधि के दौरान मत्स्य तेल के सिवाय, (शीर्ष 2301 के अंतर्गत आने वाले मत्स्य खाद्य के उत्पादन के दौरान सृजित अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र कर से भूतलक्षी छूट का उपबंध करने के लिए है।

यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है।

खंड 123, 1 जुलाई, 2017 से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 747(अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है।

यह और उपबंध करने के लिए है कि उक्त कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका पहले ही संग्रहण किया जा चुका है।

प्रकीर्ण

खंड 124 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 और धारा 22 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अधिनियम की धारा 2 में इस स्पष्टता का उपबंध करने का प्रस्ताव है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट माना जाना चाहिए।

उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 27, धारा 28 और धारा 39 के डिजिटल रूप में बैंक नोटों को लागू न होने के संबंध में नई धारा 22क को और अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

खंड 125, टैरिफ मद 2709 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का टैरिफ मद 2709 00 10 से प्रतिस्थापित करके वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है जिससे नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के साथ उक्त अनुसूची को संरेखित किया जा सके।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खंड 4 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (23ग) कतिपय अस्तित्वों को आय से छूट का उपबंध करता है। विधेयक के खंड 4 का उपखंड (ख) आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपबंधों का संशोधन करने का उपबंध करता है।

उक्त धारा के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक का स्पष्टीकरण 3, उस प्ररूप और रीति का उपबंध करता है, जिसमें उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति इस परंतुक के अधीन आवेदन की रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए विवरण प्रस्तुत करेगा।

उक्त धारा के उक्त खंड (23ग) के दसवें परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है। उक्त परंतुक का खंड (क) लेखाबहियां रखने और अनुरक्षित करने तथा नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के प्ररूप और रीति तथा स्थान का उपबंध करता है। उक्त परंतुक का खंड (ख) उस रीति और प्ररूप का उपबंध करता है, जिसमें ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित की जाएं, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं।

खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है।

उक्त धारा 12क की उपधारा (1) का खंड (ख) उपबंध करता है कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध किसी न्यास या संस्था की आय को लागू नहीं होंगे, अन्य बातों के साथ, सिवाय वहां जहां इस अधिनियम के अधीन न्यास या संस्था की कुल आय की संगणना धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो किसी पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभार्य नहीं है, उस वर्ष के लिए न्यास या संस्था के लेखाओं की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा धारा 44कख में निर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखापरीक्षा की गई है और आय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस तारीख तक विहित प्ररूप में लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी विशिष्टियों के साथ, जो नियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है।

उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध

किया जा सके कि न्यास या संस्था द्वारा, जिनकी कर से अप्रभार्य अधिकतम रकम से अधिक आय है, अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने की अपेक्षा रखने वाली शर्त के अतिरिक्त ऐसे न्यासों से लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, अनुरक्षित करने की भी अपेक्षा होगी ।

खंड 31 आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित है । उक्त धारा की प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनुवर्धित आय से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को विनिर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आस्तियों का सकल उचित बाजार मूल्य के मूल्यांकन की ऐसी रीति, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, के अनुसार संगणित ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति के कुल दायित्व से अधिक हो जाता है ।

खंड 38, धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

उक्त धारा में, उपधारा (8क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, चाहे उसने किसी निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) के लिए उपधारा (1), उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी प्रस्तुत की है अथवा नहीं की है, अपनी आय या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति, जिसके संबंध में वह आय-कर अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, की विहित प्ररूप में, विहित रीति में सत्यापित और ऐसी विशिष्टियों को अधिकथित करते हुए, जो विहित की जाए, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस मास की अवधि के भीतर किसी भी समय ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

खंड 54 आय-कर अधिनियम में धारा 170क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो किसी कारबार पुनर्गठन के संबंध में अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश के प्रभाव से संबंधित है ।

यह उपबंध करती है कि धारा 139 में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या अधिकरण या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश की तारीख से पूर्व, उस पूर्व वर्ष, जिसको ऐसा आदेश लागू होता है, से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के उपबंधों के अधीन उत्तराधिकारी द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा उत्तराधिकारी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, छह मास की अवधि के भीतर उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

खंड 66 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 239क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में कर की कटौती करने के दायित्व से इंकार करने के लिए प्रतिदाय से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा उपबंध करती है कि जहां, लिखित में, किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन, ब्याज से भिन्न, किसी आय पर कटौती योग्य कर उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय-कर संदेय है, और ऐसा व्यक्ति, केंद्रीय सरकार के खाते में ऐसा कर संदत करने पर यह दावा करता है कि ऐसी आय पर कोई कर कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था, तो वह ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, कटौती किए गए ऐसे कर के प्रतिदाय के लिए निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा ।

अप्रत्यक्ष कर

विधेयक का खंड 100 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है जिससे नियमों द्वारा यह उपबंध किया जा सके कि निरंतर करावधियां, जिनके लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है, जो उसके खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण को रद्दकरण का दायी बनाते हों ।

विधेयक का खंड 103 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है । उपधारा (1) अन्य पूर्तियों के साथ-साथ आंतरिक पूर्तियों के ब्यौरों और स्वतः जनित विवरण के द्वारा प्राप्तकर्ता को इनपुट कर प्रत्यय की संसूचना के लिए रीति, समय, शर्तों और निर्बंधन विनिर्दिष्ट करने के लिए तथा विवरणी फाइल करने में द्विमार्गी संसूचना प्रक्रिया को हटाने के लिए नियम बनाने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 105 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे “अंनतिम” आधार पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के “दावे” की संकल्पना को हटाया जा सके तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाएं, स्वनिर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का खंड 109 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में उपधारा (12) अंतःस्थापित करके उसका संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को आउटपुट कर दायित्व के अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके, जो

इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय लेजर के माध्यम निर्वहन किए जाएं ।

विधेयक का खंड 110 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) के स्थान पर एक नई उपधारा प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे गलत ढंग से उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर ब्याज का उद्ग्रहण का उपबंध किया जा सके और ऐसे मामलों में ब्याज की गणना करने की रीति का नियमों द्वारा उपबंध किया जा सके ।

2. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचना या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यौहार्य नहीं है ।

3. अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

(निर्मला सीतारामन,
वित्त मंत्री)